रजिस्ट्री सं. डी.एल. 33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2016/पौष 17, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 183
No. 04] DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2016/PAUSA 17, 1937 [N.C.T.D. No. 183

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

फा. सं. 13 (61)/श0वि0/एमबी/सीसी/2014/6987.—स्ट्रीट वैंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 के केन्द्रीय अधिनियम 7) की उप–धारा (1) की धारा 2 के खंड 2 के उपखंड (ii) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **फा. सं.** 13 (61)/श0वि0/एमबी/सीसी/2014/7121 दिनांक - 26 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित के अधिक्रमण में उन बातों से किया है या ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जाना लोप के रूप में छोड़कर बनाती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

अध्याय–1

प्रारंभिक :

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**– (1) इन नियमों को दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषा** –(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से भिन्न अपेक्षित न हो तब तक–

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम 7) है;

(ख) "उप–विधि" का अभिप्राय अनुच्छेद 37 के अंतर्गत बनाए गए उप–नियमों से है;

(ग) "फार्म" का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न फार्मों से है;

(घ) "सरकार" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से है;

(ङ) "परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी" का अभिप्राय ऐसी कमेटी से है जिसका गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुच्छेद 20 के उप–अनुच्छेद (1) के अंतर्गत परिवाद निस्तारण या विवाद समाधान के लिए गठित कमेटी से है;

(च) "स्थानीय प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम के अनुच्छेद 2(1)(ग) के अंतर्गत परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण से है और इसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली छावनी बोर्ड शामिल है;

(छ) "म्यूनिसिपल कमिश्नर" का अभिप्राय दिल्ली में नगर निगम के आयुक्त से है और इसके अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम के उपाध्यक्ष और दिल्ली छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शामिल हैं;

(ज) "नियम" का अभिप्राय अधिनियम के अनुच्छेद 36 के अंतर्गत बनाए गये नियमों से है;

(झ) "अनुसूची" का अभिप्राय संदर्भ के अनुसार नियमों या अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(ञ) "स्कीम" का अभिप्राय यथोचित सरकार द्वारा अनुच्छेद 38 के अंतर्गत बनाई गई स्कीम से है;

(ट) "अनुच्छेद" का अभिप्राय अधिनियम के अनुच्छेद से है;

(2) अधिनियम में परिभाषित तथा नियमों में इस्तेमाल किये गये शब्दों और वाक्यांशों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें संदर्भानुसार दिये गये हैं।

अध्याय – 2

स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन

3. **वेंडिंग प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उम्र का निर्धारण.**— इसके लिए अर्हता प्राप्ति की उम्र स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 के अनुच्छेद 4(1) के अनुसार होगी.

अध्याय – 3

विवाद समाधान प्रणाली

4. **परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटियां.**—

(1) अधिनियम के अनुच्छेद 20 उप-अनुच्छेद (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी की व्यवस्था की जाएगी जिसमें अध्यक्ष के अलावा दो और पेशेवर सदस्य भी होंगे तथा अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो सिविल जज या जयूडिशियल मजिस्ट्रेट रह चुका हो।

(2) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

5. **परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं और अनुभव.**— परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी में पेशेवर सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए वही व्यक्ति अर्ह होगा जो–

(1) 35 साल से अधिक उम्र का हो मगर उसकी उम्र 65 साल से ज्यादा न हो, और

(2) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और

(3) उसे सुयोग्य निष्ठावान और प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के साथ-साथ सामाजिक कार्य या स्ट्रीट वेंडरों की समस्याओं या सार्वजनिक कार्य या नगर निगम अथवा लोक प्रशासन से संबंधित कम से कम 10 साल का अनुभव हो,या

उसे केन्द्र या राज्य सरकार या किसी केन्द्र शासित प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय निकाय में ग्रुप 'क' पद से सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए।

6. **परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते.**— (1) परिवाद निस्तारण कमेटी के सदस्य को पूर्णकालिक आधार पर नियुक्ति होनेपर सिविल जज (सीनियर डिविजन) के बराबर वेतन भत्ते और अन्य लाभ मिलेंगे और अंशकालिक आधार पर नियुक्त किये होने पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय/राशि दी जाएगी।

शर्त यह भी है कि अगर किसी रिटायर्ड जज या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को पूर्णकालिक आधार पर अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसे अंतिम आहरित वेतन और भत्तों के बराबर पारिश्रमिक में से पेंशन की राशि घटाकर बनने वाली राशि दी जाएगी।

(2) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी में पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर नियुक्त सदस्यों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मासिक राशि/मानदेय मिलेगा। इसके अलावा पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त सदस्य सरकार द्वारा निर्धारित परिवहन भत्ते का भी हकदार होगा।

शर्त यह भी है कि किसी सेवानिवृत्त सरकारी/नगरपालिका अधिकारी के पूर्णकालिक आधार पर सदस्य नियुक्त होने पर उसके पास अंतिम आहरित वेतन और भत्तों में से पेंशन को घटाकर निकलने वाली राशि प्राप्त करने का विकल्प होगा।

(3) सरकार परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी के अध्यक्ष और किसी सदस्य को उस स्थिति में हटा सकती है अगर वह :–

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या

(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया हो जिसमें सरकार की नज़र में नैतिक अधमता शामिल हो, या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में अक्षम हो गया हो, या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित हासिल कर लिये हों जिनसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(ड.) उसने अपने पद का दुरपयोग इस तरह से किया हो जिससे उस पद पर कार्य करना जनहित के प्रतिकूल बन गया हो :

इसके साथ ही शर्त यह भी है कि सरकार उप–नियम 3 की धारा (घ) और (ड.) में बताये गये कारणों से अध्यक्ष या सदस्य को पूर्वनिर्धारित तरीके से करायी गयी जांच के बिना उसके पद से नहीं हटाएगी।

(4) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों में उनके कार्यकाल की अवधि में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जिससे उन्हें किसी तरह से नुकसान हो।

(5) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होगा जिसमें 65 साल की अधिकतम उम्र की सीमा भी होगी।

(7) **परिवादों के निस्तारण या विवादों के समाधान के लिए आवेदन पत्र और आवेदन करने का तरीका.**–इस अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (2) के तहत परिवाद के निस्तारण या विवाद के समाधान के लिए प्रत्येक लिखित आवेदन हस्ताक्षरित पत्र के रूप में होगा जिसे आवेदक को व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी के अधीक्षक या कमेटी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को देना होगा। आवेदन में अन्य बातों के अलावा आवेदक का नाम और पता, पटरी विक्रय का प्रकार और स्थान, विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख और परिवाद निस्तारण या विवाद समाधान के आधारों आदि का भी जिक्र करना होगा।

8. **आवेदन के सत्यापन और जांच का तरीका.–**

(1) परिवाद निस्तारण का आवेदन के प्राप्त होने पर परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी का अधीक्षक या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति प्रत्येक आवेदन को विशेष रूप से बनाए गये डिजीटल रजिस्टर में दर्ज करेगा और क्रम संख्या देगा.

(2) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी को डिजीटल रजिस्टर को देखने का अधिकार/एक्सेस विशेष अधिकार द्वारा होगा।

(3) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी आवेदन की सुनवाई के लिए एक तारीख निर्धारित करेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेगी या जारी करवाएगी।

(4) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी उप–नियम (3) के तहत नोटिस जारी करते समय प्रतिवादी को लिखित बयान प्रस्तुत करने का निर्देश देगी और नोटिस में इस तथ्य का उल्लेख होगा।

(5) पक्षकारों के उपस्थित होने के लिए निर्धारित तारीख को परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी आवेदकों को निर्देश दे सकती है कि अगर कोई त्रुटियां हों तो उन्हें दूर करें या कमेटी पक्षकारों से संबंधित रिकार्ड अथवा अन्य दस्तावेज या साक्ष्य एक ऐसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करने को कह सकती है जिसे वह इसके लिए उचित और उपयुक्त समझती है।

(6) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी विवाद के सिलसिले में आवेदक/(कों) और प्रतिवादियों के तर्कों तथा उसके समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड के संदर्भ में मौके पर जांच के आदेश भी दे सकती है।

(7) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी पक्षकारों को सुनने और मामले के रिकार्ड की जांच के बाद आवेदन का फैसला करेगी और आवेदन प्रस्तुत करने के 90 दिनों के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह उपयुक्त और उचित समझती है।

(8) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी पक्षकारों के बीच समझौते की संभावनाओं का भी पता लगाएगी और अगर पक्षकारों के बीच कोई समझौता हो जाता है तो कमेटी समझौते को दर्ज कर लेगी तथा पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों/अधिकारियों के दस्तखत हो जाने के बाद समझौते को ध्यान में रखते हुए आवेदन का निपटारा कर देगी।

(9) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी निम्नलिखित मामलों में कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगी :

(क) आवेदन के गुमनाम होने या इसमें महत्वहीन और अस्पष्ट आरोप होने पर ;

(ख) मामले के किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा न्यायिक व अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण में विचाराधीन होने पर ;

(ग) मामले के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने पर।

(घ) आवेदक के पास मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार न होने पर.

अध्याय–4

अपील

9. परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी के आदेश या निर्णय के खिलाफ अपील–

(1) पीड़ित पक्ष परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी के आदेश या निर्णय के खिलाफ हस्ताक्षरयुक्त लिखित आवेदन के माध्यम से अपीलीय प्राधिकरण में आदेश या निर्णय के प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है. आवेदन व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें अन्य बातों के अलावा नाम और पता, वेंडिंग के प्रकार और स्थान, वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तारीख आदि ब्यौरे का उल्लेख होना चाहिए।

इसके साथ ही शर्त यह भी है कि अपीलीय प्राधिकारण अगर इस बात से संतुष्ट हो कि निर्धारित समय के भीतर अपील दायर करने में देरी के पर्याप्त कारण हैं तो वह देरी को माफ कर सकता है।

(2) ऐसी कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जबतक कि उसकी प्रतिलिपि पक्षकारों को दे दी गयी हो और देने का प्रमाण उपलब्ध हो, अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि मूल रूप में या उसकी प्रमाणित प्रति, अगर उपलब्ध हो तो संलग्न की जानी चाहिए जिसके खिलाफ अपील की जा रही है।

(3) ऐसे किसी भी मामले में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी जिसमें परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को लेकर आदेश पारित किया हो।

10. नगर विक्रय कमेटी के निर्णय के खिलाफ अपील.–

(1) विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने या इसके निरस्तीकरण अथवा निलंबन के नगर विक्रय समिति के किसी निर्णय के खिलाफ अनुच्छेद 11 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण में हस्ताक्षरों से युक्त लिखित आवेदन देकर अपील की जा सकेगी। अपील प्राधिकरण का गठन संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और इसमें दाखिल की गयी अपील में आवेदक का नाम और पता, विक्रय का प्रकार, विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख और स्थान आदि का उल्लेख रहेगा, इसे जिस आदेश के खिलाफ अपील की गयी है उसकी सूचना दिये जाने के 30 दिन के भीतर करना होगा और इसे व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिए जमा कराना होगा, अपील के साथ उस आदेश की मूल प्रति या सत्यापित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी जिसके खिलाफ अपील की जा रही है:

इसके साथ ही शर्त यह भी है कि अगर अपीलीय प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील दायर न कर पाने के पर्याप्त कारण रहे हैं तो वह इसमें हुए विलंब को माफ भी कर सकता है।

(2) किसी भी अपील को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जबतक कि इसकी एक प्रति उस नगर विक्रय कमेटी को उपलब्ध नहीं कर दी जाती जिसने अपील के लिए उठाया जाने वाला आदेश पारित किया था और प्रतिलिपि उपलब्ध कराए जाने का सबूत अपील के साथ संलग्न करना होगा।

11. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया.–

(1) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में अपील की प्रविष्टि दायर किये जाने की तारीख के साथ करेगा।

(2) अपील को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा जो अपील की सुनवाई की तारीख निश्चित कर पक्षकारों को इसके लिए भेजा जाने वाले नोटिस तैयार करेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकरण पक्षकारों के प्रतिवेदनों और मामले के रिकार्ड तथा प्राधिकरण द्वारा मौके पर करवाई गयी जांच (अगर करायी गयी हो तो उसके) आधार पर स्थानीय प्राधिकरण के पास अपील प्राप्त होने के एक सौ अस्सी दिन के भीतर उस आदेश के खिलाफ जिस पर अपील हुई है, एक ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उपयुक्त समझता है जिससे आदेश की पुष्टि या संशोधन अथवा उसे निरस्त किया जा सकेगा।

अध्याय–5

नगर पटरी विक्रय कमेटी

12. नगर विक्रय कमेटी का गठन.–

(1) प्रत्येक चार (4) वार्डों के समूह की एक नगर पटरी विक्रय कमेटी होगी जिसका गठन तीन नगर निगमों के लिए सरकार द्वारा तथा एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड के लिए प्रत्येक प्राधिकरण की एक–एक कमेटी होगी.

(2) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण का आयुक्त/अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक नगर पटरी विक्रय कमेटी का अध्यक्ष होगा और इसमें विभिन्न विभागों/संगठनों/संघों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार होगा:-

क्रम सं.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या
1.	अध्यक्ष स्थानीय प्राधिकरण का आयुक्त/अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी टीवीसी के अध्यक्ष होंगे।	1
2.	स्थानीय निकाय का स्वास्थ्य अधिकारी	1
3.	पीडब्ल्यूडी / कार्य	1
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नामित	6
5.	राजस्व विभाग	1
6.	पुलिस	1
7.	यातायात पुलिस	1
8.	पटरी विक्रेता (निर्वाचित)	12
9.	बाजार व्यापारी संघ	1
10.	गैर–सरकारी संगठन	3
11.	आरडब्लूए	1
	कुल	**30**

(3) नगर पटरी विक्रेता कमेटी के निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाएंगे. संबंधित प्राधिकरण का अध्यक्ष नगर पटरी विक्रेता कमेटी की गतिविधियों के संचालन के लिए डीएमसी अधिनियम, 1957 के अनुच्छेद 490 और 491 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो उपायुक्त के पद से कम न हो प्राधिकृत कर सकता है और अपनी शक्तियों को विकेन्द्रित कर सकता है.

13. नगर पटरी विक्रेता कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव.–

(1) सरकार प्रारंभ में नगर पटरी विक्रेता कमेटी का गठन मनोनयन से करेगी और बाद में सर्वेक्षण तथा नगर पटरी विक्रय प्रमाण पत्र जारी हो जाने के पश्चात् कमेटी के चुनने के लिए चुनाव कराया जाएगा। तब तक के लिए मनोनीत नगर पटरी विक्रय कमेटी ही सर्वेक्षण तथा पटरी विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नगर पटरी विक्रय कमेटी का कार्य करेगी. इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक बार सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद छह महीने के भीतर चुनाव सुनिश्चित हो जाएं और सदस्यों के 12 रिक्त पद चुने हुए उम्मीदवारों से भरे जाएं।

(2) सरकार किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाली नगर पटरी विक्रय कमेटी में पटरी विक्रेताओं के प्रतिनिधित्व के लिए स्थानीय निकायों के परामर्श से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

14. पटरी विक्रेताओं में से नगर पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों के चुनाव का तरीका.–

(1) नियम 13 के उप–नियम 2 के अनुसार नियुक्त निर्वाचन अधिकारी नगर पटरी विक्रेता कमेटी के सदस्यों का चुनाव आयोजित करेगा जो इस नियमावली के साथ संलगन अनुसूची में बताए गये तरीके से पटरी विक्रेताओं में से किया जाएगा।

(2) कोई फेरी लगाने वाला, पटरी पर दुकान लगाने वाला या गली में रेहड़ी पर सामान बेचने वाला विक्रेता नगर पटरी विक्रय कमेटी के चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएगा, अगर वह:–

(क) नैतिक अधमता के अपराध का दोषी करार दिया गया हो;

(ख) नगर पटरी विक्रेता कमेटी के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों के निर्वाह में शारीरिक और/या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए, और

(ग) उसने पूर्व में अपने पद का इस तरह से दुरपयोग किया हो कि उसका चुनाव लोक हित के प्रतिकूल हो जाए, और

8490/16–2

(3) प्रत्येक स्थानी प्राधिकरण सरकार को निर्वाचित सदस्यों के नाम सूचित करेगा, और सरकार इन नामों तथा मनोनीत सदस्यों के नामों के मिल जाने के बाद प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण की नगर पटरी विक्रय कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी करेगी।

15. नगर पटरी विपणन कमेटी का कार्यकाल.–

(1) इस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत गठित नगर पटरी विक्रय कमेटी का कार्यकाल गठन की तारीख से 5 साल का होगा, बशर्ते उसे इस नियमावली के नियम 17 के तहत समय से पहले भंग न कर दिया जाए।

(2) नगर पटरी विक्रय कमेटी के गठन की प्रक्रिया तब पूरी हो जानी चाहिए।

(क) इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले, या

(ख) इसके भंग होने की तारीख से छह महीने पूरा होने से पहले।

16. नगर पटरी विक्रय कमेटी के सदस्य को हटाना.– अगर सरकार की नजर में नगर पटरी विक्रय कमेटी का कोई सदस्य इस अधिनियम के द्वारा/या इसके अधीन तथा इन नियमों के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में लगातार चूक कर रहा हो और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा हो या इनकी सीमाएं लांघ रहा हो तो सरकार आदेश के जरिए ऐसे सदस्य को कमेटी से हटा सकती है।

शर्त यह भी है कि ऐसे सदस्य को हटाने से पहले सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

17. नगर पटरी विक्रय कमेटी को भंग किया जाना.– अगर सरकार की नजर में कोई नगर पटरी विक्रय कमेटी इस अधिनियम के द्वारा/या इसके अधीन तथा इन नियमों के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में लगातार चूक कर रही हो और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हो या इनकी सीमाएं लांघ रही हो तो सरकार आदेश के जरिए ऐसी नगर विक्रय कमेटी को भंग कर सकती है और उसके स्थान पर नयी नगर पटरी विक्रय कमेटी का गठन कर सकती है।

18. नगर पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों के भत्ते.– लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहे नगर पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों को कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए 500 रुपया प्रति बैठक या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार भत्ता दिया जाएगा।

19. नगर पटरी विक्रय कमेटी की बैठकें.–

(1) कोई नगर विक्रय कमेटी आम तौर पर तीन महीनों में एक बार या कमेटी के अध्यक्ष द्वारा कामकाज के निपटारे के लिए निर्धारित अंतराल पर बैठक आयोजित करेगी।

इसके साथ ही शर्त यह भी है कि अध्यक्ष, धारा 22 के अंतर्गत नगर विक्रय कमेटी की पहली बैठक इसके गठन के 45 दिन के भीतर बुला सकते हैं।

(2) नगर पटरी विक्रय कमेटी की बैठकें अध्यक्ष के फैसले से स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत किसी भी परिसर या मुख्यालय में आयोजित की जा सकती है।

20. नगर पटरी विक्रय कमेटी की बैठक के कार्य संचालन का तरीका.–

(1) नगर पटरी विक्रय कमेटी अपनी बैठक के कार्यसंचालन के लिए ऐसी प्रक्रिया अपना सकती है जैसी सरकार कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के परामर्श से तय करे।

(2) इस अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के तहत और उपनियमों के प्रावधानों के बावजूद नगर पटरी विक्रय कमेटी की बैठकों में प्रस्ताव आम तौर पर आम राय से या इसके सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से तथा बैठक में मौजूद व वोट डालने वाले सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों से अन्यून बहुमत से पारित किये जाएंगे।

21. नगर पटरी विक्रय कमेटी द्वारा किये जाने वाले कार्य.–

अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रभाव डाले बिना कोई नगर पटरी विक्रय कमेटी निम्नलिखित कार्य करेगी:–

(क) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में पात्र पटरी विक्रेताओं की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराना और योजना, मानदंडों तथा अपने अधिकार क्षेत्र की धारण क्षमता के अनुसार उनको खपाना;

(ख) पात्र पटरी विक्रेता से नियमों और शर्तों के पालन का वचन लेकर पटरी विक्रेता को प्रमाण पत्र जारी करना. इस संबंध में नगर पटरी विक्रेता कमेटी योजना के तहत बने शर्तों एवं मानदंडों का पालन करेगी ;

(ग) प्रमाण पत्र की किसी शत्र या अधिनियम के तहत पटरी व्यापार के नियमन के लिए बनाए गए नियमों, शर्तों अथवा इनके तहत बनी किसी योजना या कार्यक्रम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पटरी विक्रेताओं के विक्रय प्रमाण पत्र रद्द या निलंबित करना. नगर पटरी विक्रेता कमेटी अगर इस बात से संतुष्ट हो कि पटरी व्यापारी ने अपना प्रमाण पत्र जालसाजी या धोखाधड़ी से हासिल किया है तो भी वह ऐसी कार्यवाही कर सकती है;

(घ) स्थानीय प्राधिकरण को उसके अंतर्गत आने वाले किसी इलाके को गैर–पटरी व्यापार क्षेत्र घोषित करने के बारे में सिफारिश करना;

(ङ) फेरी लगाने वालों और पटरी पर दुकान लगाने वालों के लिए इलाके और स्थान की पहचान करना;

(च) सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ न हो यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार करने के समय का नियमन करना;

(ज) पटरी व्यापारियों द्वारा अवज्ञा के मामलों में सुधारात्मक प्रणाली लागू करना;

(छ) विवाद समाधान समिति और स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(झ) पटरी व्यापार के पेशे को बढ़ावा देने की योजना तैयार करने के बारे में स्थानीय प्राधिकरणों को सिफारिशें करना,

(ञ) अपनी बैठकें आयोजित करना और अपना कामकाज दक्षता से करने के लिए उपयुक्त निर्णय करना;

(ट) अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने के बारे में सहायता या परामर्श प्राप्त करने के लिए अपने साथ तकनीकी और पेशेवर व्यक्तियों को सम्मिलित करना;

(ठ) पटरी व्यापरियों का अधिकार पत्र प्रकाशित करना जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि पटरी व्यापारी का व्यापार प्रमाण पत्र जारी करने में कितना समय लगेगा, कितने समय में प्रमाण पत्र का नवीकरण होगा तथा इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए क्या समय सीमा होगी;

(ड) पंजीकृत पटरी विक्रेताओं तथा ऐसे पटरी विक्रेताओं का ताजा रिकार्ड रखना जिनको अधिनियम के प्रावधानों के तहत विक्रेता लाइसेंस जारी किया जा चुका है;

(ढ) इस अधिनियम या इन नियमों या इसके अंतर्गत किसी कार्यक्रम के तहत अपनी गतिविधियों का सोशल ऑडिट कराना;

(ण) सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को समय–समय पर अधिनियम के तहत निर्धारित विभिन्न विवरणियां भेजना;

(त) पटरी विक्रेताओं को कर्ज, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने जैसे प्रोत्साहन–कार्यक्रमों के बारे में सरकार को अपनी टिप्पणियां देना;

(थ) अर्थव्यवस्था में पटरी विक्रेताओं की भूमिका के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने में सरकार की मदद करना; और

(द) अधिनियम और इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय प्राधिकरण और सरकार द्वारा पटरी विक्रय कमेटी को हस्तांतरित किये जाने वाले इसी तरह के अन्य कार्य करना।

22. विशेषज्ञों को अपने साथ अस्थायी रूप से शामिल करने की नगर पटरी विक्रय कमेटी की शक्ति.–

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई नगर पटरी विक्रय कमेटी किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जिसे इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और जानकारी हो पटरी विक्रेताओं से संबंधित मामलों में तकनीकी या पेशेवर सलाह के लिए अपने साथ शामिल कर सकती है।

(2) उप–नियम (1) के अंतर्गत विशेषज्ञ के रूप में शामिल किये जाने वाले व्यक्ति का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और इसमें सरकारी विभागों में सलाहकारों और विशेषज्ञों तकनीकी या पेशेवर जानकारों को रखने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(3) उप–नियम (1) के अनुसार विशेषज्ञ के तौर पर संबद्ध किये जाने वाले व्यक्तियों को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

23. नगर पटरी विक्रय कमेटी के कर्मचारी.– संबंधित स्थानीय प्राधिकरण नगर पटरी विक्रय कमेटी के अनुरोध पर सरकार की पूर्वानुमति से कमेटी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करा सकते हैं जिन्हें स्थानीय प्राधिकरण इस नियमावली के नियम 21 के माध्यम से प्रदत्त या सौंपे गये कार्यों को करने के लिए आवश्यक समझता है।

24. नगर पटरी विक्रय कमेटी द्वारा पटरी विक्रेताओं का रिकार्ड रखने का तरीका.– प्रत्येक नगर पटरी विक्रय कमेटी बताये गये तरीके से डिजिटल फार्मेट में अद्यतन रिकार्ड रखेगी और इसके फार्मेट का निर्णय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

अध्याय–6

विविध

25. नगर पटरी विक्रय कमेटी द्वारा विवरणी भेजना.– (1) प्रत्येक नगर पटरी विक्रय कमेटी हर साल के लिए डिजिटल फार्मेट में निम्नलिखित आवधिक विवरणियां तैयार कर सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगी:–

(1) सर्वेक्षण,

(क) साल के दौरान सर्वे किये गये पटरी विक्रेताओं की सूची;

(ख) उन इलाकों और वार्डों का नाम जहां सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसके पूरा होने की तारीख;

(ग) इन इलाकों और वार्डों का नाम जहां सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और इसके प्रारंभ किये जाने तथा पूरा होने की संभावित तारीख; और

(घ) साल के आखिरी दिन को पंजीकृत पटरी विक्रेताओं की वार्ड–वार सूची।

(2) पटरी विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदनों की प्राप्ति और निपटान–

(क) साल के दौरान पटरी विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की सूची (वार्ड वार);

(ख) साल के दौरान निपटाये गये आवेदनों की सूची (वार्ड–वार) और इसमें से,

(1) स्वीकार किये गये आवेदनों की सूची;

(2) अस्वीकार आवेदनों की सूची; और

(3) साल के आखिरी दिन लंबित आवेदनों की सूची।

(3) पटरी विक्रय प्रमाण पत्रों के निलंबन के मामले–

(क) साल के दौरान पटरी विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन की कार्रवाई वाले मामलों की सूची;

(ख) बंद किये गये मामले जिनमें पटरी विक्रय प्रमाण पत्र बरकरार रहा;

(1) वैंडिंग के प्रमाण पत्र की संख्या जहां निलंबन हुआ है;

(2) बंद किए गए मामलों की संख्या और निरंतर वैंडिंग के प्रमाण पत्र;

(3) साल के अंतिम दिन लंबित मामलों की सूची.

(4) पटरी विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन को रद्द करने के आवेदन–

(क) साल के दौरान पटरी विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन को रद्द करने के आवेदनों की सूची;

(ख) ऊपर (क) में प्राप्त आवेदनों की सूची में से साल के दौरान निपटाये गये आवेदन–

(1) निलंबन रद्द करने से संबंधित आवेदनों की सूची जिनमें विक्रय प्रमाण पत्र को फिर से मान्य किया गया, और

(2) बंद किये गये मामलों की सूची जिनमे निलंबर जारी रहा।

(ग) साल की आखिरी तारीख को निलंबन रद्द करने संबंधी लंबित मामलों की सूची।

(5) पटरी विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले–

(क) ऐसे मामलों की सूची जिनमें साल के दौरान विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की गयी;

(ख) साल के दौरान निपटाए गये विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने के मामलों की सूची;

(1) रद्द किये गये विक्रय लाइसेंसों की सूची;

(2) बंद किये गये ऐसे मामलों की सूची जिनमें प्रमाण पत्र जारी रहा;

(ग) साल के आखिरी दिन लंबित मामलों की सूची।

(6) साल के दौरान आयोजित नगर पटरी विक्रय कमेटी की बैठकों का कार्यवृत्त–

(7) पहचान किये गये पटरी विक्रय ज़ोन की वार्ड–वार सूची जिसमें वार्ड, इलाका/कॉलोनी, सड़क, विक्रय ज़ोन का मानचित्र और धारण क्षमता का उल्लेख हो;

(8) पंजीकृत पटरी विक्रेताओं की वार्ड–वार संख्या जिन्हें अधिसूचित पटरी विक्रय ज़ोनों में खपाया गया है;

(9) अन्य गतिविधियां–

(1) (क) साल के दौरान कराए गये गतिविधियों के सोशल ऑडिट;

(ख) साल के दौरान पटरी विक्रेताओं को कर्ज, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याण योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए उठाए गये प्रोत्साहन उपाय;

(ग) अर्थव्यवस्था में पटरी विक्रेताओं की भूमिका के बारे में साल के दौरान जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए किये गये उपाय;

(2) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, में से कोई भी, किसी नगर विक्रय कमेटी से समय–समय पर किसी निर्धारित प्रारूप में कोई अन्य विवरणियां विवरणियां उपलब्ध कराने को भी कह सकती है।

26. समाचार पत्र आदि में अधिसूचित कार्यक्रम के सारांश आदि का प्रकाशन.–

(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 38 की उप–धारा (1) की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित कार्यक्रम का सारांश सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित करेंगे. इस नोटिस को कम से कम दो प्रमुख

दैनिक समाचारपत्रों अधिसूचना की धारा 38 उपधार (2) के तहत छपवाया जाएगा और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र या इलाके में अधिक से अधिक जानकारी के लिए भी प्रसारित किया जाएगा.

(2) इस नोटिस पर स्थानीय प्राधिकरण के नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे.

(3) यह नोटिस स्थानीय प्राधिकरण के निगम आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट भाषा या भाषाओं में होगा.

आदेशानुसार व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के नाम पर

आलोक शर्मा, उपसचिव

अनुसूची

देखिए नियम 14

अपने अधिकार क्षेत्र के पटरी विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी नगर पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने की प्रक्रिया।

1. सरकार द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी किसी इलाके के पटरी विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों के चुनाव का पर्यवेक्षण, संचालन और नियंत्रण करेगा।

2. जैसे ही किसी इलाके के पटरी विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों के चुनाव आयोजित करने के स्थानीय प्राधिकरण के इरादे की अधिसूचना नियम 13 के उप–नियम (1) के तहत जारी की जाएगी और उप–**नियम** (2) के तहत निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी, स्थानीय प्राधिकरण एक प्रस्ताव के जरिए चुनावों की तारीख, समय और स्थान का निर्धारण करेगा।

3. स्थानीय प्राधिकरण के प्रस्ताव/निर्णय को उस नगर पटरी विक्रय कमेटी के अधिकार क्षेत्र में रेहड़ी, पटरी और फेरी लगाकर व्यापार करने वालों में निम्नलिखित में से किसी भी एक तरीके से प्रचार किया जाएगा:

(क) दो प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी भाषा के दैनिक समाचारपत्र में सार्वजनिक सूचना के जरिए;

(ख) स्थानीय वितरण;

(ग) डाक से सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग वाले पत्र के जरिए,

(घ) सक्षम प्राधिकारण में विधिवत पंजीकृत स्पीड पोस्ट या कूरियर सेवा के जरिए और निर्वाचन अधिकारी के नोटिस बोर्ड के माध्यम से. नोटिस में निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए–

(1) चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जिसमें अनुसूचित जातियों, अन्य पिछडे वर्गों, महिलाओं, विकलांगजनों, अल्पसंख्यकों या किसी अन्य निर्दिष्ट श्रेणी के आरक्षित सीटें शामिल हैं।

(2) नामांकन पत्र जमा कराने की तारीख, स्थान और समय. यह तारीख चुनाव के लिए निर्धारित तारीख से पूरे सात दिन से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर उस दिन सार्वजनिक अवकाश का हो तो उसके अगले कार्यदिवस को जो कि अवकाश का नहीं होना चाहिए।

व्याख्या.–"सार्वजनिक अवकाश" का तात्पर्य किसी ऐसे दिन से है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का केन्द्रीय अधिनियम 26) की धारा 25 के अंतर्गत सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित ही किया गया हो।

(3) नामांकन पत्रों की जांच की तारीख और समय;

(4) मतदान की तारीख, स्थान और समय।

4. स्थानीय प्राधिकरण नामांकन आमंत्रित करने की निर्धारित तारीख से तीस दिन पहले नगर विक्रय कमेटी के अधिकार क्षेत्र में रेहड़ी, पटरी और फेरीवाले व्यापारियों की एक सूची तैयार करेगा और नामांकन आमंत्रित करने के कम से कम 10 दिन पहले उक्त सूची को नगर पटरी विक्रय कमेटी के कार्यालय के नोटिसबोर्ड पर लगाएगा. इस सूची में पटरी विक्रेता की पंजीयन संख्या/प्रमाण पत्र संख्या, उसका नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसका पता दर्ज होना चाहिए. नगर पटरी विक्रय कमेटी या स्थानीय प्राधिकरण की यह जिम्मेदारी होगी कि वह फेरी, रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं का अद्यतन रजिस्टर या ऐसा अन्य रजिस्टर तैयार करे जो निर्वाचन अधिकारी कहे और इस तरह के रिकार्ड, रजिस्टर या रेजिस्टरों को निर्वाचन अधिकारी को चुनाव के लिए निर्धारित तारीख से 30 दिन पहले सौंप दे. नगर पटरी विक्रय कमेटी या स्थानीय प्राधिकरण सूची की एक प्रति किसी भी पटरी विक्रेता को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निश्चित शुल्क लेकर उपलब्ध करा सकती है।

5. चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन फार्म–1,अनुसूची के साथ संलग्न है, में किये जाएंगे जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी भी पटरी विक्रेता को निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

8UDG/16-B

6. उम्मीदवार नामांकन पत्रों के साथ दो हजार रुपये जमानत के तौर पर नकद या बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर भी जमा कराएंगे. अगर कोई उम्मीदवार डाले गये कुल वोटों के एक बटा छह से कम वोट हासिल करता है तो उसकी जमानत राशि स्थानीय प्राधिकरण के पक्ष में जब्त हो जाएगी।

7. प्रत्येक नामांकन पत्र को उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा निर्वाचन अधिकारी को पेश करना होगा. निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र पर क्रम संख्या डालेगा और अपने पास इसके प्राप्त होने की प्रमाणित तारीख और समय दर्ज करेगा और तत्काल नामांकन पत्र की एक पावती रसीद नगर पटरी विक्रय कमेटी/निर्वाचन अधिकारी की मोहर के साथ लौटाएगा. जो नामांकन पत्र जमा कराने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख और समय या उससे पहले प्राप्त नहीं होगा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8. (1) नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के अगले दिन निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेगा;

(2) निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेगा और किसी भी नामांकन के संबंध में किसी भी व्यक्ति की आपत्तियों के बारे में निर्णय लेगा. निर्वाचन अधिकारी इन आपत्तियों पर या स्वतः संज्ञान लेते हुए, अगर जरूरत हो तो सरसरी तौर पर ऐसी जांच के बाद, जिसे वह उचित समझे किसी नामांकन को रद्द कर सकता है;

इसके साथ ही शर्त यही भी है कि किसी उम्मीदवार का नामांकन सिर्फ उसके और उसके प्रस्तावक अथवा अनुमोदक का नाम या कोई अन्य ब्यौरा, धारा 4 में बतायी गयी पटरी विक्रेताओं की सूची में दर्ज उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक के ब्यौरे को गलत तरीके से लिखे जाने के आधार पर रद्द नहीं होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक की पहचान संदेह के तर्कसंगत दायरे के परे साबित हो जाए;

(3) निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके प्रस्तावकों और अनुमोदकों को सभी नामांकन पत्रों की जांच करने और उन्हें यह आश्वस्त करने की तमाम वाजिब सुविधाएं देंगे कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के नाम को वैध तरीके से शामिल किया गया है;

(4) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के अपने निर्णय को पृष्ठांकित करेगा और अगर नामांकन पत्र अस्वीकार किया जाता है तो वह लिखित में इसके कारणों के बारे में संक्षिप्त वक्तव्य दर्ज करेगा,

(5) निर्वाचन अधिकारी प्रक्रिया को स्थगित नहीं करेगा और अगर करेगा तो सिर्फ तभी जब दंगे, फसाद या नियंत्रण से बाहर के किसी कारण से इस प्रक्रिया में व्यवधान या बाधा आए ।

9. निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैध करार दिये गये नामों की सूची, जिसमें नामांकन पत्रों में दिये गये उम्मीदवारों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दर्ज होंगे और साथ में उनके पते के भी होंगे, उसी दिन प्रदर्शित/प्रकाशित कर दी जाएगी जिस दिन नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होगा।

10. कोई भी उम्मीदवार अपने हस्ताक्षरों से युक्त लिखित नोटिस व्यक्तिगत रूप से देकर अपना नामांकन वापस ले सकता है. ऐसा नोटिस नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद लेकिन वैध नामांकनों की सूची प्रकाशित होने के अगले दिन शाम 5 बजे से पहले किसी भी वक्त नगर पटरी विक्रय कमेटी के निर्वाचन अधिकारी को दिया जा सकता है. एक बार नामांकन वापस लेने का नोटिस दिये जाने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

11. अगर ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जिनके नामांकन वैध घोषित किये गये हैं चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से ज्यादा नहीं होंगे तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा और उपरोक्त धारा 10 के तहत नाम वापस लेने के दिन समय सीमा के खत्म होने के बाद उन्हें विधिवत निर्वाचित घोषित कर देगा. अगर वैध नामांकन वाले उम्मीदवारों की संख्या चुने जाने वालों की संख्या से ज्यादा होगी तो निर्वाचन अधिकारी मतदान के लिए निर्धारित तारीख को चुनाव कराने का इंतजाम करेगा. निर्वाचन अधिकारी जरूरत पड़ने पर चुनाव कराने के लिए एक या एक से अधिक मतदान अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है. इसके लिए इस्तेमाल किये जाने वाले मतपत्र इस अनुसूची के साथ फार्म–2 के रूप में संलग्न हैं ।

12. स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अधिकारी को मतपेटियां, मतपत्र, पटरी विक्रेताओं/मतदाताओं की सूची की प्रति और इसी तरह की अन्य चीजें उपलब्ध कराएगा जो चुनाव कराने के लिए आवश्यक होते हैं. मतपेटी इस तरह से बनायी जाएगी कि उसमें मतपत्रों को डाला तो जा सकेगा मगर ताला खोले बिना उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकेगा. चुनाव लड़ रहा कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान करने और वोट डालने के कार्य की निगरानी दोनों ही में उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव एजेंट नियुक्त करवा सकता है. इस पत्र में इस अनुसूची के साथ संलग्न फार्म–3 में संबंधित एजेंट की सहमति संलग्न करनी होगी।

13. मतदान पूरा होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करने पर रोक होगी।

14. मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी खाली मतपेटी को वहां उपस्थित व्यक्तियों को दिखाएगा और उसके बाद उसमें ताला लगाकर सील लगा देगा. अगर उम्मीदवार या उसका एजेंट चाहे तो वह भी अपनी मोहर ताले पर लगा सकते हैं।

15. प्रत्येक पटरी विक्रेता/मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, उसे एक मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में हिन्दी और अंग्रेजी में क्रम संख्या के साथ छपे हुए या टाइप किये हुए अथवा साइक्लोस्टाइल किये हुए होंगे. मतपत्र पर नगर पटरी विक्रय कमेटी की मोहर के साथ-साथ निर्वाचन अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर भी होंगे. मतपत्र पर एक कॉलम होगा जिसमें मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे गुणा का निशान लगा सकता है।

16. प्रत्येक मतदान केन्द्र और अगर मतदान केन्द्र में एक से ज्यादा मतदान बूथ हैं तो हर बूथ में बनाए गये अलग-अलग कक्षों में पटरी विक्रेता/मतदाता गोपनीयता से अपना वोट डाल सकेंगे।

17. किसी पटरी विक्रेता/मतदाता को तबतक कोई मतपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि मतदान अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि संबंधित पटरी विक्रेता/मतदाता वही व्यक्ति है जिसका नाम उसको उपलब्ध करायी गयी सूची में शामिल है. इस तरह का मतपत्र प्राप्त करने के बाद पटरी विक्रेता/मतदाता वोट डालने के लिए बनाए गए मतदान कक्ष में जाएगा और उम्मीदवार या उम्मीदवारों के नाम के आगे गुणा का निशान लगाकर व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में अपनी पसंद का संकेत देगा और मतपत्र को वोट डालने के लिए रखी गयी मतपेटी में पूरी गोपनीयता से डालेगा. अगर अंधता या किसी अन्य शारीरिक अक्षमता या निरक्षरता के कारण कोई पटरी विक्रेता/मतदाता मतपत्र में निशान लगाने में असमर्थ है, तो मतदान अधिकारी और अगर जहां मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है वहां निर्वाचन अधिकारी उससे पूछकर यह पता लगाएगा कि वह किस उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष में मतपत्र में गुणा का निशान लगाना चाहता है और ऐसा करके मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा।

18. अगर मतदान के किसी भी चरण में दंगे या गड़बड़ी की वजह से मतदान प्रक्रिया में व्यधान आता है या बाधा उत्पन्न होती है और पर्याप्त कारणों से चुनाव कराना संभव नहीं रहता तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी मतदान रोक सकता है. उसे इसके लिए नगर पटरी विक्रय कमेटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में इस तरह की कार्रवाई के लिए कारणों को दर्ज करना होगा।

19. मतदान के लिए निर्धारित अवधि के पूरा हो जाने के बाद किसी पटरी विक्रेता/मतदाता को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अगर वह मतदान का समय पूरा होने से पहले मतपत्र जारी करने के स्थान पर पहुंच जाता है तो उसे मतपत्र दे दिया जाएगा और वोट डालने दिया जाएगा।

20. मतगणना मतदान के तुरंत बाद होगी. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा हासिल वोटों की संख्या और चुनाव परिणाम की घोषणा निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना के पूरा होने के तुरंत बाद कर दी जाएगा. मतगणना पूरी होने और नतीजे की घोषणा के तुरंत बाद निर्वाचन अधिकारी चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को चुनाव प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

21. चुनाव परिणाम को नगर पटरी विक्रय कमेटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में भी निर्वाचन अधिकारी के सत्यापन के साथ दर्ज किया जाएगा और कमेटी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तुरंत अधिसूचित कर दिया जाएगा।

22. बराबर-बराबर वोट मिलने की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी सिक्का उछाल कर नतीजे का एलान करेगा।

23. **निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा अगर–**

(1) इसमें ऐसा कोई निशान हो जिससे मतदाता पहचान की जा सके;

(2) इसमें नगर पटरी विक्रय कमेटी की मोहर या निर्वाचन अधिकारी के आद्याक्षर न हों;

(3) वोट डालने का निशान इस तरह से लगा हो कि किस उम्मीदवार को वोट दिया है यह फैसला करना संदिग्ध हो;

(4) मतपत पत्र इतना खराब या कटा-फटा हुआ हो कि असली मतपत्र के रूप में इसकी पहचान न की जा सके.

24. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नतीजे के एलान के तीन दिन के भीतर चुनाव परिणाम और उस पर एक रिपोर्ट स्थानीय प्राधिकरण और सरकार को भेजी जाएगी।

25. चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों और नगर विक्रय कमेटी के सदस्यों के चुनाव से संबंधित रिकार्ड को सीलबंद लिफाफे में स्थानीय प्राधिकरण को सौंप देगा. इसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुनाव की तारीख से छह महीने या चुनाव विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा होने की अवधि में से जो भी बाद में हो, तब तक के लिए सुरक्षित रखा जाएगा तथा इसके बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा. चुनाव रिकार्ड के दिये जाने और प्राप्त किये जाने के प्रमाण की प्रतिलिपि निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को भेजी जाएंगी।

अनुसूची

(नियम 14 देखें)

फार्म–1

टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

टाउन वैंडिंग समिति

महोदय,

मैं पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री ———— टाउन वैंडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में दुकान लगाता हूँ (वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0.....) एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी ———— जो श्री ———— का पत्नी/पुत्र/पुत्री है का नाम प्रस्तावित करता हूँ तथा वह उक्त टाउन वैंडिंग समिति का स्ट्रीट वैंडर है (वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0 .....)/ यह प्रस्ताव उक्त समिति के सदस्य के दिनांक ———— को होने वाले चुनाव के प्रत्याशी के लिए है।

प्रस्तावक का नाम और हस्ताक्षर

वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0————

मैं———— पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री ———— की टाउन वैंडिंग समिति को ———— जिसका पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0———— है इसके द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

समर्थक का नाम और हस्ताक्षर

पंजीकरण/प्रमाण पत्र संख्या————

प्रत्याशी की घोषणा

मैं ———— पत्नी/पुत्र/पुत्री/ श्री ———— जिसका टाउन वैंडिंग समिति का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0———— है इसके द्वारा ———— स्थान की टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव के लिये अपने नामांकन पर सहमत हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि :–

(i) मैं उक्त टाउन वैंडिंग समिति का कर्मचारी नहीं हूँ।

(ii) मैं मतदान के लिए पात्र हूँ :

(iii) उक्त टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव हेतु पटरी दुकानदार (पटरी दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम 07) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए दिल्ली पटरी दुकानदार (पटरी दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी अयोग्यता के अन्तर्गत नहीं आता।

प्रत्याशी का नाम तथा हस्ताक्षर

वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0 ————

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

नामांकन पत्र दिनांक ———— को ———— बजे प्राप्त किया।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर————

मोहर

पावती

श्री ———— का नामांकन पत्र दिनांक———— को ———— बजे प्राप्त किया जिसे श्री/श्रीमती/कुमारी ———— ने प्रस्तुत किया जो चुनाव के लिए प्रत्याशी/प्रस्तावक/अनुमोदक है।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर

अनुसूची
(नियम 14 देखें)
फार्म–2
(अनुसूची 1 का खंड 11)
टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव हेतु मतपत्र

टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों के चुनाव हेतु मतपत्र जिसका चुनाव दिल्ली (पटरी दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियम, 2016 के नियम 17 के साथ संलग्न अनुसूची के अंतर्गत चुनाव संचालित किया जाना है।

———————————— टाउन वैंडिंग समिति

———————————— पता

(अधपन्ना)

——————— पद हेतु मतपत्र

चुनाव की तिथि ———————

क्रम सं0——— वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र

मतपत्र संख्या ————————

कृपया किसी प्रत्याशी के सामने (x) निशान लगाएं।

क्र0 सं0	प्रत्याशी का नाम	वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं.........	मतदान करने का चिह्न

अनुसूची
(नियम 14 देखें)
फार्म–3
(अनुसूची 1 का खंड 12)

मैं ———————— पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ————————स्ट्रीट वैंडर, जिसका वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0 ——————— है, टाउन वैंडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में पटरी दुकानदार हूँ तथा उक्त समिति के सदस्य का चुनाव प्रत्याशी हूँ, एतद्द्वारा उक्त टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों के दिनांक ——— को होने वाले चुनाव में निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने चुनाव एजेंट/काउंटिंग एजेंट के रूप में नामांकित करता हूँ :–

प्रत्याशी का नाम और हस्ताक्षर

वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0————

मैं ———————— पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ———————— पता———————————————————चुनाव एजेंट/एकाउंट एजेंट बनना चाहता हूँ।

एजेंट का नाम तथा हस्ताक्षर

फार्म "क"
(नियम 7 देखें)
स्ट्रीट वैंडर्स के शिकायत निवारण या विवाद के समाधान के लिये शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति को आवेदन

1.	आवेदक का नाम और पता	:	
2.	पंजीकरण संख्या/केस संख्या/आईडीसंख्या	:	
3.	वैंडिंग का स्थान – (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	:	
4.	वैंडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) स्टेशनरी; (ख) मोबाइल; (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	:	(क) ☐ (ख) ☐ (ग) ☐

840G/16-4

5.	वैंडिंग का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि (वैंडिंग के प्रमाण पत्र की प्रति लगाएं, यदि जारी किया गया है)	:	
6.	शिकायत निवारण या विवाद समाधान का आधार (पूरा विवरण दें आवश्यकतानुसार अधिक पृष्ठ लगाएं)		

आवदेक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं आवेदक श्री ———————— सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:– कृपया आवेदन के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

फार्म "ख"

(नियम 9 देखें)

शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के निर्णय के विरूद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

1.	अपीलकर्ता का नाम और पता	:	
2.	पंजीकरण संख्या/केस संख्या/आईडीसंख्या	:	
3.	वैंडिंग का स्थान – (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	:	
4.	वैंडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) स्टेशनरी; (ख) मोबाइल; (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	:	(क) ☐ (ख) ☐ (ग) ☐
5.	समिति का निर्णय (विवाद निवारण समिति के निर्णय के प्रति लगाकर बताएं) (क) निर्णय संख्या; तथा (ख) निर्णय की तिथि	:	
6.	अपील का आधार (पूरा विवरण दें आवश्यकतानुसार अधिक पृष्ठ लगाएं)		

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं अपीलकर्ता श्री ———————— सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:

दिनांक:

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

नोट:– कृपया अपील के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

फार्म "ग"

(नियम 10 देखें)

टाउन वैंडिंग समिति के निर्णय के विरूद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

1.	अपीलकर्ता का नाम और पता	:	
2.	पंजीकरण संख्या/केस संख्या/आईडीसंख्या	:	
3.	वैंडिंग का स्थान – (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	:	
4.	वैंडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाए) (क) स्टेशनरी; (ख) मोबाइल; (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	:	(क) ☐ (ख) ☐ (ग) ☐
5.	वैंडिंग का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि (बिक्री के प्रमाण पत्र की प्रति लगाएं, यदि जारी है)	:	
6.	आदेश का स्वरूप, जिसके प्रति अपील है (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाना; (ख) बिक्री प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना; (ग) बिक्री प्रमाण पत्र निलम्बित किया जाना।		(क) ☐ (ख) ☐ (ग) ☐
7.	अपील का आधार (पूरा विवरण दें आवश्यकतानुसार अधिक पृष्ठ लगाएं)		

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं अपीलकर्ता श्री ———————— सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:

दिनांक:

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

नोट:– कृपया अपील के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th January, 2016

No. F. 13(61)/UD/MB/CC/2014/ 6987.—In exercise of powers conferred by section 36 read with sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (I) of section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014), and in supersession to the earlier rules notified vide No. F.13(61)/UD/MB/CC/2014/7121 dated 26th November, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules, namely: -

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014);

(b) "bye-laws" mean the bye-laws made under section 37;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "Government" means the Government of National Capital Territory of Delhi;

(e) "Grievance redressal and dispute resolution committee" means a committee constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi under sub-section (1) of section 20 of the Act for the redressal of grievanees or resolution of disputes;

(f) "Local Authority" means the local authority as defined under section 2(1)(c) of the Act and includes the East Delhi Municipal Corporation, the North Delhi Municipal Corporation, the South Delhi Municipal Corporation, the New Delhi Municipal Council, the Delhi Development Authority and the Delhi Cantonment Board;

(g) "Municipal Commissioner" means the Commissioner of a Municipal Corporation in Delhi and includes the Chairperson, New Delhi Municipal Council, the Vice Chairman, Delhi Development Authority and the Chief Executive Officer of the Delhi Cantonment Board as the case may be;

(h) "Rule" means a rule made under section 36 of the Act;

(i) "Schedule" means a schedule appended to these Rules or the Act as the case may be;

(j) "Scheme" means a scheme framed by the appropriate Government under section 38;

(k) "Section" means a section of the Act;

(2) Words and expressions defined in the Act and used in these rules shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER - II

REGULATION OF STREET VENDING

3. **Prescription of the age for issue of certificate of vending.**— The qualify age will be as per the sub-section (1) of section 4 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014.

CHAPTER – III

DISPUTE REDRESSAL MECHANISM

4. **Constitution of Grievance redressal and dispute resolution committees.**— (1)There shall be a Grievance redressal and dispute resolution committee for each local authority, constituted by the Government under sub-section (1) of section 20 of the Act, comprising of a Chairperson, who has been a Civil Judge or a Judicial Magistrate and two other professionals as members.

(2) The Chairperson and members of a Grievance redressal and dispute resolution committee shall be appointed by the Government.

5. **Qualifications and experience for appointment as member in a Grievance redressal and dispute resolution committee.**— A person shall be qualified to be appointed as a professional member in a Grievance redressal and dispute resolution committee, if he —

(i) is above 35 years but is not more than 65 years of age; and

(ii) possesses a Bachelor's Degree from a recognized University; and

(iii) is a person of ability, integrity and standing and has adequate knowledge or experience of, at least, ten years in social work or in dealing with the problems relating to street vendors or of public affairs or of municipal or public administration; or is a retired officer of the Central or State Government or the Government of a Union Territory from a Group 'A' post or a retired Officer from a group 'A' post from a Local Authority.

6. Salaries and other allowances and terms and conditions of the Chairperson and member of the Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee.– (1) The Chairperson of the Grievance Redressal Committee shall receive the salary, allowances and other perquisites as are admissible to a sitting Civil Judge (Senior Division), if appointed on whole-time basis, or an honorarium/amount as may be prescribed by the Government from time to time, if appointed on a part time basis:

Provided that where a retired person who has been a Civil Judge or Judicial Magistrate is appointed as Chairperson on a whole-time basis he shall receive remuneration as per the last pay drawn minus pension along with allowances.

(2) A Member of the Grievance redressal and dispute resolution committee appointed on a whole-time basis or part time basis, shall receive the per month amount /honorarium as may be prescribed by the Government from time to time. In addition a member appointed on a whole time basis will also be entitled to receive transport allowance as may be prescribed by the Government:

Provided that where a retired government/ municipal officer is appointed as a member on a whole-time basis, he will have the option to receive the last pay drawn minus pension alongwith allowances.

(3) The Government may remove from the office, the Chairperson and Members of a Grievance redressal and dispute resolution committee if he:-

(a) has been adjudged an insolvent, or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government, invoives moral turpitude, or

(c) has become physically or mentally incapable of action as such Chairperson or Member, as the case may be or

(d) has acquired such financial other interests as is likely to affect prejudicially his functions as the chairperson or a Member, as the case may be or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the Chairperson or Member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e) of sub-rule 3 except on an inquiry held by the Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf.

(4) The terms and conditions of the service of the Chairperson and Members of the Grievance redressal and dispute resolution committee shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

(5) The tenure of the chairperson and the grievance redressal and dispute resolution committee shall be five years subject to maximum age of 65 years.

7. Form and manner of making application for redressal of grievance or resolution of dispute.– Every application for redressal of a grievance or resolution of a dispute under sub-section (2) of section 20 of the Act shall be by ~~way of a signed~~ written ~~application~~ presented ~~by~~ him in person ~~or through~~ his authorised representative to the Superintendent of the Grievance redressal and dispute resolution committee or such other person as may be authorised by the committee in this behalf which may inter alia include give particulars like name and address, nature and place of vending, date of issue of certificate of vending and grounds of redressal of grievances or resolution of dispute etc.

8. Manner of verification of application and enquiry.–(1) Every application for grievance redressal, on receipt, shall be entered and numbered in seriatum by the Superintendent or the person authorised in this behalf by the Grievance redressal and dispute resolution committee in a Digital register to be kept for this purpose.

8409/16-S

(2) The Grievance redressal and dispute resolution committee shall have access to this digital register with necessary authorisation to access the register.

(3) The Grievance redressal and dispute resolution committee shall fix a date for hearing of the application and shall issue notice of the hearing to the parties or shall cause a notice to be issued.

(4) The Grievance redressal and dispute resolution committee while issuing a notice under sub rule (3) shall call upon the respondent to submit a written statement and the notice shall contain a statement to this effect.

(5) On the date so fixed for the appearance of the parties, the Grievance redressal and dispute resolution committee may call upon the applicant to remedy the defects, if any, or may call upon the parties to furnish relevant records or such other documents or evidence as it may deem fit and proper within such period as may be specified by it.

(6) The Grievance redressal and dispute resolution committee may also order for a field enquiry in connection with the contentions made by the applicant(s) and respondent(s) and also with reference to the records submitted before it.

(7) The Grievance redressal and dispute resolution committee, after hearing the parties and examining the record of the case shall decide the application and pass such order as it may deem fit and proper within ninety days of the presentation of the application.

(8) The Grievance redressal and dispute resolution committee may also explore the possibility of a settlement between the parties and in case the parties arrive at a settlement, the Grievance redressal and dispute resolution committee shall record the settlement, which shall be signed by the parties or the authorised representatives/ officers and shall dispose of the application in terms of such settlement.

(9) The Grievance redressal and dispute resolution committee shall not entertain an application where,

(a) the application is anonymous or it contains general and vague allegations;

(b) the matter is sub-judice in any court of law, tribunal or a judicial or quasi-judicial authority;

(c) the matter is beyond the purview of the Act; and

(d) the applicant has no locus standi to file the application.

CHAPTER – IV

APPEALS

9. Appeal against the order or decision of the Grievance redressal and dispute resolution committee.--

(1) An appeal against an order or decision of a Grievance redressal and dispute resolution committee may be preferred by an aggrieved person, by way of a signed written application to the Appellate Authority constituted by the concerned Local Authority, within thirty days from the date of communication of such order or decision appealed against in person or through his authorised representative which may inter alia include give particulars like name and address, nature and place of vending, date of issue of certificate of vending etc:

Provided that the Appellate Authority may condone the delay in case it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from preferring the application within the prescribed time.

(2) No such appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon the Respondent(s) and proof of such service has been filed. The memorandum of appeal shall be accompanied by the original or certified copy of the order, if any, against which appeal is preferred.

(3) No appeal shall be entertained where the order has been passed by the Grievance redressal and dispute resolution Committee in terms of the settlement arrived between the parties.

10. Appeal from decision of Town vending committee-

(1) An appeal under section 11 against any decision of a Town Vending Committee with respect to issue of certificate of vending or cancellation or suspension of certificate of vending shall be preferred before the

Appellate Authority constituted by the concerned Local Authority by way of signed written application which may inter alia include particulars like name and address, nature and place of vending, date of issue of certificate of vending etc. within thirty days from the date of communication of the order appealed against and presented by him in person or through his authorised representative.The appeal shall be accompanied by the original or certified copy of the order against which appeal is preferred:

Provided that the Appellate Authority may condone the delay in case it is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the prescribed time.

(2) No appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon the Town Vending Committee which had made the order appealed against, prior to filing of such appeal and proof of such service has been filed along with the appeal.

11. Procedure for disposal of appeals by the Local Authority.-- (1) The officer or the person authorised in this behalf by the concerned Local Authority shall make an entry of the appeal in the Register kept for the purpose by the concerned Local Authority with the date on which it was presented.

2) The appeal shall be put up before the Appellate Authority constituted by the concerned Local Authority which shall fix a date for hearing of the appeal and shall cause a notice of the hearing to be served upon the parties.

(3) The Appellate Authority shall on the basis of submissions made before it by the parties and the records of the case and on the basis of field enquiry, if any, ordered to be conducted by the Appellate Authority, pass such order, as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against within one hundred eighty days of the date of receipt of the appeal by the Local Authority.

CHAPTER – V
TOWN VENDING COMMITTEE

12. Constitution of the Town Vending Committee.—

(1) In each group of four wards, there shall be one Town vending committee shall be constituted by the Government in respect of three corporations, for NDMC and Delhi Cantonment Board, there shall be one Town Vending Committee for each authority:

(2) The Commissioner/Chairperson/CEO of the local authority concerned shall be the Chairperson of each Town Vending Committee and the remaining constitution of the TVC from Department/ Organisation/Association shall be as follows,:

Sl. No.	Department/Body	No. of Representative
1.	The Commissioner/Chairperson/CEO of the local authority concerned shall be the Chairperson of each Town Vending Committee	1
2	Medical Officer of Local Authority	1
3	Enforcement (local authority)	1
4	PWD/Works Department	1
5	Nominated by Govt. of NCT of Delhi.	6
6	Revenue Department	1
7	Police	1
8	Traffic Police	1
9	Street Vendors (elected)	12
10	Market Traders Association	1
11	Non-Government Organisation	3
12	RWA	1
	TOTAL	30

(3) The members of the Town vending committee except the elected members shall be nominated by the Government. The Chairperson of the authority concerned may authorize any person not below the rank of Deputy Commissioner and delegate his powers as provided in section 490 and 491 of the DMC Act, 1957 for carrying out the proceedings of TVC.

13. Election to the elected member of Town vending committee.-

(1) The Government will initially form the Town Vending Committee by way of nomination and after the survey and issue of certificate of Town Vending, election will be conducted to elect the Town Vending Committee. Till such time the nominated Town Vending Committee will discharge its function of Town Vending Committee for the purpose of survey and the issue of COV and it shall ensure that the once the survey is complete, the elections are conducted within six months.

(2) The Government shall appoint a returning officer in consultation with the Local Body for conducting the election of members of the area Town vending committee representing the street vendors of the area under the jurisdiction of the concerned Local Authority.

14. Manner of election of the members of Town vending committee from amongst the street vendors.—

(1) The returning officer appointed under sub - rule (2) of the rule 13 shall, conduct the elections for the members of the Town vending committee from amongst the street vendors in the manner provided under Schedule appended to these rules.

(2) A mobile vendor, stationary vendor or street vendor shall be disqualified to be elected to a Town vending committee if, he is:-

(i) a convict of an offence involving moral turpitude;

(ii) is physically and/or mentally incapable of discharging his duties as a member of a Town vending committee; and

(iii) has earlier so abused his position as to render his election prejudicial to the public interest.

(3) The names of the elected members shall be intimated by each Local Authority to the Government which shall upon receipt of such names along with other members nominated by it notify the constitution of the Town vending committee in each Local Authority.

15. Term of Town vending committee. —

(1) The term of a Town vending committee constituted under section 22 of the Act, unless sooner dissolved under rule 17 of these rules, shall be five years from the date of its constitution.

(2) The process of constituting a Town vending committee shall be completed,

(i) before the expiry of its term; or

(ii) before the expiry of a period of six months from the date of its dissolution.

16. Removal of a member of Town vending committee —If in the opinion of the Government, any member of a Town vending committee persistently makes defaults in the performance of his duties imposed on him by/or under the Act and these rules or exceeds or abuses its powers, the Government may, by order, remove such member from the committee:

Provided that such member shall be given a reasonable opportunity of being heard before his removal.

17. Dissolution of Town vending committee. If, in the opinion of the Government, a Town vending committee persistently makes defaults in the performance of duties imposed on it by/or under the Act and these rules or exceeds or abuses its powers, the Government may, by order, dissolve such Town vending committee and constitute a fresh Town vending committee.

18. Allowances of the members of Town vending committee.— The allowances payable to the members of a Town vending committee, who do not hold any office of profit, shall be at the rate of rupees five hundred only for attending each meeting of the Town vending committee, or as may be fixed by the concerned Local Authority from time to time.

19. Meetings of Town vending committee. —

(1) A Town vending committee shall ordinarily hold at least one meeting within a period of three months or at any such intervals as the Chairperson of the Town vending committee may decide for the transaction of its business:

Provided that the first meeting of a Town vending committee after its constitution under section 22 shall be convened by the Chairperson within 45 days.

(2) The meetings of a Town vending committee shall be held at any premises within the jurisdiction of the Local Authority or Headquarter as may be decided by the Chairperson.

20. Procedure for transaction of business of Town vending committee.—(1)The Town vending committee may follow such procedure for transaction of its business as may be decided by the Government in consultation with the chairperson and the members.

(2) Subject to the provisions of the Act and these rules and notwithstanding anything contained in the bye-laws, ordinarily the resolutions passed in a meeting of a Town vending committee shall be simple majority with not less than two thirds of the members of the TVC present for voting.

21. Functions to be discharged by Town vending committee.— Without prejudice to any other provisions of the Act, a Town vending committee shall perform the following functions, namely:-

(a) to conduct surveys within the area of its jurisdiction to identify street vendors in the area and ensure their accommodation in accordance with the norms, plan and the holding capacity within area of its jurisdiction;

(b) to issue certificate of vending to an eligible street vendor after obtaining an undertaking from him to comply with the terms and conditions subject to which the certificate of vending is issued as specified in the scheme,

(c) to cancel or suspend certificate of vending of street vendors who commit breach of any of the conditions thereof or any other terms and conditions specified for regulating street vending under the Act or these rules or scheme made under the Act or where the Town vending committee is satisfied that such certificate of vending has been secured by the street vendor through misrepresentation or fraud;

(d) to recommend to the local authority an area in its jurisdiction for declaration of the same to be a non-vending area;

(e) to identify sites and spaces for vending and hawking;

(f) to regulate timings for vending to ensure non-congestion of public spaces;

(g) to ensure enforcement of corrective mechanism against defiance by street vendors;

(h) to follow up cases of dispute pending before the dispute redressal committee and the local authority;

(i) to furnish recommendations to the local authority in relation to the preparation of plan to promote the vocation of street vendors;

(j) to hold its meetings and take appropriate decisions to ensure efficient discharge of its functions;

(k) to associate technical and professional persons with itself on temporary basis for obtaining assistance or advice in carrying out any of the provisions of the Act;

(l) to publish the street vendor's charter specifying therein the time within which the certificate of vending shall be issued to the street vendors and time within which such certificate of vending shall be renewed and other activities to be performed within the time limit specified therein;

(m) to maintain up to date records of registered street vendors and street vendors to whom certificate of vending has been issued in accordance with the provisions of the Act;

(n) to carry out social audit of its activities under the Act or these rules or the scheme made there under;

(o) to furnish from time to time to the Government and the Local Authority such returns as may be prescribed under the Act and these rules;

(p) to furnish comments to the Government for undertaking promotional measures of making available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors;

(q) to assist the Government to raise awareness among the public about the role of the street vendors in the economy; and

(r) to perform such other functions for effective implementation of the Act and these rules as may be delegated to the Town vending committee by the Local Authority and by the Government.

22. Power of Town vending committee for temporary association of expert persons. —

(1) Subject to the provisions of the Act, a Town vending committee may associate any suitable person of repute having adequate knowledge and experience in the field, as expert to obtain technical or professional advice on matters relating to the street vendors.

(2) The person to be associated as expert under sub-rule (1) shall be selected in a fair and transparent manner and by following the procedure for engagement of consultants and experts as technical or professional experts in Government Departments.

(3) The persons associated as expert under sub-rule (1) shall be paid allowances as determined by the Local Authority.

23. Employees of Town vending committee. —The Local Authority concerned, with the prior approval of the Government shall, when so requested by a Town vending committee, make available to that Committee such employees as the Local Authority considers necessary for discharge of the functions conferred or imposed on the Town vending committee by rule 21 of these rules.

24. Manner of maintenance of records of street vendors by Town vending committee.—Every Town vending committee shall maintain up to date records as prescribed in the scheme in the electronic form.

CHAPTER – VI

MISCELLANEOUS

25. Town vending committee to furnish returns.—(1) Every Town vending committee shall prepare and furnish to the Government and Local Authority the following periodical returns for each year in a digital format, namely:-

[I]. Surveys,

(a) the list of street vendors surveyed during the year:

(b) name of area and wards where survey work has been completed alongwith date of completion of survey;

(c) name of area and wards where survey work is in progress alongwith the date of start of survey and the date of likely completion; and

(d) the list of registered street vendors ward wise as on the last day of the year.

[II]. Receipt and disposal of applications for issue of certificate of vending,

(a) the list of applications (ward wise) received for issue of certificate of vending during the year;

(b) the list of applications (ward wise) disposed of during the year of which

(i) the list of applications accepted;

(ii) the list of applications denied; and

(iii) the list of applications pending as on the last day of the year.

[III]. Cases of suspension of certificate of vending :-

(a) the list of cases in which action for suspension of certificate of vending initiated during the year;

(b) the list of cases of suspension disposed of during the year of which-

(i) the list of certificate of vending were suspended;

(ii) the list of cases closed and the certificate of vending continued:

(iii) the list of cases pending as on the last day of the year.

[IV]. Applications for revocation of suspension of certificate of vending:-

(a) the list of applications for the revocation of suspension of certificate of vending received during the year;

(b) the list of applications received at (a) above disposed of during the year of which

(i) the list of applications where suspension revoked and the certificate of vending revalidated;

(ii) the list of cases closed and suspension continued.

(c) the list of applications for revocation of suspension pending as on the last date of the year.

[V]. Cases of cancellation of certificate of vending:-

(a) the list of cases in which action for cancellation of certificate of vending initiated during the year;

(b) the list of cases of cancellation of certificate of vending disposed of during the year of which –

(i) the list of certificates of vending cancelled;

(ii) the list of cases closed and certificate continued.

(c) the list of cases pending on the last day of the year.

[VI]. The minutes of meetings of Town vending committee held during the year.

[VII]. Ward wise list of vending zones identified alongwith the details such as ward, area/colony, road, map of the vending zone, and the holding capacity.

[VIII]. Ward wise number of registered street vendors that have been accommodated in the notified vending zones.

[IX]. Other activities—

(1) (a) the social audit of its activities conducted during the year;

(b) promotional measures taken for making available credit, insurance and other welfare schemes of social security of the street vendors during the year;

(c) steps taken during the year to raise awareness among the public about the role of street vendors in the economy.

(d) accept and act on complaints and feedback from public regarding any aspect related to vending.

(2) The Government or the Local Authority, as the case may be, may require a Town vending committee to furnish such other return or returns in such proforma as demanded from time to time.

26. Publication of summary of notified scheme in newspapers, etc.— (1) A summary of the scheme notified by the Government, under sub-section (1) of section 38 of the Act, shall be published by the Municipal Commissioner of each Local Authority at least in two prominent daily newspapers as per provision of sub-section (2) of section 38 and also circulated by public notice in the area for being widely known in the area or locality of its jurisdiction which is likely to be affected thereby.

(2) The notice shall be signed by the Municipal Commissioner of the Local Authority or by an officer authorised by him in this behalf.

(3) The notice shall be in such language or languages as the Municipal Commissioner of the Local Authority may specify in this behalf.

By Order and in the Name of Government of
National Capital Territory of Delhi,
ALOK SHARMA, Dy. Secy. (UD)

SCHEDULE

[See rule 14]

Procedure for the conduct of elections of members of a Town vending committee representing the street vendors in the area of the jurisdiction thereof.

1. The Returning Officer appointed by Government shall supervise, direct and control the conduct of elections of the members of a Town vending committee representing the street vendors in the area of its jurisdiction.

2. As soon as the notification expressing the intention of the Local Authority to conduct elections for members of a Town vending committee representing the street vendors has been issued under sub-rule (1) of rule 13 and a returning officer has been appointed for conducting the elections under sub-rule (2) of that rule, the Local Authority shall by a resolution determine the date, time and place for conduct of elections.

3. The notice of the resolution/decision of the Local Authority shall be circulated among the street vendors engaged in the vocation of street vending in the area of jurisdiction of the Town vending committee, by any of the following modes, namely:-

   a. by public notice to be published in two prominent daily newspapers in Hindi, English or such other language as the Local Authority thinks fit;

   b. by local delivery;

   c. by post under certificate of posting;

   d. by speed post or courier services, duly registered with competent authority as well as on the notice board of the returning officer. The notice shall contain information regarding

      i. the number of members to be elected including seats reserved for representatives of Scheduled Castes, Other Backward classes, women, persons with disabilities, minorities or any other specified categories;

      ii. the date on which, the place at which and the hours between which nomination papers shall be filed, such date being not less than seven clear days before the date fixed for election or if that day happens to be public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

      Explanation.— the term "public holiday" means any day which is a public holiday under section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 [Central Act XXVI of 1881] or any day which has been notified by the Government to be a public holiday for offices under the Government;

      iii. the date and the hour for scrutinisation of the nomination papers;

      iv. the date, place, hours of polling.

4. The Local Authority shall prepare a list of street vendors registered by the Town Vending Committee in the area of jurisdiction of the Town vending committee as it stood on thirty days before the date fixed for inviting the nominations, and publish copies of the said list by affixing them upon the notice board at the office of the Town Vending Committee, not less than ten days prior to the date fixed for

inviting nominations. The list shall specify the registration number/certificate of vending and the name of the street vendor, the name of the father or husband, as the case may be, and the address of the street vendor. It shall be the duty of the Town vending committee or the Local Authority, as the case may be, to bring up-to-date register of street vendors and such other register as the returning officer may require and hand over such records, register or registers to the returning officer thirty days prior to the date fixed for the purpose of election. A copy of the list shall be supplied by the Town vending committee or the Local Authority, or returning officer, as the case may be, to any street vendor on payment of such fee as specified by the Local Authority.

5. The nominations of the candidates for election shall he made in Form-1 annexed to this schedule which shall be supplied by the returning officer to any street vendor, free of cost.

6. The candidate shall make a security deposit of rupees two thousand in cash or bank draft or pay order along with the nomination papers. If a candidate fails to get less than one-sixth of the votes polled, the security deposit shall be forfeited to the Local Authority.

7. Every nomination paper shall be presented in person by the candidate himself or by his proposer or seconder to the returning officer. The returning officer shall enter on the nomination paper its serial number and certify the date and hour at which the nomination is received by him and shall immediately give a written acknowledgement for the receipt of the nomination paper which shall bear the seal of the Town Vending Committee/returning officer. Any nomination paper which is not received on or before the date and time fixed for its receipt shall be rejected.

8. (i) On the day following the date fixed for the receipt of nomination papers, the returning officer shall take up the scrutiny of the nomination papers;

(ii) The returning officer shall examine the nomination papers and decide objections, which may be made by any person in respect of any nomination and may, either on such objection, or on his own motion and after such summary inquiry, if any, as the returning officer thinks necessary, reject any nomination:

Provided that the nomination of a candidate shall not be rejected merely on the ground of an incorrect description of his name or the name of his proposer or seconder, or any other particulars relating to the candidate or his proposer or seconder, as entered in the list of street vendors referred to in clause 4 if the identity of the candidate, the proposer or seconder, as the case may be, is established beyond reasonable doubt.

(iii) the returning officer shall give all reasonable facilities to the contesting candidates or the proposer or seconder as the case may be, to examine all the nomination papers and to satisfy themselves that the inclusion of the name of the contesting candidate is valid;

(iv) the returning officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same as the case may be, and if the nomination paper is rejected, he shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection;

(v) the returning officer shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riots or affray or by causes beyond his control.

9. The list of valid nominations as decided by the returning officer with names in English alphabetical order and addresses of the candidates as given in the nomination papers will be displayed/published on the same day on which the scrutiny of the nomination papers is completed.

10. Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and submitted in person, at any time after the presentation of his nomination paper but before 05.00 pm on the following day on which the valid nominations are published, to the returning officer of the Town Vending Committee. A notice of withdrawal of candidates once given shall be irrevocable.

11. If the number of candidates who nomination papers bave been declared valid, does not exceed the number of candidates to be elected, the returning officer shall announce the names of all such candidates and declare them to have been duly elected to the Town vending committee after the closing hour of the day of withdrawal of candidatures fixed under clause 10 above. If the number of candidates whose nominations are valid exceeds the number to be elected, the returning officer shall arrange for conducting a poll on the date fixed for the purpose. The names of the contesting candidates (arranged in English Alphabetical order) and the corresponding serial numbers assigned to them, that

shall be used on the ballot paper, shall be released by the Returning Officer. The returning officer may appoint one or more polling officers as may be necessary for conducting the poll. Ballot paper to be used shall be as prescribed in Form-2 annexed to this Schedule.

12. The Local Authority shall provide the returning office with ballot boxes, ballot papers copy of list of street vendors/voters and such other articles as may be necessary for the conduct of elections. The ballot box shall be so constructed that ballot papers can be inserted therein but cannot be taken out there from without the boxes being unlocked. A candidate contesting the election may, by a letter to the returning officer appoint an agent to represent him both where polling is held to identify the voters and to watch the recording of votes. Such letter shall contain the consent in writing of the agent concerned in Form-3 annexed to this Schedule.

13. Canvassing for votes be prohibited 48 hours before the time scheduled for end of poll.

14. Immediately before the commencement of the poll, the returning officer shall show the empty ballot box to such persons as may be present at the time and shall then lock it up and fix his seal. The candidate or his agent may also affix his own seal, if he so desires.

15. Every street vendor/voter who desires to exercise his right to vote shall be supplied with a ballot paper containing the names of contesting candidates arranged in the English Alphabetical order either printed, type written or cyclostyled, according to convenience, in Hindi and English along with the serial assigned to them. The ballot paper shall also bear the seal of the Town vending committee and also the initials of the returning officer, and further contain a column, for the voter to inscribe a mark [x] against the names of persons to whom he wants to vote.

16. Each polling station and where there is more than one polling booth at a station, each such booth shall contain a separate compartment in which the street vendors/voters can record their votes in secrecy.

17. No ballot paper shall be issued to a street vendor/voter unless the polling officer is satisfied that the street vendor/voter concerned is the same person as noted in the list furnished to him. On receipt of such ballot paper the street vendor/voter shall proceed to the polling compartment set apart for the purpose and indicate the person or persons in whose favour he exercises his vote by inscribing a mark [x] against the names of the candidate or candidates, as the case may be, and put the ballot paper in the ballot box kept for the purpose with utmost secrecy. If owing to blindness or other physical infirmity or illiteracy, the street vendor/voter is unable to inscribe the mark on the ballot paper, the polling officer and where no such polling officer is appointed, the returning officer shall ascertain from him the candidate or candidates in whose favour he desired to vote, inscribe the mark [x] on his behalf and put the ballot paper in the ballot box.

18. If at any stage of the polling, the proceedings are interrupted or obstructed by any riot or affray or if at such elections, it is not possible to take the poll for any sufficient cause, the returning officer shall have the power to stop the poling, recording his reasons for such action in the minute book of the Town Vending Committee.

19. No street vendor/voter shall be admitted after the hours fixed for the poll but a voter, who enters the premises where ballot papers are being issued before the close of the polling hour shall be issued the ballot paper and allowed to vote.

20. The counting of votes shall take place immediately after close of the poll. The number of votes secured by each candidate and the result of the elections shall be announced by the returning officer as soon as the counting is over. The Returning Officer shall give the certificate of election to the winning candidate immediately after counting is over and result is declared.

21. The result of the elections shall also be recorded in the minute book of the Town vending committee and attested by returning officer and shall also be notified immediately on the notice board of the Town Vending Committee.

22. In case of equality of votes, the returning officer shall declare the election result by tossing coin.

23. The ballot paper shall be rejected by the returning officer if—

(i) it bears any mark by which the voter can be identified

(ii) it does not bear the seal of the Town vending committee or the initials of the returning officer;

(iii) the mark indicating the vote thereon is placed in such a manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been cast;

(iv) is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established.

24. After the result of election has been announced, the result of the election and a report thereon shall be communicated to the Local Authority as well as to the Government by the returning officer within three days after the declaration of result.

25. After the declaration of the result of the election, the returning officer shall handover the ballot paper and records relating to the elections of the members of the Town vending committee to the Local Authority in a sealed cover. These shall safely be preserved by the Local Authority for the period of six months from the date of elections or till such time a dispute regarding elections, if any, filed is disposed of, whichever is later and shall thereafter be destroyed by the Local Authority and a copy of the handing over and taking over record of elections shall be sent to the Government as well as Local Authority by the returning officer alongwith his report.

[See rule 14]

Form- 1

Nomination form for Election of Members of Town Vending Committee

To

The Returning Officer,

.....

Town Vending Committee

.....

Sir,

I, ...,wife/son/daughter of Shri....., street vendor vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, (Registration/ Certificate of Vending No.....) hereby propose the name of Shri/Smt/Ms..... wife/son/daughter of Shri.....and a street vendor of the said Town vending committee (Registration/Certificate of Vending No.....) as a candidate for the post of Member of the said Committee for the election to be held on .....

Name and signature of the proposer.....

Registration/Certificate of Vending No.....

I, ...,wife/son/daughter of Shri .....
Registration/Certificate of Vending No.....of..... Town Vending Committee, hereby second the above proposal.

Name and Signature of the Seconder

Registration/Certificate of Vending No.....

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I, ...,wife/son/daughter of Shri .....
Registration/Certificate of Vending No.....of..... Town vending committee, hereby agree to my nomination for the election as Member of the ..... Town vending committee.

I further declare that-

(i) I am not an employee of the said Town Vending Committee:

(ii) I am eligible to vote:

(iii) I do not incur any disqualification for election as Member of the said Town vending committee under the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014) and the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2016 made thereunder.

Name and Signature of the Candidate.

Registration/Certificate of Vending No.....

(FOR OFFICE USE ONLY)

Received the nomination form at.....a.m./p.m.on.....

Signature of the Returning Officer.....

Seal

ACKNOWLEDGEMENT

Received the nomination form of .....presented by Shri/Smt/Ms.....candidate/proposer/seconder for election at .....a.m./p.m. on.....

Signature of the Returning Officer .....

Seal

[See rule 14]

Form-2

(clause 11 of Schedule I)

Ballot paper for Election of Member of A Town Vending Committee

Ballot paper of elections of Members of a Town vending committee whose elections are to be conducted under Schedule appended to rule 17 of the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2016

The.....Street Vending Committee

.....

..... (Address)

(Counterfoil)

Ballot paper for the Post of .....

Date of Election.....

Sl. No.....Registration/Certificate of Vending No.....Ballot Paper.

Please mark [x] against one of the candidate

Sl.No.	Name of the candidate	Registration/Certificate of Vending No.	Mark for casting vote

[See rule 14]

Form-3

[clause 12 of Schedule I]

I, ..., son/wife /daughter Shri...................................., street vendor vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, (Registration/Certificate of Vending No.....................) contesting for election of Member of the said Committee, hereby nominate the following person as my election agent/counting agent in the election of Members of the said Town vending committee to be held on .... (specify the date):-

Name and Signature of the Candidate

Registration/Certificate of Vending No..........................

I, ..., son/wife/daughter of Shri....................................,

address

....

am willing to be the election agent/account agent.

Name and Signature of the Agent

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

सं. फा. **13(4)2011/यूडी/एमबी/2014/6988**.—पटरी विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम 7) की उपधारा (1) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के साथ पठित धारा 38 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित योजना जो कि योजना न. 13(4)2011/यूडी/एमबी/2014/ 6093 दिनांक– 23 सितम्बर 2015 को प्रकाशित के अधिक्रमण में, उन बातों से किया है या ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जाना लोप के रूप में छोड़कर बनाती है, अर्थात्

योजना

1. **प्रारंभिक :**

(i) यह कार्यक्रम "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) कार्यक्रम, 2016" के नाम से जाना जाएगा।

(ii) इस कार्यक्रम के प्रावधान दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(iii) पटरी विक्रेता (स्ट्रीट वैंडर्स), विक्रय क्षेत्र (वेंडिंग जोन), पटरी विक्रेता कार्यक्रम, नगर पटरी विक्रेता समिति (टाउन वेंडिंग कमेटी–टीवीसी) और उसके कार्य तथा अन्य मामलों का अर्थ और व्याख्याएं पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 और पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली, 2016 के अनुरूप होंगी।

(iv) इस कार्यक्रम का लक्ष्य पटरी विक्रेताओं के लिए समर्थक वातावरण प्रदान एवं प्रोत्साहित करना है ताकि वे अधिनियम और नियमों के अनुरूप अपना व्यवसाय संचालित कर सकें।

(v) पटरी विक्रय कार्यक्रम में, सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और नगर पटरी विक्रेता समिति (टीवीसी) से सलाह मशविरा करने के बाद, आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।

अध्याय–1

1. **पटरी विक्रेताओं का सर्वेक्षण कराने की पद्धति:**

(1.1.1) नगर पटरी विक्रेता समिति (टाउन वेंडिंग कमेटी–टीवीसी) स्थानीय निकायों की सहायता से, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सभी पटरी विक्रेताओं की व्यापक डिजिटीकृत फोटो गणना/सर्वेक्षण करेगी और सभी वर्तमान अचल पटरी विक्रेताओं का जीआईएस मानचित्रण करेगी। यह सर्वेक्षण नगर बिक्री समिति द्वारा दिए गए आदेश की तारीख से 3 महीने की अवधि में किया जाएगा और इसके हर 3 वर्ष बाद परवर्ती सर्वेक्षण किए जाएंगे।

840G/16-8

(1.1.2) टीवीसी सर्वेक्षण का संचालन, निगरानी और देखरेख करेगी तथा व्यापक डिजिटीकृत फोटो–बायोमीट्रिक गणना करेगी और स्थानीय निकायों/व्यावसायिक संगठनों/विशेषज्ञों/स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से वर्तमान अचल और अन्य पटरी विक्रेताओं का जीपीएस/जीआईएस मानचित्रण करेगी।

(1.1.3) स्थानीय निकाय पटरी विक्रेताओं के सर्वेक्षण को अंजाम देने के लिए टीवीसी की अनुशंसा पर मुक्त पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए एक एजेंसी को अनुबंधित कर सकते हैं, और समुदाय की भागीदारी अथवा स्वैच्छिक संगठनों/आरडब्ल्यूए/एमटीएज की सहायता से सर्वेक्षण की वैकल्पिक पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(1.1.4) सर्वेक्षण टीमें प्राथमिक आंकड़े एकत्र करेंगी, जैसे पटरी विक्रेता का नाम, लिंग, आयु, जन्मतिथि, जन्म स्थान, व्यापार/बिक्री का स्वरूप, बिक्री की पद्धति, माता–पिता का नाम, पति–पत्नी का नाम, आश्रित बच्चे, बिक्री का स्थान, उचित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर बिक्री करने की समयावधि, पता (वर्तमान और स्थायी), वर्तमान पटरी विक्रेताओं के संपर्क नंबर, पटरी विक्रेता की स्थिति जैसे विकलांग और महिला, अदालती आदेश, यदि कोई हो सहित विक्रय का साक्ष्य, पहचान प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)। शेष जानकारी के लिए स्थानीय निकाय द्वारा "**अनुलग्नक–क**" में निर्धारित अनुसार आवेदन प्रपत्र भी पटरी विक्रेता को स्थल पर जारी किया जाएगा।

(1.1.5) पंजीकरण के लिए सर्वेक्षण फार्म/आवेदन प्रपत्र विशिष्ट बार कोड/आईडी के साथ कम्प्यूटर सृजित होगा और उसका उल्लेख पावती रसीद में भी किया जाएगा। सर्वेक्षण आवेदन फार्म प्राप्त करने/पंजीकरण करने का काम सर्वेक्षण के दौरान टीवीसी आदि द्वारा नामित टीम/विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा स्थल पर ही पूरा किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा ब्यौरा प्राप्त करते हुए सर्वेक्षण फार्म साइट/स्थल पर ही भरा जाएगा और अपेक्षित दस्तावेज लिए जाएंगे।

(1.1.6) सर्वेक्षण की वीडियोग्राफी की जा सकती है अथवा स्थल पर सर्वे किए गए प्रत्येक वेंडर का स्थिर फोटोग्राफ लिया जाएगा और सर्वेक्षण की तारीख और सर्वेक्षण के स्थान का उल्लेख सर्वेक्षण रिकार्ड के रजिस्टर में किया जाएगा।

(1.1.7) सरकार इसके साथ उपलब्ध प्रासंगिक डेटा के साथ इस प्रकार नगर पटरी विक्रेता समिति (टाउन वेंडिंग कमेटी–टीवीसी) के द्वारा प्राप्त सर्वेक्षण के आंकड़ों की वैधता को सुनिश्चित कर सकती है।

(1.1.8) कारगर और पारदर्शी सर्वेक्षण के लिए जीपीएस, टेबलेट और सर्वेक्षण आंकड़ों के ऑनलाइन संग्रहण तथा केंद्रीय सर्वर के साथ रीयल टाइम अपलिंकिंग सहित अद्यतन प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाएगी। फोटोग्राफ, स्थल समन्वयक और उनके स्थान तथा सर्वेक्षण स्थल पर उपलब्ध कराए गए दस्तावेज वास्तविक समय में स्कैन किए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे। भौतिक सर्वेक्षण फार्म/आवेदन फार्म भी स्कैन और डिजिटीकृत किए जाएंगे, जिन्हें विशिष्ट आईडी से सर्च किया जा सकेगा और सर्वेक्षण के समय आवेदक/पटरी विक्रेता को दिए गए पावती पत्रक पर बार कोड प्रदर्शित किया जाएगा।

(1.1.9) पंजीकरण फार्म पूरा करने वाला अधिकारी या सुविधा प्रदाता अथवा स्थल पर फार्म भरने में सहायता करने वाला व्यक्ति एक पावती पत्रक जारी करेगा, जिसके ऊपर संदर्भ प्रयोजनों के लिए एक विशिष्ट आईडी और बार कोड दिया जाएगा। सर्वेक्षित पटरी विक्रेता के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लिया जाएगा। सुविधा प्रदाता भी आवेदन/सर्वेक्षण फार्म संख्या, विक्रय स्थल का पता, विक्रय स्थल का फोटोग्राफ, दस्तावेज की स्कैनिंग आदि के बारे में जानकारी सर्वेक्षण फार्म में उपलब्ध कराएगा।

(1.1.10) पटरी विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन हेतु आवेदन प्रपत्र शुल्क रु. 100/– होगा।

(1.1.11) स्थानीय निकाय/टीवीसी, एक सुविधा सेवा प्रदाता के जरिए पटरी विक्रेताओं को पंजीकरण फार्म भरने में सहायता प्रदान करेंगे।

(1.1.12) पटरी विक्रेताओं के रूप में पंजीकरण और परवर्ती विक्रय प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु पात्रता की शर्तें निम्नांकित अनुसार होंगी :–

(क) विक्रेता भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों में निर्धारित अनुसार होनी चाहिए।

(ख) वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक पंजीकृत मतदाता अवश्य होना/होनी चाहिए।

(ग) उसे स्वयं या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को दिल्ली के किसी अन्य स्थानीय निकाय द्वारा अस्थाई, साप्ताहिक बाजार और त्यौहार विक्रय सहित पटरी विक्रेता के रूप में पंजीकृत न किया गया हो और विक्रय प्रमाणपत्र प्रदान न किया गया हो।

(उपरोक्त जानकारी के प्रमाणन के लिए स्थानीय निकाय पटरी विक्रेताओं के आंकड़े साझा करेंगे)।

(1.1.13) पटरी विक्रय में उचित संलग्नता की प्रामाणिकता की जांच पटरी विक्रय गतिविधियों के साक्ष्यों से की जाएगी। इन साक्ष्यों में त्यौहार विक्रय रसीदें, टोकन, चालान, ट्रैफिक पुलिस चालान/पुलिस चालान या जुर्माने अथवा शुल्कों की अन्य रसीदें, पंजीकृत आरडब्ल्यूएज, बाजार संगठनों के प्रमाणपत्र शामिल हैं। इस बारे में प्रदत्त दस्तावेजी साक्ष्यों की ध्यानपूर्वक और आद्योपांत जांच की जानी चाहिए।

(1.1.14) पंजीकरण फार्म में सही जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्य रूप से आवेदक का होगा। अगर यह पाया गया कि आवेदक ने कोई असत्य, गलत या गुमराह करने वाली जानकारी प्रदान की है, तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ धोखाधड़ी/जालसाजी के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।

(1.1.15) आवेदन प्राप्त होने पर, संबद्ध स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त टीवीसी पटरी विक्रेता को इस आशय की पावती रसीद जारी करेगी कि उसने **अनुलग्नक 'क'** मे वर्णित अनुसार स्थानीय निकाय के साथ पंजीकरण करा लिया है। आवेदन प्रपत्र पर दर्ज कम्प्यूटर सृजित विशिष्ट आईडी और बार कोड का उल्लेख पावती पत्रक पर भी किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि समाप्त हो जाने के बाद कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। भलीभांति भरे गए सभी सर्वेक्षण फार्मों/पंजीकरण आवेदन प्रपत्रों का कम्प्यूटरीकृत और डिजिटीकृत रिकार्ड रखा जाएगा।

(1.1.16) सर्वेक्षण के दौरान आवेदन जमा कराए जाने से नियमित पंजीकरण की गारंटी नहीं मिल जाएगी। पंजीकरण का निर्धारण पात्रता और आवेदक द्वारा जमा कराए गए दस्तावेज की जांच के आधार पर अलग से किया जाएगा।

(1.1.17) पटरी विक्रेता/विक्रेताओं के पंजीकरण के 30 दिन के भीतर स्थानीय निकाय अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करेगा। जिन आवेदकों का पंजीकरण नहीं किया गया है उन्हें, पंजीकरण न होने के कारणों सहित तदनुसार सूचित किया जाएगा और सम्बन्धित टीवीसी के माध्यम से दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा। यह जानकारी सर्च–सुविधा सहित प्रयोक्ता अनुकूल पद्धति से उपलब्ध कराई जाएगी।

(1.1.18) यदि किसी व्यक्ति को किसी पटरी विक्रेता के आवेदन पत्र में या किसी आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के बारे में कोई दावा/आपत्ति हो तो वह, उस जानकारी के स्थानीय निकाय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर अपना दावा/आपत्ति दर्ज कर सकता है। स्थानीय निकाय भी अपने अधिकारी/स्टाफ के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से पटरी विक्रेता द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की जांच कर सकता है। उसके द्वारा दिये गए विवरण को भी सत्यापित कर सकता है। टीवीसी स्थानीय निकाय से आपत्ति/दावे प्राप्त होने या कोई प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ..... दिन की अवधि के भीतर ऐसे मामले में कोई निर्णय करेगा।

(1.1.19) स्थानीय निकाय दावे/आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए फार्म, शुल्क तथा धरोहर राशि निर्धारित कर सकता है, जो प्रत्येक आवेदन के लिए 100 रुपये से अधिक नहीं होगी और बैंक ड्राफ्ट या चालान रसीद या नकद भुगतान रसीद, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से अदा की जायेगी।

(1.1.20) पंजीकरण होने मात्र से किसी पटरी विक्रेता को पटरी लगाने या फेरी लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा। पटरी लगाने/फेरी लगाने का अनुमतिपत्र/प्रमाणपत्र, पटरी विक्रेता समिति द्वारा स्थानीय निकाय के साथ परामर्श करके जारी किया जायेगा, जो कार्यक्रम, मानदंड, योजना और क्षेत्र में स्थान/स्थल/धारण क्षमता की उपलब्धता के अधीन होगा।

1.2 **सर्वेक्षण के अन्तर्गत पता लगाए गए पटरी विक्रेताओं को पटरी विक्रेता प्रमाण–पत्र जारी करने की समय–सीमा :**

1.2.1 इस कार्यक्रम के प्रावधानों, मानकों, योजना और क्षेत्र के भीतर स्थान/स्थल की उपलब्धता और धारण करने की क्षमता के अधीन सर्वेक्षण पूरा होने के बाद तीन माह की अवधि में पटरी विक्रेता प्रमाणपत्र (सीओवी) जारी किया जाएगा।

अध्याय–2

2.1 **पटरी विक्रेताओं और ऐसे व्यक्तियों, जो दो सर्वेक्षणों के बीच की अवधि में पटरी लगाने के इच्छुक हों, को पटरी विक्रेता प्रमाण निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अधीन जारी किए जाएंगे :**

2.1.1 पैरा 1.1.12 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा :–

2.1.2 पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र केवल पंजीकृत पटरी विक्रेता के नाम (व्यक्तिगत) जारी किया जाएगा और यह पंजीकृत पटरी विक्रेता की निःशक्तता, विक्षिप्तता और मृत्यु की स्थिति को छोड़कर, अहस्तान्तरणीय होगा।

2.1.3 पटरी/फेरी लगाने के समय का निर्धारण नगर पटरी विक्रेता समिति (टीवीसी) द्वारा समय–समय पर क्षेत्र/जोन के लिए अधिसूचना जारी करके किया जायेगा।

2.1.4 स्थल पर किसी प्रकार के अस्थाई/स्थाई ढांचे/निर्माण की अनुमति नहीं होगी। वह अपना सारा सामान निश्चित स्थान के भीतर रखेगा/रखेगी। पटरी स्थल पर किसी प्रकार के उभार, फैलाव और विस्तार की अनुमति नहीं होगी। परन्तु, पटरी विक्रेता ऐसे छाते/शेड का प्रयोग कर सकते हैं, जो स्थाई रूप से भूमि या दीवार के साथ सटे हुए न हों।

2.1.5 *पंजीकृत पटरी विक्रेता इस आशय की वचनबद्धता/प्रतिज्ञा करेगा कि :*

(क) वह स्वयं या अपने पत्नी/पति या आश्रित बच्चों के माध्यम से पटरी विक्रय का कारोबार करेगा/करेगी;

(ख) उसकी आजीविका का कोई और साधन नहीं है;

(ग) वह किराए/पट्टे सहित किसी भी तरह से, पटरी विक्रेता प्रमाण–पत्र या इसमें विनिर्दिष्ट स्थान का हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा/करेगी;

(घ) वह किसी संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं है;

(ङ) वह विक्रय स्थल/क्षेत्र और आसपास के स्थान पर सफाई एवं सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखेगा/रखेगी;

(च) वह विक्रय क्षेत्र में समय–समय पर स्थानीय निकाय द्वारा टीवीसी से सलाह के बाद या सरकार द्वारा निर्धारित बुनियादी नागरिक सुख–सुविधाओं के आवधिक प्रभारों का भुगतान करेगा/करेगी ; और

(छ) गैर पटरी विक्रय क्षेत्र में या पटरी क्षेत्र में स्वीकार्य दिनों या समय के अतिरिक्त कोई कारोबार नहीं करेगा।

2.1.6 पंजीकृत पटरी विक्रेता, जिसे पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, को इस कार्यक्रम के अंतर्गत खंड 4.1.3 में उल्लिखित अनुसार मासिक विक्रय शुल्क अदा करना होगा, जो समय समय पर निर्दिष्ट विक्रय क्षेत्र और उसके रख–रखाव प्रभारों के अनुसार स्थानीय निकाय द्वारा (टीवीसी से सलाह मशविरा करने के बाद) बढ़ाया/पुनः निर्धारित किया जा सकता है। विक्रय क्षेत्र के लिए निर्धारित शुल्क और रख–रखाव प्रभार हर तीन वर्ष के बाद कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ संशोधित किए जाएंगे।

2.1.7 पटरी विक्रेता प्रत्येक माह की 10 तारीख तक या स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट समय अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क भुगतान में विलम्ब होने पर वह कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट अर्थदण्ड या समय–समय पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथानिर्णीत अर्थदण्ड देने का/की भागी होगा/होगी।

2.1.8 किसी भी कारण से, किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान विक्रय में अक्षमता विक्रय के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने अथवा भुगतान से छूट की अनुमति देने का आधार नहीं होगी।

2.1.9 पटरी विक्रेता, विक्रय प्रमाणपत्र को किराए पर देने सहित किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र/सीओवी किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर/किराए पर देने अथवा बेचने की अनुमति नहीं होगी।

2.1.10 जनहित का प्रश्न उठने पर सीओवी धारक किसी पटरी विक्रेता को प्रतिबंधित, हटाने और पुनः स्थापित करने का अधिकार टीवीसी को होगा। जनहित में आवश्यक होने पर नोटिस जारी होने के बाद पटरी विक्रेता को विक्रय स्थल तत्काल खाली करना होगा।

2.1.11 स्वास्थ्य या अन्य कारणों से लाइसेंसधारक के अक्षम होने की सूचना 30 दिन के भीतर टीवीसी को देनी होगी, जो पटरी विक्रेता के परिवार के किसी वयस्क सदस्य [पति/पत्नी या आश्रित संतान, जिसने पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों में निर्धारित अनुसार आयु प्राप्त कर ली हो], जिसका उल्लेख आवेदन प्रपत्र में किया गया हो, को सीओवी में निर्दिष्ट विक्रय स्थल पर विक्रय करने की अनुमति दे सकती है।

2.1.12 पंजीकृत पटरी विक्रेता जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, की मृत्यु अथवा अक्षम होने की स्थिति में, उसका/उसके कानूनी वारिस अथवा जीवित माता–पिता, सीओवी को पंजीकरण को कानूनी वारिस के नाम अंतरित करने का आवेदन टीवीसी को दे सकता/सकते हैं, बशर्ते उसकी/उनकी जीविका का कोई अन्य साधन न हो। अंतरण की अनुमति देने की स्थिति में सीओवी की समापन की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2.1.13 ऐसा पटरी विक्रेता, जिसे पहले से किसी प्रकार का विक्रय लाइसेंस दिया गया हो, और उसने विक्रय स्थल पर कोई स्थाई या अस्थाई ढांचा खड़ा कर लिया हो, इस कार्यक्रम के अंतर्गत विक्रय प्रमाणपत्र जारी किए जाने का पात्र तब तक नहीं होगा/होगी, जब तक वह विक्रय स्थल पर खड़े किए गए अस्थाई/स्थाई ढांचे को पूरी तरह हटा/गिरा नहीं देता/देती।

2.1.14 पटरी विक्रेता सीओवी की एक प्रति पटरी स्थल पर रखेगा और टीवीसी द्वारा मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

2.1.15 पटरी विक्रेता विक्रयस्थल और आसपास के स्थान को स्वच्छ रखेगा/रखेगी। वह अपने विक्रय स्थल के करीब कचरे का डिब्बा रखेगा/रखेगी ताकि उसके ग्राहक और अन्य लोग उसमें कचरा डाल सकें। वह समय समय पर कचरे के डिब्बे को स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर खाली करेगा।

2.1.16 पटरी विक्रेता विक्रय क्षेत्र/विक्रेता बाजार और आसपास के स्थान पर जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेगा/रखेगी। वह विक्रय क्षेत्र/स्थल से कचरे के सामूहिक निपटान को प्रोत्साहित करने में योगदान करेगा/करेगी। पटरी विक्रेता नाली, सड़क के किनारे, खुले क्षेत्रों या किसी अन्य अनधिकृत स्थान पर कचरा नहीं डालेगा।

2.1.17 पटरी विक्रेता सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा और स्वीकार्य सीमाओं से आगे नहीं बढ़ेगा। विक्रय स्थल का आकार 6 x 4 फुट होगा और स्टाल की ऊंचाई 3 फुट से अधिक नहीं होगी। पटरी विक्रेता के सिर पर कोई छत नही होगी और उसे किसी प्रकार का स्थाई या अस्थाई ढांचा बनाने की अनुमति नहीं होगी। विक्रेता अपने साज–सामान को आवंटित स्थल के भीतर सीमित रखेगा। पटरी स्थल पर किसी प्रकार के उभार, फैलाव और विस्तार की अनुमति नहीं होगी।

2.1.18 पटरी विक्रेता पैदल चलने वालों और यातायात में किसी प्रकार की रुकावट नहीं बनेगा/बनेगी। विक्रेता सड़क/गली (यदि किसी गली में विक्रय कर रहा/रही हो) के किनारे से कार्य संचालन करेगा और यातायात अथवा पैदल चलने

वालों अथवा गैर–मोटरकृत वाहनों के सुचारू आवागमन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालेगा। वह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि उसके ग्राहक उसके विक्रय स्थल के पास अनधिकृत ढंग से वाहन खड़े न करें।

2.1.19 पटरी विक्रेता आपत्तिजनक, जोखिमपूर्ण और प्रदूषित वस्तुएं नहीं बेचेगा/बेचेगी वह निश्चित करेगो कि बेची जा रही वस्तुओं की गुणवत्ता एवं जनसाधारण को दी गई सेवाओं का मानक जन–स्वास्थ्य , सुरक्षा एवं सफाई के मानकों के अनुसार है।

2.1.20 पटरी विक्रेता कोई अनधिकृत/अवैध गतिविधि संचालित नहीं करेगा।

2.1.21 पटरी विक्रेता किसी ऐसे स्थान का इस्तेमाल या घेराव नहीं करेगा, जो पटरी विक्रय के लिए प्रतिबंधित हो। चलते फिरते विक्रेता अपने फेरी क्षेत्र/विक्रय क्षेत्र के भीतर किसी एक स्थान पर 30 मिनट से अधिक अवधि के लिए नहीं रुकेगा/रुकेगी। विक्रेता गैर–विक्रय क्षेत्र में नहीं रुकेगा/रुकेगी या विक्रय नहीं करेगा/करेगी।

2.1.22 विक्रयकर्ता फुटपाथ पर रुकावट नहीं डालेगा अथवा सड़कों पर बिक्री नहीं करेगा। विक्रय काउंटरों/स्टालों के सामने फुटपाथ पर 2 मीटर का आने जाने का रास्ता बनाए रखा जाना चाहिए।

2.1.23 गलत या धोखाधड़ीपूर्ण जानकारी देकर प्राप्त सीओवी अथवा अधिनियम/नियमों/कार्यक्रम में वर्णित किसी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में सीओवी रद्द कर दिया जाएगा।

2.1.24 लगातार छः महीने तक निर्धारित लाइसेंस शुल्क का मुगतान न करने की स्थिति में सीओवी रद्द कर दिया जाएगा। लाइसेंस शुल्क का मुगतान करने में लगातार दो महीने चूक होने की स्थिति में किसी प्रकार के विक्रय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.1.25 विक्रय करने की अनुमति रद्द/समाप्त होने की स्थिति में, पटरी विक्रेता शांतिपूर्वक स्थान खाली करेगा और विक्रय स्थल का कब्जा तत्काल स्थानीय प्राधिकारी को सौंप देगा।

अध्याय–3

3.1 किसी पटरी विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र जारी किए जाने का स्वरूप एवं पद्धति

(3.1.1) पटरी विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र **अनुलग्नक 'ख'** में दिए गए फार्म में जारी किया जाएगा।

(3.1.2) पटरी विक्रेता को सीओवी पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आवेदन में घोषित किए गए उसके आवासीय पते पर भेजा जाएगा। व्यक्ति को सीओवी पंजीकरण प्रमाण पत्र को वेबसाइट से प्रतिलिपि का प्रिंट निकालने का विकल्प भी दिया जायेगा।

3.2 पटरी विक्रेताओं को पहचानपत्र जारी करने का स्वरूप और पद्धति

(3.2.1) पात्र व्यक्तियों, जिन्हें विक्रय प्रमाणपत्र (सीओवी) जारी किया गया हो, को पहचानपत्र अथवा उसके समान बायोमीट्रिक–स्मॉर्टकार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट आईडी, बारकोड, पंजीकरण की तारीख, विक्रेता का नाम, पता, विक्रेता की श्रेणी, विक्रेता का फोटोग्राफ, व्यापार का स्वरूप, नामित व्यक्ति का नाम, आश्रित बच्चे, विक्रय स्थान आदि जानकारी होगी, **अनुलग्नक 'ग'** में दिए गए प्रारूप में जारी किया जाएगा।

(3.2.2) पहचानपत्र/बायोमीट्रिक स्मॉर्टकार्ड खो जाने/क्षतिग्रस्त होने की जानकारी विक्रेता द्वारा 30 दिन के भीतर टीवीसी को दी जानी चाहिए। विक्रेता डुप्लीकेट पहचानपत्र/स्मॉर्टकार्ड जारी करने के लिए रुपये 200/– के शुल्क के साथ टीवीसी को आवेदन करेगा और ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर विक्रेता को डुप्लीकेट पहचानपत्र/स्मॉर्टकार्ड जारी किया जाएगा। पहचानपत्र क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भी समान शर्तें लागू होंगी। पहचानपत्र खो जाने की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को की जानी चाहिए। क्षतिग्रस्त पहचानपत्र डुप्लीकेट पहचानपत्र जारी करने के आवेदन के साथ स्थानीय प्राधिकारी के पास जमा कराया जाना चाहिए।

(3.2.3) सर्वेक्षण के दौरान वर्तमान और स्थाई पते से संबंधित मूल दस्तावेज की भी जांच की जा सकती है।

(3.2.4) सभी पंजीकृत पटरी विक्रेताओं का एक डेटाबेस स्थानीय निकायों द्वारा रखा जाएगा। इससे किसी पटरी विक्रेता के ब्यौरे की जांच अन्य स्थानीय निकायों के डेटाबेस से करने में मदद मिलेगी ताकि विक्रय के दावों में किसी प्रकार के दोहरेपन और इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि कोई व्यक्ति पहले से किसी लाभार्थी कार्यक्रम/सर्वेक्षण में तो शामिल नहीं रहा/रही है।

3.3 पटरी **विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मानदंड :**

3.3.1 किसी पंजीकृत पटरी विक्रेता को किसी स्थानीय निकाय द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, बशर्ते उसके लिए किसी अन्य स्थानीय निकाय से ऐसा प्रमाणपत्र जारी न किया गया हो।

3.3.2 पटरी स्थल का आवंटन पटरी विक्रय ज़ोन के प्रतिबन्ध मुक्त सीमांकन/प्रतिबन्धित क्षेत्र/गैर–विक्रय क्षेत्र, टाइम शेरिंग आधार पर उपलब्ध रिक्तियों और धारण क्षमता के अधीन होगा।

3.3.3 यदि आवेदकों की संख्या विक्रय स्थलों/स्थानों की संख्या से अधिक होगी, तो आवंटन ड्रा आफ लॉट्स/कम्प्यूटर द्वारा ड्रा या ऐसी ही किसी अन्य विधि के आधार पर किया जाएगा। पंजीकृत पटरी विक्रेताओं के बीच विक्रय स्थलवार आवंटन भी ड्रा आफ लॉट्स के जरिए किया जाएगा।

ৎ4DG/16-9

3.3.4 विकलांगजनों और महिलाओं को वरीयता (क्रमशः 3 प्रतिशत और एक तिहाई स्थल) दी जाएगी। महिलाओं में विधवाओं को वरीयता दी जाएगी।

3.3.5 नए आवेदकों की तुलना में सर्वेक्षण में पहचान किए गए और पंजीकृत व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

3.3.6 जिन विक्रेताओं को उनकी प्रथम पसंद के अनुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकेगा, उन्हें उपलब्धता के अधीन, काल–क्रमानुसार उनके अन्य विकल्पों के अनुसार आवंटन करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोई स्थान जारी न किए जाने से बचा जा सके।

3.3.7 किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य (पति–पत्नी और आश्रित बच्चे मिला कर) को विक्रय प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

3.3.8 क्षेत्र/पटरी, जहां अस्थाई विक्रय किया जाना हो, वह टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा अस्थाई विक्रय के लिए अनुमोदित/अधिसूचित होना चाहिए।

3.3.9 पटरी विक्रय क्षेत्र का सीमांकन, प्रतिबंधित क्षेत्र/विक्रय जोन रहित क्षेत्र का निर्णय स्थानीय निकाय द्वारा टीवीसी से परामर्श के बाद किया जाएगा और फेरी लगाने/विक्रय क्षेत्र की धारण क्षमता की पहचान की जाएगी।

3.3.10 पटरी विक्रेता का पंजीकरण/बिक्री प्रमाणपत्र सर्वेक्षण की तारीख से अधिकतम 9 वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।

3.3.11 असफल पात्र आवेदकों की प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी ताकि भविष्य में उपलब्ध पटरी विक्रय स्थलों के लिए उन पर विचार किया जा सके।

अध्याय–4

4.1 विक्रय शुल्क का भुगतान पटरी विक्रय की श्रेणी के आधार पर किया जाएगा, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग हो सकता है.

4.1.1 पटरी विक्रेता विक्रय शुल्क का मासिक आधार पर भुगतान करेगा और प्रत्येक महीने की 10 तारीख से पहले सम्बद्ध जोन/क्षेत्र के सामुदायिक सेवा ब्यूरो काउंटर पर विक्रय शुल्क अग्रिम रूप में जमा कराएगा। यदि महीने की 10 तारीख को कोई सार्वजनिक अवकाश होगा, तो अगले कार्य दिवस को भुगतान की अंतिम तारीख समझा जाएगा।

4.1.2 भुगतान में विलंब के लिए 1 प्रतिशत प्रतिदिन मासिक वेंडिंग शुल्क की दर से (या टीवीसी द्वारा निर्देशित टाउन वेंडिंग जोन के तहत निर्धारित किया जायेगा) दंड प्रभार वसूल किया जाएगा। यदि 6 (छः) महीने से अधिक विलंब होगा, तो एक कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद पटरी विक्रेता का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

4.1.3 स्थानीय निकाय संपत्ति कर के वर्गीकरण के अनुसार विक्रय क्षेत्र का वर्गीकरण कर सकता है और निम्नांकित अनुसार मासिक विक्रय शुल्क निर्धारित कर सकता है :–

श्रेणी	विक्रय शुल्क (रुपये प्रति माह)			
	अचल विक्रेता	चल विक्रेता		अन्य विक्रेता
श्रेणी				अस्थाई विक्रेता
				(त्यौहार/मेले जैसे अवसर)
		चलते फिरते विक्रेता और साप्ताहिक बाजार विक्रेता	भ्रमणशील विक्रेता	
क	5000	2500	750	2500
ख	4000	2000	750	2000
ग	3000	1500	750	1500
घ	2500	1250	600	1250
ड़	500	750	300	1000
च	400	750	250	750
छ	300	500	200	500
ज	200	300	150	300

4.1.4 विभिन्न श्रेणियों की कालोनियों/क्षेत्रों में प्रचालित विक्रेता को स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित श्रेणी के अनुसार शुल्क अदा करना होगा।

4.1.5 पुनर्स्थापन के मामले में, पटरी विक्रेता सीओवी की वैधता की शेष अवधि के लिए नए स्थल/स्थान की कालोनी की श्रेणी के अनुसार लाइसेंस शुल्क अदा करेगा।

4.1.6 टीवीसी को समय समय पर विक्रय शुल्क बढ़ाने के अधिकार होंगे; अथवा विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष विक्रय शुल्क निर्धारित करने के अधिकार होंगे, जो सरकार की पूर्व मंजूरी के बाद अधिसूचित किए जाएंगे। खंड 4.1.3 में निर्धारित विक्रेता की श्रेणी की ऊपरी सीमा बढ़ाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी।

4.1.7 विकलांगजन और महिला विक्रेताओं के मामले में 25 प्रतिशत छूट की अनुमति होगी।

4.1.8 विक्रेता शुल्क की बकाया राशि की वसूली : यदि कोई पटरी विक्रेता निर्धारित तारीख तक विक्रय शुल्क अदा करने में विफल रहता है, तो टीवीसी निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार विक्रय शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती है।

(क) सम्बद्ध टीवीसी द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी/टीवीसी पटरी विक्रेता को नोटिस जारी करके विलंब प्रभार सहित बकाया विक्रेता शुल्क का भुगतान नोटिस में निर्दिष्ट तारीख तक करने अथवा भुगतान में विफलता का उचित कारण बताने की मांग करेगा।

(ख) यदि विक्रेता भुगतान में विफलता के लिए उचित कारण बताता है, तो टीवीसी संक्षेप में कारण की जांच करेगी और स्थानीय निकाय को सूचना देते हुए तदनुरूप कार्रवाई करेगी।

(ग) टीवीसी की कार्रवाई में अन्य बातों के अलावा निम्नांकित शामिल होंगी : सामान/बर्तन और अन्य वस्तुएं जब्त करना, जब्त की गई वस्तुओं (यदि कोई हों), को छोडना; पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई शुरू करना आदि।

4.2. **बैंकों के जरिए, स्थानीय प्राधिकरणों के काउंटरों और टीवीसी के काउंटरों पर विक्रय शुल्क, रख–रखाव प्रभार और पंजीकरण के लिए जुर्माना वसूल करने, चलते फिरते स्टालों के लिए पार्किंग स्थल का उपयोग और नागरिक सेवाओं का लाभ उठाने का तरीका :**

4.2.1 बैंकों को शुल्क वसूल करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो बाद में उसे स्थानीय निकाय में जमा कर सकते हैं।

4.2.2 विक्रय शुल्क का भुगतान स्थानीय निकाय में निर्दिष्ट स्थानों पर भी किया जा सकता है।

4.2.3 स्थानीय निकाय आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक प्रबंध कर सकता है।

4.3 **विक्रय प्रमाणपत्र की वैधता अवधि :**

4.3.1 विक्रय प्रमाणपत्र की वैधता अवधि शुरू में इसके जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की होगी। उसके बाद हर तीन वर्ष में उसका नवीकरण किया जाएगा। विक्रय प्रमाणपत्र की वैधता की कुल अवधि 9 वर्ष होगी, जिसमें नवीकरण अवधियां शामिल मानी जाएंगी, बशर्ते अधिनियम/कार्यक्रम के नियमों के प्रावधानों का कोई उल्लंघन न हुआ हो। कानूनी वारिसों को विक्रय प्रमाणपत्र का अंतरण नया विक्रय प्रमाणपत्र नहीं समझा जाएगा और अधिकतम वैधता मूल विक्रेता को जारी किए जाने की तारीख से 9 वर्ष ही रहेगी।

4.4 **विक्रय प्रमाणपत्र के नवीकरण की अवधि और तरीका तथा नवीकरण के लिए शुल्क :**

4.4.1 विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने की प्रारंभिक तारीख से 3 वर्ष की अवधि हेतु नवीकृत किया जाएगा। नवीकृत अवधि सहित लाइसेंस की वैधता की कुल अवधि 9 वर्ष होगी।

4.4.2 पंजीकृत पटरी विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए उसकी समाप्ति तारीख से कम से कम 3 महीने पहले टीवीसी/स्थानीय निकाय में आवेदन करना होगा।

4.4.3 टीवीसी/स्थानीय निकाय का निर्दिष्ट अधिकारी नवीकरण के लिए विक्रय प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और उसकी पावती रसीद विक्रेता को देगा।

4.4.4 नोडल/निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र पर प्रविष्टि के जरिए नवीकरण किया जाएगा और नवीकृत विक्रय प्रमाणपत्र विक्रेता को व्यक्तिगत तौर पर हाथों–हाथ सौंप दिया जाएगा अथवा आवेदन प्रपत्र में वर्णित उसके आवासीय पते पर डिस्पैच कर दिया जाएगा।

4.4.5 पटरी विक्रेता द्वारा देय नवीकरण शुल्क जो कि निर्धारित जोन की मासिक शुल्क एक चौथाई हिस्सा होगा (25 प्रतिशत), नवीकरण का आवेदन जमा कराने के समय देय होगी।

4.4.6 स्थाई अचल स्थल/चलते फिरते विक्रेता के लिए जारी विक्रय प्रमाणपत्र का नवीकरण एक बार में 3 वर्ष के लिए किया जाएगा।

4.4.7 यदि किसी व्यक्ति को किसी पटरी विक्रेता के नवीकरण संबंधी आवेदन पत्र में या किसी आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के बारे में कोई दावा/आपत्ति हो तो वह, आवेदन पर सीओवी जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपना दावा/आपत्ति टीवीसी के साथ दर्ज कर सकता है। नगर पटरी विक्रय समिति (टीवीसी) भी अपने स्टाफ के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से ऊपर वर्णित दावे/आपत्तियां प्राप्त होने के समय किसी आवेदन की जांच करा सकती है और विक्रय प्रमाणपत्र को नवीकृत करने से पहले उपरोक्त दावों/आपत्तियों को ध्यान में रखा जाएगा।

अध्याय–5

5.1 विक्रय प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द किया जाने का तरीका

5.1.1 निर्दिष्ट अधिकारी (नगर पटरी विक्रेता समिति द्वारा निर्दिष्ट) अन्य आधारों के अलावा निम्नांकित स्थितियों में विक्रय प्रमाणपत्र (सीओवी) को निलंबित या रद्द कर सकता है :–

I. पटरी विक्रेता स्थल का अनधिकृत रूप से परिवर्तन ;

II. देनदारियों का भुगतान न करना ;

III. संक्रामक रोग से पीड़ित पाए गए पटरी विक्रेता जोकि निर्धारित स्वास्थ्य निकाय द्वारा प्रमाण पत्र देने में असमर्थ है जो कि दर्शाए की वह ईलाइज ले रहा है और जोखिम से परे है ;

IV. पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र प्रदान करने की शर्तों का उल्लंघन ;

V. आवंटित स्थल का पटरी विक्रेता द्वारा विस्तार करना ;

VI. पड़ोसियों के प्रति उदंड व्यवहार और परेशानी पैदा करना ;

VII. पटरी विक्रेता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र में मिथ्या कथन ; और

VIII. नैतिक पतन और अन्य शर्तों के उल्लंघन सहित किसी अपराध की दोषसिद्धि /

5.1.2 निलंबन या रद्द करने की प्रक्रिया टीवीसी द्वारा संचालित की जाएगी।

5.1.3 इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत और विक्रय प्रमाणपत्र धारक पटरी विक्रेता यदि पंजीकरण और/या विक्रय प्रमाणपत्र की किन्हीं शर्तों अथवा अधिनियम के अंतर्गत पटरी विक्रय नियमन के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, अथवा अगर यह प्रकाश में आता है कि पटरी विक्रेता द्वारा पंजीकरण और/या विक्रय प्रमाणपत्र गलत बयानी या धोखाधड़ी से हासिल किया गया है, अथवा उसने तीन महीने से अधिक समय से विक्रय शुल्क अदा नहीं किया है, अथवा वह नैतिक पतन सहित किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया गया है, तो पटरी विक्रेता नगर समिति (टीवीसी) विक्रय प्रमाणपत्र रद्द करने से पहले प्रारंभिक जांच करेगी।

5.1.4 टीवीसी प्रारंभिक जांच के दौरान पटरी विक्रेता को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करेगी।

5.1.5 प्रारंभिक जांच की कार्रवाई समरी किस्म की होगी। प्रारंभिक जांच के बाद अगर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया उल्लंघन, गलत बयानी, धोखाधड़ी और कार्य शर्तें भंग होने का मामला बनता है, तो निर्दिष्ट अधिकारी पटरी विक्रेता का पंजीकरण और विक्रय प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द कर सकता है और इसकी रिपोर्ट टीवीसी को भेज सकता है।

5.1.6 टीवीसी निर्दिष्ट अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगी और, पटरी विक्रेता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, उसका पंजीकरण और विक्रय प्रमाणपत्र निरस्त/निलंबित या अन्य कोई कदम उठाने का निर्णय करेगी।

5.1.7 छिटपुट उल्लंघन के मामले में, टीवीसी रु. 2000/– तक जुर्माना कर सकती है और विक्रय प्रमाणपत्र रद्द करने की बजाय चेतावनी जारी कर सकती है अथवा ऐसे उल्लंघनों को विनियमित करने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि हेतु विक्रय प्रमाणपत्र को स्थगित कर सकती है।

अध्याय–6

6.1 पटरी विक्रेताओं की श्रेणियां

6.1.1 विक्रेताओं की निम्नांकित विषय श्रेणियां होंगी :

1. अचल/स्थिर विक्रेता
2. चलते फिरते विक्रेता या भ्रमणशील विक्रेता
3. अन्य (दैनिक/साप्ताहिक/त्यौहार/मेला बाजार/अस्थाई आदि, स्थानीय निकाय द्वारा जिस भी श्रेणी में रखा जाए)।

6.1.2 अचल पटरी विक्रेता का अर्थ है, जो विक्रय स्थल पर बिना किसी नियत ढांचे (अस्थाई या स्थाई) के एकल स्थान/स्थल से दिन भर विक्रय को अंजाम देते हैं।

6.1.3 चलते फिरते या भ्रमणशील विक्रेताओं का अर्थ है, ऐसे विक्रेता, जो पैदल चल कर विक्रय करते हैं। इनमें वे भी शामिल हैं, जो अपने सिर/कंधे पर टोकरी लटकाए सामान बेचते हैं। चलते फिरते विक्रेताओं में वे भी शामिल हैं, जो रेहड़ी, साइकिल या मोटरयुक्त वाहन पर मोबाइल यूनिटों के जरिए सामान या सेवाएं बेचते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं।

6.1.4 साप्ताहिक बाजार विक्रेताओं का अर्थ है ऐसे विक्रेता जो साप्ताहिक बाजारों में हिस्सा लेते हैं और साप्ताहिक बाजारों में अपना सामान/सेवाएं विक्रय करते हैं।

6.1.5 अस्थाई पटरी विक्रेताओं का अर्थ है, ऐसे विक्रेता जो सामान्यतः पटरी विक्रय नहीं करते हैं, परंतु विशेष अवसरों और सत्रों जैसे त्यौहारों या मेलों में अपना सामान अल्पावधि के लिए पटरी विक्रेताओं के रूप में बेचते हैं।

6.1.6 रात्रि बाजार विक्रेता का अर्थ है, ऐसे विक्रेता जो स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान रात्रि बाजार में सामान बेचते हैं।

6.1.7 स्थानीय निकाय विक्रेताओं की सेवाओं की मांग को देखते हुए अस्थाई 'विक्रेता बाजारों' जैसे साप्ताहिक हाटों, रेहड़ी बाजारों, रात्रि बाजारों, त्यौहार बाजारों, खानपान गलियों/पटरी भोजन बाजारों के लिए ऐसे उपयुक्त स्थलों पर पर्याप्त स्थान आवंटित करेगा, जिनका इस्तेमाल अन्य समय में भिन्न प्रयोजनों जैसे सार्वजनिक उद्यानों, प्रदर्शनी मैदानों, पार्किंग लॉट आदि के लिए किया जाता है। विक्रय पर समय संबंधी प्रतिबंध इस बात को ध्यान में रख कर लगाए जाएंगे कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ न होना/सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। यदि उपलब्ध स्थान के अनुपात में पटरी विक्रेताओं की संख्या अधिक होगी, तो स्थान की राशनिंग करनी होंगी। निर्धारित शुल्क के साथ रात के समय प्रचुर पार्किंग स्थल भी प्रदान करना होगा, ताकि चलते फिरते विक्रेताओं के वाहनों और साजो सामान के लिए जगह दी जा सके।

6.1.8 कोई विक्रेता एक से अधिक विक्रय श्रेणी के लिए पंजीकरण/विक्रय प्रमाणपत्र जारी कराने का हकदार नहीं होगा।

6.1.9 ऐसे विक्रेताओं को, जो एक नियत पक्के अचल ढांचे (सरकार या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा आवंटित) से अपना सामान बेचते हैं, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत दुकान समझा जाएगा। ऐसे विक्रेताओं को पटरी विक्रेता नीति का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, जो ऐसे पक्के अचल ढांचे (अस्थाई या स्थाई), चाहे वह अधिकृत हो या अनधिकृत हो, से सामान बेचते हैं।

6.2 विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए वरीयता में शामिल अन्य व्यक्तियों की श्रेणियां :

विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने में निम्नांकित श्रेणियों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी

(i) विकलांगजन : सभी श्रेणियों में विक्रय स्थलों का 3 प्रतिशत आवंटन किया जाएगा। उपरोक्त श्रेणी में 3 प्रतिशत के इस वरीयता आवंटन के लिए सक्षम सरकारी चिकित्सा प्राधिकारियों (सम्बद्ध प्रचलित अधिनियम में परिभाषित अनुसार) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र (फोटोग्राफ सहित) प्रस्तुत करना होगा।

(ii) महिलाएं : सभी श्रेणियों में विक्रय स्थलों के एक तिहाई स्थल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस श्रेणी में विधवाओं को वरीयता दी जाएगी।

6.3 जनहित में किसी पटरी विक्रेता को पुनर्स्थापित करने का निर्णय टीवीसी द्वारा किया जाएगा और पटरी विक्रेता के पुनर्स्थापन का तरीका इस प्रकार होगा :

6.3.1 विक्रय प्रमाणपत्र प्राप्त पटरी विक्रेता का पुनर्स्थापन, केवल असाधारण परिस्थितियों और किसी विक्रय जोन या उसके किसी हिस्से को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए गैर–विक्रय जोन घोषित किए जाने की स्थिति में किया जाएगा। इन प्रयोजनों में किसी जनहित परियोजना का विकास, सुरक्षा संबंधी सरोकार, यातायात की भीड़भाड़, महामारी फैलना और प्राकृतिक आपदा/अन्य स्वास्थ्य कारणों, क्षेत्र की स्वच्छता या कोई अन्य वैध कारण शामिल हैं।

6.3.2 प्रभावित पटरी विक्रेता को यथासंभव, उसी अथवा निकटवर्ती विक्रय जोन में और उसी प्रकार के विक्रय में समायोजित करने के प्रयास किए जाएंगे, जो विक्रय प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट हो, परंतु ऐसा करना वैकल्पिक स्थल पर विक्रय स्थान की उपलब्धता के अधीन होगा।

6.3.3 प्रभावित पटरी विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थान से पुनः स्थापित करने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा, जो पटरी विक्रेता के पत्राचार के पते पर पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा और उसे उसी स्थल पर या निकटवर्ती विक्रय जोन में कम से कम 3 विकल्प दिए जाएंगे। विक्रय प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट विक्रय जोन में यदि समान प्रकार के 3 वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं होंगे, तो प्रभावित पटरी विक्रेता को पटरी विक्रय की अन्य श्रेणियों में विकल्प दिए जाएंगे। यदि समान पुनर्स्थापन स्थल को चुनने वाले विक्रेता एक से अधिक होंगे, तो स्थल के बारे में निर्णय ड्रॉ आफ लॉट्स के जरिए किया जाएगा और दूसरा वैकल्पिक स्थल अन्य विक्रेता को आवंटित कर दिया जाएगा, जिसे अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत उपबंधित अनुसार चुना हुआ स्थल प्राप्त नहीं हुआ है।

6.3.4 नोटिस अवधि समाप्त होने पर या उससे पहले, पटरी विक्रेता उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंद की जानकारी लिखित रूप में टीवीसी को देगा। यदि पटरी विक्रेता अपनी पसंद से अवगत कराने में विफल रहता है, तो टीवीसी नए विक्रय स्थल/स्थान की जांच के बाद उपयुक्त समझे गए स्थल का उल्लेख करते हुए पुनर्स्थापन आदेश जारी करेगी, जिसमें ओवर स्टे और समय पर स्थान खाली न करने के लिए प्रतिदिन रु. 250/– के प्रभार, यदि कोई हो, का भी आदेश होगा।

6.4 पटरी विक्रेता से स्थान खाली कराने का तरीका

6.4.1 ऐसा पटरी विक्रेता जिसका विक्रय प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया हो, अथवा पुनर्स्थापन के मामले में जिसके नोटिस की अवधि समाप्त हो गई हो, अथवा जिसके पास विक्रय प्रमाणपत्र न हो, और वह ऐसे प्रमाणपत्र से रहित विक्रय कर रहा हो, को स्थान खाली करने और वहां विक्रय न करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। यदि ऐसा पटरी

विक्रेता यातायात में रुकावट, कानून व्यवस्था में समस्या और उपद्रव और अस्वास्थ्यकर स्थितियां आदि पैदा कर रहा हो, तो उसे कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी।

6.4.2 विक्रेता का उत्तर : उसके मौखिक बयान पर विचार किया जाएगा और पटरी विक्रेता के रूप में उससे स्थान खाली कराने या न कराने के बारे में निर्णय किया जाएगा। यदि खाली कराने का निर्णय किया जाता है, तो विक्रेता से कहा जाएगा कि वह 3 दिन के भीतर अपना सामान समेट कर स्थान छोड़ दे। यदि वह स्थान नही छोड़ता/छोड़ती है, तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा और एक सूची तैयार की जाएगी, जिसकी प्रति विक्रयकर्ता को स्थल पर ही दे दी जाएगी, ऐसा न हो पाने पर स्पीड पोस्ट से उसके पंजीकृत पते पर भेज दी जाएगी। आवश्यकता अनुसार पुलिस सहायता ली जा सकती है। जब्त किया गया सामान स्थानीय निकाय के भंडार में जमा करा दिया जाएगा और सम्बद्ध व्यक्ति के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क वसूल करने के बाद जारी कर दिया जाएगा।

6.5 पटरी विक्रेता से स्थान खाली कराने के लिए उसे नोटिस देने का तरीका :

6.5.1 खाली कराने का नोटिस स्थानीय भाषा में देने की वरीयता दी जाएगी, जिसे विक्रेता द्वारा आसानी से समझा जा सके और यदि पटरी विक्रेता निरक्षर हो तो नोटिस में वर्णित ज्ञात उल्लंघनों की उसे मौखिक जानकारी दी जाएगी।

6.5.2 यदि विक्रेता नोटिस लेने से इंकार करता है अथवा नोटिस देना व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है, तो नोटिस विक्रय स्थल पर ऐसे स्थान पर चिपका दिया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ऐसा करने पर यह समझा जाएगा कि नोटिस दे दिया गया है।

6.6 स्थान खाली करने में विफल रहने पर किसी पटरी विक्रेता को भौतिक रूप से हटाने का तरीका:

6.6.1 यदि नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद कोई विक्रेता स्थान खाली करने में विफल रहता है, तो रेहड़ी, कंटेनर और स्टैंड सहित उसका सामान, बर्तन और अन्य वस्तुएं जब्त कर ली जाएंगी और हटा दी जाएंगी तथा सार्वजनिक स्थल पर विक्रेता द्वारा बनाया गया ढांचा गिरा दिया जाएगा।

6.6.2 हटाए जाने की कार्रवाई से पहले और बाद में स्थल/स्थान के फोटोग्राफ लिए जाएंगे और तत्संबंधी रिपोर्ट टीवीसी को भेजी जाएगी।

6.7 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा वस्तुएं जब्त करने की तैयारी और सूची जारी करने सहित वस्तुओं को जब्त करने का तरीका :

6.7.1 निर्दिष्ट अधिकारी जब्त किए गए सामान/वस्तुओं का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करेगा।

6.7.2 जब्त की गई वस्तुओं की सूची दो प्रतियों में तैयार की जाएगी और सूची की डुप्लीकेट प्रति विक्रेता को जारी की जाएगी। जब्त की गई वस्तुओं की सूची की प्रति में अधिकारी का नाम, उसका पदनाम और कार्यालय का पता तथा उस स्थान के पते का उल्लेख किया जाएगा, जहां से वस्तुओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जब्ती ज्ञापन का प्रारूप अनुलग्नक 'घ' में दिया गया है।

6.8 जब्त की गई वस्तुएं पटरी विक्रेता द्वारा पुनः प्राप्त करने और तत्संबंधी शुल्क अदा करने का तरीका :

6.8.1 जब्त की गई वस्तुओं को छुड़वाने के लिए आवेदन, खराब हो जाने वाली वस्तुओं के मामले में उसी दिन प्रस्तुत करने और खराब न होने वाली वस्तुओं के मामले में जब्ती से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। इस अवधि के बाद जब्त की गई वस्तुओं से पटरी विक्रेता का अधिकार समाप्त हो जाएगा और स्थानीय निकाय को उन वस्तुओं की बिक्री या नीलामी करने का अधिकार होगा।

6.8.2 खराब हो जाने वाली जब्त वस्तुएं 24 घंटे के भीतर छोड़ी जाएंगी और जब्त न होने वाली वस्तुएं पटरी विक्रेता द्वारा दावा करने के 3 दिन के भीतर छोड़ दी जाएंगी, बशर्ते निर्धारित शुल्क या जुर्माना अदा कर दिया गया हो, जो स्थानीय निकाय के पास जमा कराना होगा। यदि कोई खराब होने वाली/खाद्य वस्तु अस्वास्थ्यकर/नष्ट/गली हुई या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, तो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाएगा और दावा करने वाले को कोई मुआवजा अदा नहीं किया जाएगा।

6.8.3 भंडारण प्रभार : जब्त किए गए विक्रय सामान पर भंडारण प्रभार निम्नांकित दरों से लगाए जाएंगे

भंडारण प्रभार (रुपये में)	
100 कि.ग्रा. भार तक (24 घंटे) प्रति दिन	रु. 250/–
100 कि.ग्रा. भार से अधिक (24 घंटे) प्रति दिन	रु. 500/–
साइकिल उठाना	रु. 50/–
स्कूटर/मोटर साइकिल उठाना	रु. 300/–
कार/वैन/जीप उठाना	रु. 500/–
व्यावसायिक वाहन/व्यावसायिक गतिविधियों से सम्बद्ध वाहन हटाना	रु. 3000/–

अध्याय – 7

7.1 **टीवीसी की गतिविधियों की सामाजिक लेखा परीक्षा करने का स्वरूप और तरीका :**

7.1.1 सरकार सामाजिक लेखा परीक्षा को अंजाम देने के लिए एक स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा यूनिट (आईएसएयू) का गठन करेगी। सामाजिक लेखा परीक्षा यूनिट में विशेषज्ञ, विशिष्ट नागरिक, पटरी विक्रेताओं और बाजार असोसिएशनों के प्रतिनिधि तथा आयोजना में अनुभव रखने वाले एवं पटरी विक्रेताओं एवं समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले अन्य व्यवसायी शामिल हो सकते हैं।

7.1.2 सामाजिक लेखा परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य कराई जाएगी। इसका कार्यक्रम स्थानीय निकाय और टीवीसी द्वारा तय किया जाएगा।

7.1.3 टीवीसी सम्बद्ध सूचना का विवरण सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ होने से कम से कम एक महीना पहले प्रदान करेगी। दी जाने वाली जानकारी में निम्नांकित बातें शामिल होंगी :

क. पटरी विक्रेताओं के लिए योजना और कार्यक्रम;

ख. पटरी विक्रेता चार्टर;

ग. अधिनियम, नियमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति;

घ. सरकार और स्थानीय निकायों को भेजे गए विवरण;

ङ. टीवीसी द्वारा लेखा परीक्षा अवधि के दौरान संचालित की गई बैठकों में पारित प्रस्ताव और कार्यवृत्तों का रिकार्ड;

च. पंजीकृत एवं विक्रय प्रमाणपत्र प्राप्त पटरी विक्रेताओं का रिकार्ड;

छ. उन व्यक्तियों का ब्यौरा जिन्हें पंजीकरण नहीं दिया गया और पटरी विक्रेताओं की प्रतीक्षा सूची में रखा गया;

ज. स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष दाखिल की गई अपीलों का रिकार्ड;

झ. विवाद निवारण समिति के समक्ष लाई गई सभी शिकायतों/विवादों का रिकार्ड;

ञ वर्ष विशेष में, पटरी विक्रेताओं के पुनर्स्थापन और हटाने तथा उनकी वस्तुएं जब्त किए जाने के मामलों की कुल संख्या और अन्य विवरण ;

ट प्रतिबंध मुक्त/प्रतिबंधित/विक्रय निषेध/टाइम शेयरिंग आधार वाले जोनों की सूची;

ठ लेखा परीक्षा अवधि के दौरान जोड़े गए विक्रय जोन और बाजार; और

ड पिछली सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें (यदि कोई हों)?

7.1.4 सामाजिक लेखा परीक्षा यूनिट अधिनियम, योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर पटरी विक्रेताओं के साथ बैठकों और संकेंद्रित समूह वार्तालापों का आयोजन करेगी। सामाजिक लेखा परीक्षा यूनिट पटरी विक्रेताओं की कठिनाइयों के बारे में लिखित शिकायतें रिकार्ड करेगी। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया संपन्न होने पर सामाजिक लेखा परीक्ष यूनिट उसके निष्कर्ष को लिखित रूप में दर्ज करेगी।

7.1.5 सामाजिक लेखा परीक्षा यूनिट एक सार्वजनिक सभा आयोजित करेगी, जिसमें टीवीसी के सदस्य और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि मौजूद होंगे और पटरी विक्रेता भी भाग लेंगे। सामाजिक लेखा परीक्षा यूनिट इस बैठक में अपने निष्कर्ष पढ़ कर सुनाएगी। पटरी विक्रेताओं को प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और टीवीसी सामाजिक लेखा परीक्षा के दौरान पहचान किए गए प्रत्येक मुद्दे के बारे में प्रभावित पक्ष और जनता के समक्ष सफाई और/या स्पष्टीकरण देगी कि कोई कार्रवाई क्यों की गई या क्यों नहीं की गई।

7.1.6 स्थानीय निकाय सार्वजनिक सूचना के जरिए सामाजिक लेखा परीक्षा संबंधी सार्वजनिक सभा का समुचित नोटिस देगी।

7.1.7 सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए बजट स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित किया जाएगा।

7.2 **टीवीसी, स्थानीय निकाय, आयोजना प्राधिकारी और राज्य टीवीसी द्वारा पटरी विक्रेताओं के बारे में समुचित रिकार्ड और अन्य दस्तावेज रखे जाने का तरीका :**

7.2.1 नगर विक्रय समिति (टीवीसी) द्वारा निम्नांकित अद्यतन रिकार्ड इलेक्ट्रोनिक रूप में अथवा हस्तलिखित अथवा दोनों रूपों में रखे जाएंगे :

(i) पटरी विक्रेता रजिस्टर;

(ii) जारी किए गए सीओवी (ब्यौरे सहित);

(iii) पटरी विक्रेताओं की प्रतीक्षा सूची -- जिन्हें सीओवी जारी नहीं किया गया;

(iv) धारण क्षमता सहित सभी विक्रय क्षेत्रों की सूची;

(v) उपलब्ध स्थल/स्थान (स्थानीय निकाय/विक्रय क्षेत्रवार);

(vi) बैठक के रिकार्ड और कार्यवृत्त;

(vii) टीवीसी के प्रस्ताव;

(viii) उपस्थिति रजिस्टर;

(ix) पारिश्रमिक रजिस्टर;

(x) रोकड लेखा बही और सामान्य खाता ;

(xi) पंजीकरण और सीओवी रद्द करने संबंधी रिकार्ड;

(xii) सामाजिक लेखा परीक्षा, प्रोत्साहन विषयक उपायों और जागरूकता अभियानों का रिकार्ड; और

(xiii) टीवीसी के सदस्यों की कार्मिक फाइलें।

दिल्ली पटरी विक्रेता नियम – 2016 के नियम 25 में वर्णित अन्य सभी मामले :

स्थानीय निकाय द्वारा

(i) पटरी विक्रेता रजिस्टर;

(ii) पंजीकरण से इंकार किए गए आवेदक;

(iii) आयोजित किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा;

(iv) जारी किए गए सीओवी (ब्यौरे सहित);

(v) पटरी विक्रेताओं की प्रतीक्षा सूची – जिन्हें सीओवी जारी नहीं किया गया;

(vi) मांग और संग्रह रजिस्टर;

(vii) प्रत्येक पटरी विक्रेता की व्यक्तिगत फाइलें;

(viii) सीओवी के निलंबन/निरसन;

(ix) नियम, कार्यक्रम, परिपत्र, प्रस्ताव, दिशा निर्देश और अनुदेश;

(x) प्रतिबंध–मुक्त, प्रतिबंधित और विक्रय निषेध–क्षेत्र की सूची;

(xi) टाइम शेयरिंग आधार वाले विक्रय क्षेत्रों की सूची;

(xii) विक्रय क्षेत्रों की धारण क्षमता;

(xiii) शिकायत निवारण समिति के सदस्यों के रिकार्ड; और

(xiv) टीवीसी/अन्य समितियों के सभी खर्चों के रिकार्ड।

अध्याय–8

8.1 ऐसी स्थितियां, जिनमें निजी स्थानों को प्रतिबंध मुक्त–विक्रय, प्रतिबंधित–विक्रय क्षेत्र और विक्रय–निषेध क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है :

8.1.1 भूमि/संपत्ति मालिकों/आरडब्ल्यूएज/जिला केंद्रों की मार्किट असोसिएशनों, जो भी लागू हो, से अनापत्ति प्रमाणपत्र और टीवीसी की अनुशंसा के अनुसार निजी स्थानों को प्रतिबंध मुक्त/प्रतिबंधित/विक्रय–निषेध क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, बशर्ते स्थानीय निकाय/एजेंसी और स्थानीय पुलिस/यातायात पुलिस और आरडब्ल्यूए/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से अनापत्ति प्रमाणपत्र ले लिया गया हो।

8.1.2 निजी स्थानों पर विक्रय का आधार संरक्षा, सुरक्षा, यातायात की शर्तें, सामान्य शोर–शराबा और आरडब्ल्यूए/बाजार असोसिएशनों से मांग को बनाया जाएगा।

8.2 सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का अनुपालन करने के मानदंड सहित पटरी विक्रय के लिए कार्यशर्तें :

8.2.1 विक्रेता विक्रय स्थल पर अपना विक्रय प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा और हर समय बायोमीट्रिक स्मॉर्ट पहचानकार्ड अपने पास रखेगा/रखेगी।

8.2.2 विक्रेता पटरी और आसपास के विक्रय स्थल को स्वच्छ रखेगा। वह कचरे का एक डिब्बा अपने विक्रय स्थल के निकट रखेगा ताकि उसके ग्राहकों/अन्य लोगों द्वारा कचरा संग्रह किया जा सके। वह समय समय पर कचरे के डिब्बे को स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर खाली करेगा।

8.2.3 विक्रेता विक्रय क्षेत्र/विक्रय बाजार और आसपास के क्षेत्र में जन–स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देगा। वह विक्रय क्षेत्र/स्थल पर कचरे के सामूहिक निपटान को प्रोत्साहित करने में योगदान करेगा/करेगी। विक्रेता नाली, सड़क के किनारे, खुले क्षेत्रों अथवा किसी अन्य अनधिकृत स्थान पर कचरा नहीं डालेगा/डालेगी।

8.2.4 वह अपने सभी साजो–सामान को आवंटित स्थल तक सीमित रखेगा। विक्रय स्थल से किसी प्रकार के उभार, विस्तार की अनुमति नहीं होगी।

8.2.5 कोई विक्रेता अपने विक्रय स्थल पर नियत ढांचा (अस्थाई या स्थाई) खड़ा नहीं करेगा/करेगी। वह केवल चल वस्तुएं (जैसे छाता, तिरपाल, कार्टन आदि) इस्तेमाल कर सकता है, जिन्हें तत्काल हटाया जा सके।

8.2.6 पटरी विक्रेता सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा/करेगी और अपनी स्वीकार्य सीमाओं से आगे नहीं बढ़ेगा/बढ़ेगी।

8.2.7 विक्रेता पैदल यात्रियों और यातायात की मुक्त आवाजाही में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा/करेगी। विक्रेता सड़क/गली (यदि गली में विक्रय किया जा रहा हो) के किनारे से अपना कार्य संचालन करेगा/करेगी और यातायात अथवा पैदल यात्रियों अथवा मोटरयुक्त वाहनों के सुचारू आवागमन में कोई रुकावट नहीं डालेगा/डालेगी। वह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि उसके ग्रहक विक्रय स्थल के आसपास अनधिकृत पार्किंग न करें।

8.2.8 विक्रेता आपत्तिजनक, जोखिमपूर्ण और प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुएं नहीं बेचेगा/बेचेगी।

8.2.9 पटरी विक्रेता विक्रय स्थल पर कोई अनधिकृत/अवैध गतिविधि संचालित नहीं करेगा/करेगी और किसी अनधिकृत विक्रेता के माध्यम से कोई वस्तु नहीं बेचेगा/बेचेगी। वह विक्रय स्थल को किराए पर नहीं देगा।

8.2.10 पटरी विक्रेता सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा/पहुंचाएगी। विक्रय के दौरान लापरवाही के कारण यदि सार्वजनिक संपत्ति को कोई क्षति पहुंचती है, तो पटरी विक्रेता स्वयं की लागत पर तत्काल उसकी मरम्मत कराएगा/कराएगी।

8.2.11 विक्रेता किसी ऐसे स्थान पर कब्जा नहीं करेगा/करेगी अथवा ऐसे स्थान पर नहीं ठहरेगा/ठहरेगी, जो पटरी विक्रय के लिए प्रतिबंधित हो। चलते फिरते विक्रेता अपने फेरी क्षेत्र/विक्रय क्षेत्र के भीतर किसी एक स्थान पर 30 मिनट से अधिक नहीं रुकेंगे। विक्रेता गैर–विक्रय क्षेत्र में नहीं रुकेगा अथवा विक्रय नहीं करेगा।

8.2.12 विक्रेता स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय का अनुपालन करेगा।

8.2.13 खाद्य वस्तुएं बेचने वाला/वाली पटरी विक्रेता स्थानीय निकाय के स्वास्थ्य अधिकारी के सम्बद्ध कार्यालय से स्वास्थ्य ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करेगा/करेगी।

8.2.14 पटरी विक्रेता नाली, सड़क के किनारे, खुले क्षेत्र में अथवा किसी अन्य अनधिकृत स्थान पर कोई कचरा नहीं डालेगा/डालेगी।

8.2.15 पटरी विक्रेता स्थानीय कानून के प्रावधानों और अदालती निर्देशों का अनुपालन करेगा।

8.3 टाइम शेयरिंग आधार पर विक्रय गतिविधियों को अंजाम देने का तरीका

8.3.1 नगर विक्रय समिति किसी विशेष क्षेत्र के लिए जबर्दस्त मांग को देखते हुए ऐसे विक्रय क्षेत्रों की अनुशंसा करेगी, जिन्हें टाइम शेयरिंग आधार पर विक्रय के लिए अधिसूचित किया जा सकता है।

8.3.2 निर्दिष्ट क्षेत्रों में विक्रय स्थलों की संख्या और स्थान चाहने के इच्छुक विक्रेताओं की संख्या के अनुसार साप्ताहिक बाजार/सप्ताहांत बाजार पहले आओ, पहले पाओ आधार पर संचालित किए जाएंगे।

8.3.3 सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्टों जैसे क्षेत्रों में बरामदों या पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल नियमित बाजार बंद होने के बाद विक्रेता बाजारों के रूप में किया जा सकता है। ऐसे बाजारों का संचालन सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित समय पर रोस्टर आधार अथवा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जा सकता है। नगर विक्रय समिति और स्थानीय निकाय द्वारा उपयुक्त शर्तों के साथ ऐसे बाजार संचालित किए जा सकते हैं।

8.4. प्रतिबंध–मुक्त–विक्रय क्षेत्र, प्रतिबंधित–विक्रय क्षेत्र और विक्रय निषेध क्षेत्र के रूप में विक्रय क्षेत्रों के निर्धारण के सिद्धांत :

8.4.1 स्थानीय निकाय द्वारा लगाई गई शर्तों और प्रतिबंधों एवं नगर विक्रय समिति द्वारा पुष्टि के अधीन उन स्थानों को विक्रय क्षेत्र के रूप में आवंटित करने पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा, जो स्वाभाविक बाजार हैं, परंतु इसके लिए यातायात भीड़भाड़/संबंधित मुद्दों और कानून व्यवस्था की समस्याओं के मुद्दों पर पुलिस/स्थानीय पुलिस की अनुमति आवश्यक होगी।

8.4.2 टीवीसी की पुष्टि के साथ स्थानीय निकायों की कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन परंपरागत साप्ताहिक बाजार स्थलों पर भी हफ्ते के विशेष दिनों और समय अनुसार पटरी विक्रय की अनुमति दी जा सकती है।

8.4.3 प्रतिबंध मुक्त/प्रतिबंधित/विक्रय निषेध/टाइम शेयरिंग आधारित विक्रय क्षेत्र की घोषणा के लिए प्रक्रिया :

क. कोई भी पंजीकृत पटरी विक्रेता संघ किसी मार्ग/भूमि को विक्रय क्षेत्र अथवा साप्ताहिक बाजार घोषित करने का प्रस्ताव कर सकता है। स्थानीय निकाय स्वयं पहल करते हुए भी ऐसा प्रस्ताव तैयार कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव के साथ समुचित आयामों और प्रस्तावित क्षेत्र की स्पष्ट निशानदेही के साथ स्थल–मानचित्र; क्षेत्र में फेरी लगाने की योजना, और विक्रेताओं की अनुमानित संख्या, जिनके लिए स्थान पर्याप्त हो; प्रतिबंध के सुझाव (यदि कोई हों); और प्रस्तावित टाइम शेयरिंग व्यवस्था, जिसमें अधिकतम लाभार्थी कवर किए जा सकें, आदि विवरण दिया जाना चाहिए।

ख. यह प्रस्ताव उपसमिति–वीपीसी के अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए।

ग. निदेशक/टीवीसी द्वारा ऐसे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा और विक्रय के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की जीपीएस निशानदेही की जाएगी। वह वीपीसी से सलाह मशविरा करके प्रस्ताव की प्रथम दृष्टया व्यवहार्यता की भी जांच करेगा।

घ. निदेशक/टीवीसी इसके बाद प्रस्ताव को सम्बद्ध पक्षों के दावों एवं आपत्तियों के लिए अधिसूचित करेगा। साथ ही, प्रस्ताव दिल्ली यातायात पुलिस और भू–स्वामी एजेंसी को भी भेजा जाएगा ताकि उनकी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जा सकें।

ङ दिल्ली यातायात पुलिस/भू स्वामी एजेंसी के पास 30 दिन का समय होगा, जिसमें उन्हें अपनी टिप्पणियां/प्रतिक्रियाएं देनी होंगी, अन्यथा यह समझा जाएगा कि उन्हें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समुचित निर्णय कर लिया जाएगा।

च. प्राप्त दावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद निदेशक/टीवीसी द्वारा वीपीसी के विचारार्थ एक रिपोर्ट/प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद वीपीसी प्रस्ताव पर अपनी अनुशंसा करेगी, जिसे टीवीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

छ. फुटपाथ पर विक्रय के बारे में, सम्बद्ध टीवीसी कानून के अनुसार निर्णय करेगी।

ज. स्थानीय निकाय टीवीसी द्वारा प्रस्ताव की पुष्टि किए जाने के बाद क्षेत्र/मार्ग को विक्रय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करेगा।

8.5 विक्रय क्षेत्र की धारण क्षमता और व्यापक गणना एवं सर्वेक्षण कराने की पद्धति निर्धारित करने के सिद्धांत :

8.5.1 स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थान की स्पष्ट रूप से निशानदेही और सर्वेक्षण तथा डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा।

8.5.2 पैदल यात्रियों की आवाजाही के बारे में सम्बद्ध टीवीसी कानून के अनुसार निर्णय करेगी।

8.5.3 सार्वजनिक उपयोगिता प्रचालनों के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाएगा।

8.5.4 यदि विक्रय क्षेत्र जनहित में होगा, तो पैदल यात्रियों/वाहनों की आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ते हुए आरओडब्ल्यू के किनारे पर विक्रय क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।

8.5.5 सार्वजनिक मार्ग में टाल और फेरी लगाने के बारे में सम्बद्ध टीवीसी कानून के अनुसार निर्णय करेगी।

8.5.6 एक स्थिर/चलते फिरते विक्रेता/अस्थाई और रात्रि बाजार विक्रेता के लिए 6 फुट x 4 फुट; और भ्रमणशील विक्रेता के लिए 4 फुट x 4 फुट आकार का स्थान देने पर विचार किया जाएगा।

8.5.7 उपरोक्त शर्तों के आधार पर और दिल्ली की आबादी के ढाई प्रतिशत के मानदंड के अनुरूप तथा पटरी विक्रय की योजना के अनुसार यह गणना की जाएगी कि किसी विक्रय क्षेत्र में कितने पटरी विक्रेता समायोजित किए जा सकते हैं। विक्रय पारियों की संख्या टाइम शेयरिंग प्रबंधन के आधार पर तय की जाएगी और तदनुरूप धारण क्षमता का निर्धारण किया जाएगा।

8.6 पुनर्स्थापन के सिद्धांत :

(8.6.1) जहां तक संभव हो सके, पुनर्स्थापन से बचा जाना चाहिए, जब तक कि विचारणीय भूमि की स्पष्ट और तत्काल आवश्यकता न हो अथवा सुरक्षा एवं संरक्षा के कुछ उचित मुद्दे शामिल न हों।

(8.6.2) पुनर्वास परियोजना और उस पर अमल करने की योजना बनाने में प्रभावित विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

(8.6.3) प्रभावित विक्रेताओं को पुनर्स्थापित किया जाएगा, ताकि उनकी आजीविका और जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके या फिर कम से कम उतना स्तर बहाल किया जा सके, जो उन्हें हटाए जाने से पहले उनका था।

(8.6.4) नई ढांचा विकास परियोजनाओं से सृजित आजीविका के अवसरों में विस्थापित विक्रेताओं को स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि वे नए ढांचे से सृजित आजीविका के अवसरों का लाभ उठा सकें।

(8.6.5) परिसंपत्तियों की हानि से बचा जाना चाहिए और यदि कोई नुकसान हो तो उसकी क्षति पूर्ति की जानी चाहिए।

(8.6.6) ऐसी भूमि के मालिकाना हक या अन्य हित में परिवर्तन का असर पटरी विक्रेताओं के अधिकारों पर नहीं पड़ना चाहिए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा परिवर्तन होने पर किसी प्रकार का पुनर्स्थापन नहीं किया जाएगा।

(8.6.7) राज्य प्रशासनिक तंत्र को जबरन स्थान खाली कराने की प्रवृत्ति को रोकने और नियंत्रण करने के व्यापक उपाय करने चाहिए।

अध्याय–9

9.1 **राज्य स्तर पर पटरी विक्रय से संबंधित सभी मामलों में समन्वय के लिए राज्य टीवीसी निर्दिष्ट करना :**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव/सचिव (शहरी विकास विभाग) पटरी विक्रय से संबंधित सभी मामलों में समन्वय के लिए राज्य स्तरीय टीवीसी की भूमिका अदा करेंगे।

9.2 **इस अधिनियम के प्रयोजनों को अंजाम देने के लिए कोई अन्य मामला जिसे कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। पुराने कार्यक्रमों के अंतर्गत मौजूदा पटरी विक्रेताओं को आवंटित स्थल/स्थान :**

(9.2.1) कोई व्यक्ति जो भले ही सर्वेक्षण में शामिल न रहा हो, परंतु उसे पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के लागू होने से पहले स्थानीय निकाय द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, जिसे लाइसेंसी के रूप में जाना जाता हो अथवा जिसके पास किसी अन्य रूप में पटरी विक्रय की अनुमति (स्थिर विक्रेता या चलते फिरते विक्रेता या किसी अन्य श्रेणी के अंतर्गत) हो, को उतनी अवधि के लिए पटरी विक्रेता समझा जाएगा, जिसके लिए उसे विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया हो। विक्रय प्रमाणपत्र की आगे वैधता इस कार्यक्रम के अधिसूचित होने के बाद से प्रारंभ होगी और तदनुरूप विक्रय शुल्क वसूल किया जाएगा।

(9.2.2) किसी पुराने कार्यक्रम/थड़े के अंतर्गत विक्रय की अनुमति प्राप्त सभी प्रमाणित व्यक्तियों पर इस कार्यक्रम के प्रावधान के अनुसार विचार किया जाएगा, जो व्यक्ति इस क्रार्यक्रम के अनुसार पात्र नहीं होंगे, उन्हें स्थल/स्थान से तत्काल हटना होगा।

(9.2.3) कोई पिछला आवंटी जिसे सार्वजनिक मार्ग/सार्वजनिक स्थल पर स्थान/स्थल आवंटित किया गया हो, और उसने उस स्थान पर कोई नियत ढांचा/स्टैंड निर्मित/खड़ा कर लिया हो, तो उसे विक्रेता द्वारा हटाना/नष्ट करना होगा और स्थान को पूरी तरह बाधामुक्त करते हुए साफ करना होगा और वह केवल कार्यक्रम के प्रावधान के अनुरूप विक्रय कर सकेगा/सकेगी।

(9.2.4) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कब्जाधारी की अपात्रता के कारण खाली/साफ कराए गए स्थलों को अन्य पात्र एवं प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित करने अथवा स्थल पर किसी विक्रेता के विशेष अधिकार के बिना उसे टाइम शेयरिंग आधार पर विक्रय क्षेत्र बनाने पर विचार किया जा सकता है ताकि सभी पटरी विक्रेताओं को अवसर की समानता प्रदान की जा सके।

10. **पटरी विक्रेताओं पर किए जा सकने वाले जुर्माने :**

(10.1) यदि कोई पटरी विक्रेता विक्रय की शर्तों का उल्लंघन करता पाया गया, तो स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी उस पर निर्धारित जुर्माना लगाएगा। बार–बार उल्लंघन के मामलों में प्राधिकारी आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

(10.2) जुर्माना करने वाला प्राधिकारी नियमों के उल्लंघन की समरी जांच करेगा और विक्रेता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(10.3) पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 37(ग) के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 5 और धारा 28 के अंतर्गत जुर्माना निर्धारित करने के लिए उप–नियम बनाएंगे। स्थानीय प्राधिकारी को समय समय पर जुर्माना ढांचा संशोधित करने के भी अधिकार होंगे।

11.1 **बुनियादी ढांचा सुधार, प्रशिक्षण और कौशल विकास एवं वित्तीय सहायता**

(11.1) स्थानीय निकाय पटरी विक्रेताओं और अन्य सम्बद्ध पक्षों के साथ मौजूदा बाजारों में शौचालयों, कचरा निपटान सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, साझा भंडारण सुविधाएं, विशेष प्रकार के व्यापारों के लिए विशेष ठेलों, अस्थाई शेडों और पार्किंग सुविधाओं जैसी बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए सहायता प्रदान करेगा।

(11.2) स्थानीय निकाय सभी पटरी विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करेगा ताकि उन्हें उनके अधिकारों और दायित्वों, नीतियों, कानूनों और पटरी विक्रेताओं से संबंधित कार्यक्रमों, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता बनाए रखने का महत्व, कचरा निपटान आदि विभिन्न विषयों की जानकारी दी जा सके।

(11.3) प्रशिक्षण देने का कार्य किसी प्रशिक्षण संस्थान/विशेषज्ञतापूर्ण एजेंसी/प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन को सौंपा जा सकता है।

(11.4) प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला में हिस्सा लेने के दिनों के लिए पटरी विक्रेताओं को वजीफे के रूप में दैनिक भत्ता दिया जाएगा, जिसकी गणना आजीविका के अवसर की लागत के आधार पर की जाएगी।

आदेशानुसार व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के नाम पर,

आलोक शर्मा, उपसचिव

नमूना आवेदन प्रपत्र

अनुलग्नक 'क'

(देखे 1.1.4)

विशिष्ट आईडी (प्रीप्रिंटिड/आटो जेनरेटिड)

बारकोड (प्रीप्रिंटिड/आटो जेनरेटिड)

सम्बद्ध स्थानीय निकाय

सर्वेक्षण के समय का फोटोग्राफ

पटरी विक्रेता के पंजीकरण के लिए सर्वेक्षण हेतु आवेदन प्रपत्र

1. पटरी विक्रेता/फेरीवाले का नाम

2.	लिंग	पुरुष महिला
3.	आयु:–	
		सर्वेक्षण के समय का फोटोग्राफ

जन्मतिथि		आयु	जन्म स्थान
4.	पिता/पति/माता का नाम		
5.	जीवन साथी का नाम		
6.	आवास का पता		
	वर्तमान पता		स्थायी पता
7.	शैक्षिक स्थिति		
8.	संपर्क नंबर		
मोबाइल नंबर		लैंडलाइन नंबर	

9. विक्रय/फेरी/अनधिकृत बाजार
10. विक्रय/फेरी/अनधिकृत बाजार गतिविधियों का प्रकार/स्वरूप
11. विक्रय/फेरी/अनधिकृत बाजार में संलग्न होने का समय/अवधि

12. विक्रय के समर्थन में अन्य दस्तावेज जैसे चालान/अदालती मामले आदि

13. आवासीय प्रमाण के लिए दस्तावेज

1	2

14. आधार कार्ड का विवरण

15. अन्य पहचान प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचानपत्र, बैंक पासबुक आदि

16. वार्षिक आय

17. क्या आवेदक वर्तमान में पटरी विक्रेता है

हां/नहीं

यदि हां,	विक्रय का प्रकार
तो विक्रय स्थान/विक्रय स्थल का प्रकार/स्वरूप/क्षेत्र/स्थल का आकार/बेची जाने वाली वस्तुएं/सामान, तारीख जिससे प्रचालन कर रहे हैं/तहबाजारी के आवंटन का दस्तावेज (यदि कोई हो)	अचल/भ्रमणशील/चल/अस्थाई मुक्त आकाश/वाहन/कच्चा ढांचा/पक्का ढांचा

18. परिवार के स्वामित्व में संपत्ति, यदि कोई हो

प्लाट/मकान	आकार/क्षेत्र	कच्चा/पक्का	किराया आमदनी, यदि कोई हो

19. श्रेणी

सामान्य	अजा	अजजा	अपिव	विकलांगजन	महिला	विधवा	अल्पसंख्य	अन्य

20. बैंक खाता संख्या/बैंक का नाम/शाखा का पता

खाता संख्या	शाखा/बैंक का नाम

21. परिवार के सदस्यों का ब्यौरा और उनका व्यवसाय

22. विक्रय क्षेत्र की पसंद का विवरण	
विक्रय क्षेत्र पसंद	बाजार/स्थान
प्रथम पसंद	

क्र सं	नाम	संबंध	आयु	वर्तमान व्यवसाय	आधार संख्या (यदि उपलब्ध न हो तो मतदाता पहचानपत्र संख्या)
द्वितीय पसंद					
तृतीय पसंद					

23. क्या परिवार का कोई अन्य सदस्य विक्रय करता है अथवा उसने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। यदि हां, तो परिवार के सदस्य का विवरण

नाम	पिता/पति/माता का नाम	पता	आधार कार्ड संख्या	आयु	संपर्क नंबर	विक्रय का वर्तमान स्थान	विक्रय का प्रकार	पावती रसीद संख्या यदि कोई हो

24. क्या पहले किसी मामले में दोषी ठहराए गए या कोई आपराधिक मामला लंबित है

क्र सं	तारीख	केस/एफआईआर नंबर	पुलिस स्टेशन का नाम	मामले की स्थिति

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं, ... सुपुत्र ..... निवासी..... एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मेरी आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है।

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैं नगर पटरी विक्रेता समिति या स्थानीय निकाय/सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों/विनियमों और तय बाजारी की सभी कार्य शर्तों का अनुपालन करूंगा। यदि दी गई कोई जानकारी बाद में किसी दिन असत्य पाई गई, तो अधिकारियों को उक्त पंजीकरण रद्द करने की छूट होगी। मैं वचन देता हूं/देती हूं कि मैं और मेरे परिवार ने पंजीकरण के लिए केवल एक आवेदन किया है।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम.....

सुविधा प्रदाता द्वारा जांच	
सर्वेक्षण/आवेदन संख्या	
विक्रय स्थल जीपीएस समन्वयक	
सर्वेक्षण की तारीख और समय	
विक्रय स्थल का पता	
स्थल पर प्राप्त किए गए दस्तावेज	क्र सं 1 क्र सं 2

	क्र सं 3 क्र सं 4 क्र सं 5
दस्तावेज में पाई गई कमियां, यदि कोई हों	
विक्रेता का स्थिर फोटोग्राफ	
स्थल का स्थिर फोटोग्राफ	

सुविधा प्रदाता के हस्ताक्षर

सुविधा प्रदाता का नाम

सुविधा प्रदाता का पदनाम

तारीख .....

(फाड़ें और आवेदक को सौंपें) .....

पंजीकरण के लिए पावती रसीद

सर्वेक्षण आवेदन संख्या ..... दिनांक ..... श्री ..... सुपुत्र, पत्नी ..... के संदर्भ में दिनांक ..... को स्थल ..... पर नई दिल्ली नगर परिषद की टीम/की ओर से आयोजित सर्वेक्षण के दौरान दाखिल किया गया।

जारी की गई पावती रसीद केवल इस बात का टोकन है कि आवेदक ने सर्वेक्षण प्रक्रिया में हिस्सा लिया और एनडीएमसी के साथ पंजीकरण कराया। इस पावती से किसी व्यक्ति को विक्रय प्रमाणपत्र (सीओवी) जारी किए जाने अथवा एनडीएमसी क्षेत्र में किसी स्थान पर विक्रय करने का अधिकार दिए जाने का दावा करने का हक नहीं होगा।

एनडीएमसी अधिकारी/निर्दिष्ट अधिकारी/टीम सदस्य के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम)

पद की मुहर

जारी करने की तारीख

सर्वेक्षण/आवेदन प्रपत्र पर विशिष्ट आईडी (प्रीप्रिंटिड/आटो जेनरेटिड)

सर्वेक्षण/आवेदन प्रपत्र पर बारकोड (प्रीप्रिंटिड/आटो जेनरेटिड)

अनुलग्नक 'ख'

देखे 3.1.1

सम्बद्ध स्थानीय निकाय
विक्रेता आईडी/बारकोड
पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएं
विक्रेता प्रमाणपत्र (सीओवी)

पटरी विक्रेता का नाम
लिंग/आयु
पति/पिता/माता का नाम
निवास का पता
आधार कार्ड संख्या यदि कोई हो
मोबाइल नंबर
विक्रेता का प्रकार

क्षेत्र, जहां उसे विक्रय की अनुमति है	
पंजीकरण की वैधता	जारी होने की तारीख से 5 वर्ष और तहबाजारी/ विक्रय की कार्यशर्तों को पूरा करने के अधीन हर 3 वर्ष बाद नवीकरण। विक्रय प्रमाणपत्र किसी भी स्थिति में कुल 20 वर्ष की अवधि के बाद नवीकृत नहीं किया जाएगा। जारी किया गया विक्रय प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय होगा।
प्रतिमाह लाइसेंस शुल्क (समय समय पर बढ़ाए जाने के अधीन)	
विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख	
प्राधिकारी के हस्ताक्षर	
मुहर	

पटरी विक्रेता को जारी विक्रय प्रमाणपत्र और पहचान प्रमाणपत्र विक्रय करते समय अपने पास रखने होंगे। बायोमीट्रिक विक्रय प्रमाणपत्र धारक विक्रेताओं को जारी स्मार्ट कार्ड में विक्रय प्रमाणपत्र संबंधी ब्यौरा उपलब्ध होगा।

अनुलग्नक 'ग'

(देखे 3.2.1)

पटरी विक्रेता पहचान पत्रक
सम्बद्ध स्थानीय निकाय
क्रमांक/विशिष्ट आईडी संख्या

फोटोग्राफ माइक्रोचिप और होलोग्राम

पंजीकरण की तारीख
पटरी विक्रेता का नाम
पिता/पति का नाम/माता का नाम
आवासीय पता
सम्पर्क नंबर
विक्रय का स्थान
बेची जाने वाली वस्तुएं
तहबाजारी का आकार

परिवार के सदस्यों का ब्यौरा :

(क) जीवन साथी का नाम

(ख) आश्रित बच्चों का ब्यौरा

क्र सं	नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय
1				
2				
3				
4				
5				

क्या विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया – यदि जारी किया गया तो विक्रय प्रमाणपत्र की वैधता।

विक्रेता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

निदेशक/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

सम्बद्ध स्थानीय निकाय

अनुलग्नक 'घ'

(देखे 6.7.2)

सम्बद्ध स्थानीय निकाय

ज्ञापन संख्या..... तारीख.....

अनधिकृत विक्रेताओं/विक्रय स्थलों से बरामद वस्तुओं का जब्ती ज्ञापन

श्री ..... सुपुत्र/पत्नी ..... निवासी ..... , नाम के अनधिकृत विक्रेता से निम्नांकित सामान/वस्तुएं जब्त की गईं, जिसका संपर्क नंबर ..... है और जो दिनांक ..... को स्थान ..... पर अनधिकृत विक्रय करते हुए/विक्रय प्रमाणपत्र की कार्य शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया/गई।

(क) सामान का विवरण और मात्रा

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

(ख) विक्रेता को सूचित कर दिया गया है कि वह सामान उठाने के लिए जुर्माने और ..... पर स्थित एनडीएमसी स्टोर/गोदाम स्थल में भंडारण का शुल्क अदा करने के बाद अपने जब्ती सामान/वस्तुओं में छुड़वाने का दावा कर सकता है, जो खराब होने वाली वस्तुओं के लिए 24 घंटे और खराब न होने वाली वस्तुओं के लिए 3 दिन पूर्व आवेदन करते हुए किसी भी कार्यदिवस को ..... बजे से ..... बजे तक किया जा सकता है। इसके बाद एनडीएमसी विक्रेता को बिना कोई मुआवजा दिए और बिना कोई नोटिस दिए वस्तुओं/सामान का निपटान/नीलामी कर सकती है।

(ग) आवेदन करने के बाद खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में एक दिन और खराब न होने वाली वस्तुओं के मामले में 15 दिन के भीतर वस्तुएं पुनः प्राप्त की जा सकती हैं। इसके बाद एनडीएमसी को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी दावे पर विचार किए उचित समझे गए तरीके से वस्तुओं को बेच सकती है।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

निरीक्षक का नाम

पटरी विक्रेता के हस्ताक्षर

पटरी विक्रेता का नाम

साक्षी का नाम

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी का पदनाम

स्थान और तारीख

NOTIFICATION

Delhi, the 7th January, 2016

F. No. 13(4)2011/UD/MB/2014/6988.—In exercise of the powers conferred by section 38 read with sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood And Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014) and in supersession to the scheme notified vide No. F. No. 13(4)2011/UD/MB/2014/6093 dated 23rd September, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following scheme, namely:-

SCHEME

1. **PRELIMINARY:**

(I) This scheme shall be called the Government of National Capital Territory of Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme, 2016.

(II) The provisions of this scheme shall come into force from the date of its publication in the Delhi Gazette.

(III) The meaning and interpretations of street vendors, vending zone, scheme for street vendors, Town Vending Committee (TVC) and its function and other related matters shall be as per the Street Vendors (Protection of Livelihood And Regulation of Street Vending) Act, 2014 and the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2016.

(IV) The objective of this scheme is to provide and to promote a supportive environment for street vendors to carry out their vocation in accordance with the Act and Rules.

(V) The street vendor scheme may be amended by the Government as and when the need arise after due consultations with the Local Bodies and the Town Vending Committee (TVC).

CHAPTER 1

1. The manner of conducting survey of Street Vendors:

(1.1.1) The Town Vending Committee (TVC) with the assistance of the Government/local bodies shall, conduct a comprehensive digitized photo census /survey of all vendors and GIS mapping of all existing stationary street vendors within the area under its jurisdiction within a period of three months from the date of order by TVC, and subsequent surveys shall be carried out after every three years.

(1.1.2) The TVC shall conduct, monitor, supervise the survey and carry it out byundertaking comprehensive digitalized photo-biometric census, GPS/GISmapping of the existing stationary and other vendors with the assistance of local bodies /professional organizations/experts/ NGOs.

(1.1.3) The TVC shall engage an agency through an open transparent process of selection to carry out survey of street vendors and may also utilize alternative methods of survey through community participation or with the support of NGOs /RWA/MTAs.

(1.1.4) The survey teams will collect the primary data, viz: name of the street vendor, gender, age , date of birth place of birth nature of trade/vending, mode of vending, parentage, spouse names, dependent children, place of vending, period since vending based on justifiable documentary evidence, address (present and permanent), contact number of the existing vendors status of vendor person with disability and women, proof of vending including Court orders if any, identity proof (if any), application forms for remaining data, as prescribed " **Annexure-A**" by the Local Body, shall also be issued.

(1.1.5) The survey form/application for registration will be computer generated with unique barcode/ID and same will be mentioned in the accompanied acknowledgment receipt. The survey application form /registration may be done by the team/experts members nominated by TVC etc. at site during the survey. During the survey, the survey form shall be filled by the officials on the site/spot taking therein the details and necessary documents.

(1.1.6) The Survey may be video-graphed or still photography of each vendor surveyed at the site with date of survey and the place of survey mentioned in the register of the survey record.

(1.1.7) The Government may, with the relevant data available with it, ensure the validity of the survey data thus obtained by the TVCs.

(1.1.8) The latest technology for effective and transparent survey may be deployed including the use of GPS, tablet and online gathering of survey data and its real time up-linking to central server. The photograph, the site coordinates and its location and the documents made available at the survey site shall be scanned and uploaded in real time. The physical survey forms/application forms shall also be scanned and digitized which can be searched with unique ID and barcode incorporated in the acknowledgment form given to the applicant/vendor at the time of survey.

(1.1.9) The official or facilitator completing the registration form or assisting the filling of form on the spot shall issue an acknowledgement bearing unique ID and Barcode for reference purpose. The surveyed vendors signature and thumb impression will be obtained. The facilitator shall also provide information in the survey form about the application / survey form No., location of vending site, photograph of the vending site, scanning of documents etc.

(1.1.10) The fee for application form for applying for registration as street vendor shall be fixed of Rs. 100/- .

(1.1.11) Local Body/TVC shall also provide, through a Facilitation Service Provider, assistance to the street vendors to fill up the registration form.

(1.1.12) The eligibility conditions for registration as street vendors and subsequent issuance of Certificate of Vending are as under : -

a. The Vendor should be a citizen of India, qualifies the minimum age criteria as prescribed in the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014.

b. She/he must be a registered voter of National Capital Territory of Delhi. If the vendor's age is below 18 years, at least one of the parents of the vendor must be a registered voter of NCT of Delhi

c. Neither he/she nor any of his/her family member should be registered as street vendor and should not have been granted certificate of vending (COV) by any other Local Body of Delhi including temporary, weekly bazaar and festival vending. Family of the vendor shall constitute his/her spouse and dependent children.

(The local bodies shall share the data of the vendors for authentication of above information.)

(1.1.13) Authenticity of being genuinely engaged in street vending shall be verified from proofs of street vending activities like Festival Receipts, Token, Challan(s), Traffic Police Challan(s)/ Police Challan or any Receipt of Fine or Fees, Certificates of the Registered RWA's, Market Assoeiations, the doeumentary evidences so provided should be scrutinized carefully and thoroughly.

(1.1.14) The responsibility of providing correct information in the Registration Form shall primarily be the liability of the Applicant. In case it is found that any false, incorrect or misleading information is provided by the applicant. The registration shall be cancelled and he/she shall be liable for prosecution for cheating/fraud.

(1.1.15) On receipt of application, the TVC, so appointed by the concerned Local Bodies shall issue an acknowledgement receipt to the street vendor of having registered with the TVC as incorporated in **ANNEXURE 'A',** which will bear the computer generated unique ID and the barcode that is mentioned in the application form. No applications shall be received after closure of the time period specified by the TVC for the survey. All survey forms/registration application forms duly filled will be computerized and digitized records will be maintained. A copy of the duly filled in registration form shall be provided to the applicant, who can apply for corrections of errors within 7 days.

(1.1.16) Submission of application during the survey shall not be a guarantee for a regular registration. The registration shall be determined separately on the basis of eligibility and verification of documents furnished by the applicant.

(1.1.17) Within thirty days of registration of the Street vendor(s), the Local Body shall publish the information on its website. The applicants who are denied registration shall be informed accordingly along-with the reasons for denial of registration and will be given an opportunity to file claims and objections through the concerned the TVC. Such information shall be provided in user-friendly manner with search facilities.

(1.1.18) Any person, having any claim/objection to the street vending application received or information provided by any applicant may file his/her claim/objection to the TVC within fifteen days of the date of publieation on the official website of the Local Body. The

Government and Local Body may also through their officer/ staff, or through any other means, verify the details given by the Vendor in the application submitted by him. The TVC shall take a decision in the matter within a period of 30 days after receipt of objection/claim or receipt of any adverse information from the Government/Local Body.

(1.1.19) The Local Body may prescribe form, fee and security amount for filing the claim/objections which shall not exceed Rs. 100/- for each application payable through bank draft or challan or cash against a receipt as the case may be.

(1.1.20) Registration of a street vendor will not confer upon them any right to vend or squat. The permission /certificate to squat/ vend will be decided by the TVC in consultation with the local body depending upon the scheme, norms, plan and the availability of space/site./holding capacity within the area.

1.2 The period within which certificate of vending (COV) shall be issued to the street vendors identified under the survey:

1.2.1 The Certificate of Vending (COV) will be issued as soon as the survey is completed within the three months of survey subject to the provisions of scheme, norm, plan and the availability of space/site and the holding capacity within the area.

CHAPTER -2

2.1 **The terms and conditions subject to which Certificate of Vending (COV) shall be issued to a street vendor including to those persons who wish to carry on street vending during the intervening period of two surveys** :

2.1.1 Certificate of Vending will be issued after fulfillment of conditions as mentioned in Para 1.1.12.

2.1.2 COV shall be issued in the name of registered street vendor (individual only) and shall be non-transferable- except in the case of incapacity, insanity and demise of the registered vendor.

2.1.3 The timing of the vending shall be as fixed by the TVC from time to time by way of notification for the area/zones of vending.

2.1.4 No temporary /permanent structures/ construction of any kind is permissible at the site. He/she shall keep all his wares confined to allocated space. No projections, extensions shall be protrude from the site of vending. However vendors may use umbrellas/sheds which are not permanently fastened to the ground or wall.

2.1.5 The registered street vendor shall furnish an undertaking to the effect that -

a. he/she shall carry on the business of street vending himself or through spouse or dependent children only;

b. he/she has no other means of livelihood;

c. he/she shall not transfer in any manner, whatsoever, including rent/lease the COV or the place specified therein to any other person;

d. he/she is not suffering from any infectious disease or if he/she is suffering from any infectious disease, a certification from a prescribed medical authority that they're undergoing treatment for the disease and do not pose any risk of infection to others;

e. he/she shall maintain cleanliness and public hygiene at the vending site/zones and adjoining area;

f. he/she shall pay periodic charges for the civic amenities and facilities provided in the vending zone as determined by Local Body in consultation with TVC or the Government from time to time; and

g. he/she shall not carry out any vending in the no-vending zone or beyond the permissible days and timings.

2.1.6 The Registered Vendor who has been issued COV shall be required to pay a monthly vending fee under this scheme as mentioned at Clause 4.1.3 and may be further enhanced/determined by Local Body (in consultation with TVC) from time to time in accordance with the specified vending zone and maintenance charges thereof. The fees prescribed for vending zones and maintenance charges shall be revised after every three years with at least 10% enhancement.

2.1.7 The street vendor shall pay the prescribed fee latest by 10th of every month or as may be specified by the TVC. Delay in fee will attract penalties as specified in the scheme and as decided by the TVC from time to time. The Local bodies shall provide options, for the vendors, to deposit the prescribed fees directly in any bank or through an online mechanism.

2.1.8 Inability to vend during a specified period shall not be a ground for not paying or granting exemption from payment of the monthly license fee for vending. A vendor or his/her authorised representative of the vendor, in case of unavoidable circumstances, may submit a request in writing to the TVC for considcration of exemption on the grounds of inability to vend.

2.1.9 A vendor shall not transfer in any manner whatsoever, including rent, the certificate of vending to any other person. The Registration certificate/COV cannot be leased out / rented or sold in any manner to any other person. Under no circumstance the street vendor shall sublet the vending site.

2.1.10 The right to restrict, evict and relocate a vendor with a COV shall vest with the TVC in case the question of public interest arises. The street vendor shall vacate the site forthwith after issued of notice, if required in public interest.

2.1.11 In case of incapacity of the licensee due to health or other reasons, an intimation within 30 days shall be given to the TVC which may permit an adult member (spouse or dependent child who has attained an age as prescribed in the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood And Regulation of Street Vending) Act, 2014 of the Vendors household as specified in the application format to vend from the vending site given in the COV.

2.1.12 In case of death or incapacitation of the registered street vendor, the legal heir (s) or a surviving parent of the vendor in case the registered vendor's age is below 18 years may apply to the TVC for transfer of registration/or the COV in the name of the legal heir (s) or legal guardian(s) provided he/she has no other means of livelihood. There shall be no change in the date of expiry of the COV in case transfer is allowed.

2.1.13 A Vendor who has already been given any kind of vendors licence and has erected a temporary or a permanent structure at the vending site shall not be eligible for issue of Certificate of Vending under the scheme till the time he removes/demolishes the temporary/permanent structure raised on the vending site by him.

2.1.14 The Vendor shall keep a copy of COV at his vending site and the original document to be produced as and when demanded by the TVC.

2.1.15 The Vendor shall keep the street and premises around his place of vending clean. He shall keep and deploy waste bin next to his place of vending for the purpose of collection of waste by his customers/ other public. He shall, from time to time clean the bin at designated place specified by the Local body.

2.1.16 The Vendor shall pay due attention to public health and hygiene in the vending zone/ vendors' market and the adjoining area. She/he shall contribute to promote the collective disposal of waste in the vending zone/ area. Vendor shall not dump any waste in drain, roadside, open areas or any other unauthorized place.

2.1.17 The street vendor shall not encroach upon the public land and exceed beyond the permissible limits. The space for vending shall be 6 x 4 feet. No permanent or temporary structure will be allowed for street vending. The vendor shall keep all his wares confined to the allotted space. No projections, extensions shall be protruding from the space of vending.

2.1.18 The Vendor shall not hamper the free movement of pedestrian and traffic in any way. Vendor shall operate from the edge of the road/ street (if vending from a street) and shall not cause any obstruction to smooth movement of traffic or pedestrians or non-motorized vehicles. He shall ensure that his/her customers shall not do unauthorized parking next to his vending site.

2.1.19 The vendor shall not sell obnoxious, hazardous and polluting items. It is to be ensured that the quality of product and services provided to the public is as per the standards of public health, hygiene and safety laid down.

2.1.20 The street vendor shall not carry out any unauthorized/ illegal activity.

2.1.21 The vendor shall not occupy or stop at any place that is prohibited for street vending. Mobile vendor shall not stop for a period of more than 30 minutes at any place within his hawking zone/vending zone. The vendor shall not stop or vend in the non-vending zone.

2.1.22 The vendors shall not block the footpath or carryout vending on roads. Walkway of two meters width on footpaths should be maintained in front of the vending counters/stalls.

2.1.23 COV shall be cancelled on breach of any condition specified in the Act/Rules/Scheme or if the COV is obtained through mis-representation or fraud.

2.1.24 COV is liable to be cancelled on non-payment of prescribed license fee for six continuous months. No vending shall be allowed in case defaulted the payment of license fee for continuous period of two months.

2.1.25 On cancellation/termination of permission to vend, the street vendor shall peacefully vacate and hand over the possession of the vending site immediately to the Local Authority.

CHAPTER -3

3.1 The form and the manner in which the certificate of vending may be issued to a street vendor:

(3.1.1) A COV shall be issued to the Vendor **in the Form as per Annexure** 'B'.

(3.1.2) The COV shall be dispatched to the Vendor through Registered Post/Speed Post to the residential address declared by him/her in the application. The persons who have been issued a COV shall be provided an option in a website to take a print of the COV.

3.2 The form and manner of issuing identity cards to street vendors:

(3.2.1) The eligible persons who have been issued the Certificate of Vending (COV) shall be issued identity card or similar biometric-smart card having Unique ID, Barcode, Date of registration, Vendor Name, address, category of Vendor, Photograph of vendor, nature of business, nominees name dependent children, vending location etc. as per **Annexure "C"**

(3.2.2) Loss/damage of identity card / biometric smart cards shall be reported by the vendor to the TVC within a period of thirty days. The Vendor shall make a application for issue of duplicate identity card /smart card to the TVC with a fee of Rs. 200/- and a duplicate Identity Card/ smart card shall be issued to the Vendor within a period of thirty days from the receipt of the date of application. Same conditions shall be applied in the eventuality of Identity Card being damaged. The loss of identity card should be reported to the Local Police. The damaged identity card shall be deposited to the Local Authority along with the application for issue of duplicate.

(3.2.3) During the survey, the original documents pertaining to present and permanent address proof may also be verified.

(3.2.4) A database of all street vendors registered will be maintained by Local Bodies, which can help in verifying the particulars of a street vendor from database of other local bodies for detecting any duplications of claims of vending and if already covered under any beneficiary scheme/survey.

3.3 The criteria for issuing certificate of vending to street vendors.

(3.3.1) The certificate of vending shall be issued to a registered street vendor by a Local Body if he or she does not have such certificate from other local body.

(3.3.2) The allotment of vending space shall be subject to demarcation of vending zones as restriction free/ restricted/ no vending zones, available vacancies on time-sharing basis and holding capacity.

(3.3.3) In case the number of applicants exceeds the available number of vending sites/ spaces, the allotment will be made on the basis of draw of lots/ draw by computer or any such similar mechanism. Vending site wise allotment amongst the registered street vendors shall also be made by draw of lots.

(3.3.4) The preference shall be given to Persons with Disability and Women (3% and 1/3rd respectively). Widows amongst women will be given priority.

(3.3.5) Those identified in the survey and registered, shall be given preference over the new entrants.

(3.3.6) The vendors who could not be issued COV as per their first choice shall be accommodated, subject to availability, as per their other choices of preference in chronological order to avoid non- issuance altogether.

(3.3.7) Not more than one member of a family (consisting of spouse and dependent children) be given a Certificate of Vending.

(3.3.8) The area/street where temporary vending is to take place should have been an approved/notified by the TVC for temporary street vending.

(3.3.9) The demarcation of Street Vending Zone, as restricted/no Street Vending Zone, will be carried out by the Local Body in consultation with TVC and will identify holding capacity of the squatting/vending zone.

(3.3.10) Registration of Street Vendor/COV shall be restricted upto a maximum period of 9 years w.e.f. date of survey.

(3.3.11) Waiting list of unsuccessful eligible applicants will be maintained for consideration in future on availability of sites of Street Vending.

CHAPTER-4

4.1 The vending fees to be paid on the basis of category of street vending, which may be different for different zones :

(4.1.1) The vendor shall pay the vending fee on monthly basis and shall submit the vending fee, in advance, by 10 the of every month at the Community Service Bureau Counter of the respective zone/area. And if 10 th day of the month is a Public Holiday then by the next working day.

(4.1.2) Penalty will be charged for delay in making payment @ 1% of the monthly vending fee per day (or as may be decided by TVC in accordance with specified vending zone) will be charged of the delay. If the delay is more than 6 months, the registration of street vendors shall be liable to be cancelled after issue of a show cause notice.

(4.1.3) The TVC may categorise the vending space in a vending area/zone as per the classification of property tax and fix the monthly vending fee as below:-

Category	**Vending Fee (Rupees per month)**			
	Static Vendors	**Mobile Vendor**		Other Vendor
Category				**Temporary Vendor**
				(Festival/Mela Occasions)
		Mobile Vendor And Weekly market Vendor	**Peripatetic Vendor**	
A	**5000**	**2500**	**750**	2500
B	**4000**	**2000**	**750**	2000
C	**3000**	**1500**	**750**	1500
D	**2500**	**1250**	**600**	1250
E	**500**	750	**300**	1000
F	**400**	**750**	**250**	750
G	**300**	**500**	**200**	500
H	**200**	**300**	**150**	300

(4.1.4) The vendor operating in different categories of colony/area shall have to pay the fee as per the category defined by the Local Body.

(4.1.5) In case of relocation, the street vendor shall pay the license fee of new site/space as per its category of colony during remaining period of validity of COV.

(4.1.6) The TVC shall have powers to enhance the vending fee from time to time; or prescribe special vending fee for special areas which shall be notified after prior approval of the Government. In case of upper limit of the category fixed in Para 4.1.3 of the vendor is to be enhanced, the prior approval of the Government is required.

(4.1.7) A rebate of 25% shall be allowed in case of vendors with Disabilities and Women Vendors.

(4.1.8) Recovery of arrears of vending fee: In case a street vendor fails to pay the vending fee by the due date, the TVC may initiate proceedings for recovery of vending fee as per the following procedure:

(a) A notice of demand shall be served by the Officer designated/TVC asmay be designated by the concerned TVC upon the vendor for payment of the vending fee plus the delay charges by the date specified in the notice, or to show sufficient cause of failure.

(b) If the vendor shows sufficient cause for failure, the TVC shall do a summary inquiry into the cause and shall proceed accordingly under intimation to Local Body .

(c) The TVC may take action, which may inter-alia include– confiscation of goods/wares and other items, release of confiscated goods (if any); initiation of cancellation proceedings etc.

4.2 The manner of collecting, through banks, counters of local authority and counters of TVC, vending fees, maintenance charges and penalties for registration, use of parking space for mobile stalls and availing of civic services:

(4.2.1) Banks may be designated to collect fee which will be subsequently remitted to the Local Body.

(4.2.2) Vending Fee shall also be payable at designated location of the Local Body.

(4.2.3) Local Body may make alternate arrangements as and when required.

4.3 The period of Validity of Certificate of Vending.

(4.3.1) The validity period of a COV shall be initially for Three years from the date of its issuance subsequent to which it shall be renewed every three years. Total period of COV validity shall be Nine years including renewal periods subjeet t o no violations of the Act/ Rules provision of the scheme. The transfer of COV to legal heirs shall not be construed as a fresh COV and the maximum validity shall remain Nine years from initial issue to the original vendor.

4.4 The period for which and the manner in which a certificate of vending may be renewed and the fees for such renewal:

(4.4.1) A COV will be renewed for a period of three years from the date of initial issue. Total period of validity of licence including renewal period shall be Nine years.

(4.4.2) The registered street vendor shall apply for renewal of COV at least three months prior to its expiry to the TVC/Local Body.

(4.4.3) The officer designated by the TVC/Local Body shall receive the certificate of vending for renewal under an acknowledgement and receipt to the Vendor.

(4.4.4) The renewal shall be carried out by making endorsement on the Certificate of Vending (COV) by the designated officer and the renewed COV will be delivered to the vendor either in person or dispatched to the residential address as provided in the application form.

(4.4.5) Renewal fee payable by the street vendor shall be the fee equivalent to 25% of one month's fee prescribed for the area/ zone payable at the time of submission of application for the renewal.

(4.4.6) The renewal of COV issued for permanent stationary site/mobile to a street vendor shall be for three years at a time.

(4.4.7) Any person, having any claim/ objection regarding the application for renewal received or information provided by any applicant may file his claim/objection to the TVC within 30 days of the date of issue of COV of the application. The TVC too, through its staff, or through any other means may also verify any application received at any point of time claims/objections received as above shall be taken into consideration and decided before the certificate of vending is renewed.

CHAPTER 5

5.1 **The manner in which the certificate of vending may be suspended or cancelled:**

(5.1.1) The designated officer (as designated by the TVC) may suspend or cancel the Certificate of Vending(COV) on following, among other grounds:-

I. Unauthorized change of vending site;

II. Non-payment of dues;

III. Street Vendor found to be suffering from infectious disease and hasn't been able to provide a certification from a prescribed medical authority that they're undergoing treatment for the disease and do not pose any risk of infection to others;

IV. Violation of terms and conditions for grant of Certificate of Vending (COV);

V. Extension of vending site more than the permitted space;

VI. Misrepresentation in the application for grant of Certificate of Street Vending; and

VII. On conviction for an offence including moral turpitude and violation of other terms and conditions.

(5.1.2) The process of suspension or cancellation shall be carried out by the TVC.

(5.1.3) Where a street vendor who has been issued a registration and/or COV under the Act commits breach of any of the conditions thereof or any other terms and conditions specified for the purpose of regulating street vending under the Act or any rules or schemes made there-under, or where it comes to the notice that such registration and/or COV has been secured by the street vendor through mis-representation or fraud, or non-payment of vending fee continuously for six months or on conviction of a criminal offence including moral turpitude, the TVC shall conduct a preliminary enquiry before cancellation of the COV.

(5.1.4) The TVC shall provide an opportunity of being heard to the vendor during the preliminary enquiry.

(5.1.5) The preliminary enquiry shall be summary proceedings. If, after the preliminary enquiry it is found that there is a prima facie a committal of violation, misrepresentation, fraud and breach of terms and conditions, the TVC may suspend or cancel the registration and COV and submit the report to the TVC.

(5.1.6) The TVC shall consider the report of the Designated Officer and, after providing the street vendor opportunity of being heard, take a decision on cancellation /suspension or otherwise of the registration and COV.

(5.1.7) In case of minor violations, the TVC may impose fine upto Rs. 2000/- and/or issue warning instead of recommending cancellation or suspend the COV for a period as may be necessary to regulate such violations.

CHAPTER-6

6.1. **The categories of street vendors.**

6.1.1 There shall be following categories of vendors:-

1. Static/ Stationery Vendors

2. Mobile Vendors or Peripatetic Vendors

3. Others (Daily/weekly/festival/fair market/ temporary etc. as may be categorized by Local Body)

6.1.2 Static Vendors means those who carry out vending from a single place/location throughout the day, without establishing a fixed structure (temporary or permanent) at the place of vending.

6.1.3 Mobile or Peripatetic vendors means those vendors who carry out vending on foot including those who carry baskets on their heads/slung on their shoulders. Mobile vendors also includes vendors who move from place to place vending their goods or services on pushcarts, bicycle, or mobile units on -motorized wheels.

6.1.4 Weekly Bazaar Vendors means vendors who participate in weekly bazaars and sell their goods/ services in weekly Bazaars.

6.1.5 Temporary Vendors means vendors who in normal course do not perform street vending, but on special occasions and seasons, such as festivals or fairs, vend their wares as street vendors for a short period.

6.1.6 Night bazaar vendors means a vendors who vends in a designated night bazaar during the period notified by the local body.

6.1.7 The Local Body will allocate sufficient space for temporary 'Vendor Markets e.g. Weekly haats, Rehri markets, night bazars, festival bazaars, food streets/street food marts at suitable locations whose use at other times may be different e.g. public parks, exhibition grounds, parking lot, etc. keeping in view demand for services of the vendors. Timing restrictions on vending to be in accordance with the need for ensuring non congestion of public spaces/maintaining public hygiene. Rationing of space to be resorted if street vendors numbers exceed the space available. Ample parking area also to be provided for mobile vendors for parking of vehicles and wares at night on payment of prescribed fee.

6.1.8 No vendor shall be entitled for registration/ issuance of COV for more than one category of vending.

6.1.9 Vendors, who sell their wares from a fixed Pucca immovable structure (allotted either by Government or private person) shall be treated as shops under Shops and Establishment Act. No benefit of Street vendor policy shall be available to such vendor, who operates from such fixed Pucca Immovable structure (temporary or permanent), whether authorized or unauthorized.

6.2 The other categories of persons for preference for issue of certificate of vending:

(6.2.1) Preference in issue of COV may be given to the following categories:

(i) Persons with Disability : Allotment of 3% of the vending sites in all categories, the preference allotment of 3% in above category shall be available on production of Disability Certificate (with photograph) issued by Competent Govt. Medical Authorities as defined in the relevant Act in force.

(ii) Women: 1/3rd of vending sites in all categories, Preference to Widows shall be given case to case basis.

6.3 The public purpose for which a street vendor may be relocated will be decided by the TVC and the manner of relocating street vendor:

(6.3.1) A street vendor who has been issued a COV shall be relocated only under exceptional circumstances and upon declaration of a vending zone or part of it to be a non-vending zone for public purposes like development project in public interest, security concerns, traffic congestion, spread of epidemic and natural calamity/other health reasons, cleanliness of area or any other valid reason.

(6.3.2) To the extent possible, the affected street vendor may be adjusted in same or nearby vending zone and also under the same type of vending as specified in COV subject to availability of vending space at the alternate site.

(6.3.3) For relocation from the place specified in the COV, the affected street vendor will be given a 30 days' notice by sending it through registered post at communication address of the street vendor and giving at least three choices in the same or nearby vending zone. If three alternate locations under the same type of vending as specified in the COV are not available, the affected street vendor may be given the choice of other categories of street vending. In case there are more than one vendor choosing same relocation site then the site shall be decided by draw of lots and second alternative site to be allotted to other vendor who does not get the chosen site as provided under sub-section (3) of section 4 of the Act.

(6.3.4) On or before the expiry of notice period, the street vendor shall give in writing to the TVC his/her choice from the alternates made available. If the street vendor fails to give the choice, the TVC will issue the relocation order mentioning the new vending site/space, as deem fit and also upto Rs 250 per day for over-stay and failure to vacate the site in time, if any.

6.4 The manner of evicting a street vendor.

(6.4.1) A street vendor whose certificate of vending has been cancelled, or whose notice period in case of relocation has expired or who does not have a certificate of vending and vends without such certificate may be given a fifteen days notice to vacate the site and not to vend. No such notice is required to be given where such a street vendor is found to be causing traffic congestion, law and order problem etc.

(6.4.2) Reply of the vendor- his/her oral submissions to be considered and a decision taken whether or not a street vendor is required to be evicted. In case it is decided to evict, the vendor shall be asked to leave the place taking away the goods within three days. In case he/she does not leave the place, goods shall be seized and a list will be prepared, the copy of which shall be delivered to the vendor on the spot failing which to his/her registered address through Speed Post. Police assistance to be taken if required. Seized Goods will be deposited in the Store of the Local Body and will be released on request of the concerned persons by charging prescribed charges.

6.5 The manner of giving notice for eviction of a street vendor:

(6.5.1) Notice for eviction may be given preferably in local language which can be easily comprehended by the vendor and in case street vendor is illiterate, violations detected and mentioned in the notice can be informed verbally.

(6.5.2) In case, the vendor refuses the service of notice or the service is not practically possible, the notice shall be pasted at the conspicuous place in the area of vending and on doing so, the notice shall be deemed to be served.

6.6 The manner of evicting a street vendor physically on failure to evict:

(6.6.1) In case the vendor fails to vacate the site after expiry of the notice period, if any the goods, wares and articles shall be confiscated and removed, including the cart, containers and stands and the structure made by the vendor on the public place shall be demolished.

(6.6.2) Photographs of the site/spot before and after the removal action shall also be taken and a report to be submitted to the TVC

6.7 The manner of seizure of goods by the local authority, including preparation and issue of list of goods seized:

(6.7.1) The designated officer shall make an objective assessment of the goods/ wares seized.

(6.7.2) The list of goods seized will be prepared in duplicate and duplicate copy of the list will be issued to the vendor. The copy of the goods seized shall mention the name of the official, his designation and the office address and the address of the premises from where goods can be reclaimed. The form of seizure memo is as per **Annexure 'D'.**

6.8. The manner of reclaiming seized goods by the street vendor and the fees for the same.

(6.8.1) The application for releasing seized goods, in case of perishable goods, shall be allowed to be submitted on the same day and in case of non-perishable goods within 15 days of the seizure. Beyond this period, the right of street vendors on the goods seized shall cease and the Local Body is well within its rights to dispose or auction of the goods.

(6.8.2) The perishable seized goods shall be released within 24 hrs and non-perishable seized goods within three working days of the claim being made by the street vendor subject to payment of prescribed fee or penalty, which is to be deposited with the local body. If any perishable /eatable item is found to be unhygienic/ spoiled/ rotten or not fit for human consumption, the same shall be destroyed by the local authority without any compensation to the claimant.

(6.8.3) Storage Charges. Following storage charges shall be levied for reclaiming seized vending material.

Storage charges (In Rupees)	
Load up 100 Kg (24 hrs) per day	Rs. 250/-
More than 100 Kg per day	Rs. 500/-
Removal of Cycle	Rs. 50/-
Removal of Scooters/ Motor cycle	Rs. 300/-
Removal of Cars/Vans/Jeep	Rs. 500/-
Removal of commercial vehicles/ vehicles with commercial activities	Rs. 1000/-

CHAPTER- 7

7.1 The form and the manner for carrying out social audit of the activities of TVC.

(7.1.1) The Government shall constitute an Independent Social Audit Unit (ISAU) for the purpose of carrying out social audit. The social audit unit may comprise of resource persons, eminent citizens, representatives of street vendors and market associations and other professions who have experience in planning and worked for the betterment of street vendors and society.

(7.1.2) The social audit shall be carried out at least once a year. The schedule shall be decided by the local body and the TVC.

(7.1.3) The TVC shall provide details of relevant information at least a month before the process of social audit commences. The information to be provided shall be inclusive of and comprise of the following :

a. Plan and Scheme for Street Vendors;

b. Street Vendors' Charter;

c. Status of implementation of the Act , Rules and Schemes;

d. Returns furnished to Govt. and Local Body;

e. Record of resolution and minutes of the meeting conducted by the

TVC during the audit period;

f. Record of registered street vendors and those who have been issued COV. Details of those who have been denied registration and waiting list of street vendors;

g. Record of appeals made before the local authority;

h. Record of all grievances/disputes brought before the Dispute Redress-al Committee;

i. Record of the total number and details of relocations and evictions and confiscation of goods street vendors taken place in that particular year;

j. List of restriction free/ restricted/ no vending/ time sharing basis zones. Vending zones and markets added during the audit period.

k. Previous social audit reports, if any; and

l. Any other relevant information.

(7.1.4) The social audit unit shall conduct meetings and focused group discussions with street vendors on various aspects of the implementation of the Act, Plan and the Scheme. The social audit unit shall record in writing grievances of street vendors on any issue faced by them. At the culmination of the social audit process, the social audit unit shall record its findings in writing.

(7.1.5) The social audit unit shall hold a public meeting wherein TVC members and representatives of the local body will be present and street vendors will also participate. The social audit unit shall read out its findings at the meeting. Street vendors shall be encouraged to testify and the TVC shall

respond to each of the issues identified in the social audit by giving clarification and/or explanation to the affected party and the public as to why a certain action was taken or not taken.

(7.1.6) The local body shall give adequate notice of the social audit public meeting by way of a public notice.

(7.1.7) The budget for conducting social audit shall be allocated by the local body.

7.2 The manner of maintenance of proper records and other documents by the TVC, local body, planning authority and State TVC in respect of street vendors.

(7.2.1) Following up-to-date records shall be maintained in electronic form by the Town Vending Committee (TVC): -

(i) Strect vendors register;

(ii) COV issued (with details);

(iii) Waiting list of Street Vendors- those have not been issued COV;

(iv) list of all the vending zones with holding capacity;

(v) Available site/space (Local Body/vending zone wise);

(vi) Records and minutes of the meeting;

(vii) Resolutions of the TVC;

(viii) Attendance Register;

(ix) Remuneration Register;

(x) Accounts of Cash Book and General Ledger;

(xi) Records of cancellation of registration and COV;

(xii) Records of social audit, promotional measures and awareness Campaigns; and

(xiii) Personal files of members of the TVC.-All other matters as mentioned in rule 25 of the Delhi Street Vendors Rules, 2016. -By the Local Body;

(i) Street vendors register

(ii) Applicants denied registration;

(iii) Details of survey conducted;

(iv) COV issucd;

(v) Waiting list of Street Vendors- those have not been issued COV;

(vi) Demand and Collection Register;

(vii) Individual files of each street vendor;

(viii) Suspcnsion/ cancellation of COV;

(ix) Rules, schemes, circular, resolutions, guidelines and instructions;

(x) List of restriction-free, restricted and no-vending zones;

(xi) List of time sharing basis vending zones;

(xii) Holding capacity of vending zones;

(xiii) Records of members of grievances redressal committee; and

(xiv) Records of all expenditure of TVC/ other committees.

CHAPTER-8

8.1 The conditions under which private places may be designated as restriction free-vending, restricted-vending zones and no-vending zones.

(8.1.1) Private places may be designated as restriction free/restricted/no-vending zone in accordance with no objection certificate of land/ property owner/RWAs/Market associations of District centers as the case may be and on recommendations of the TVC subject to no objections certificate from the local body/agency and local police/traffic police and RWA/Group Housing Society.

(8.1.2) Safety, security, traffic conditions, cause of general nuisance and demand from RWA/Market Associations would be the basis of vending at private places.

8.2 The terms and conditions for street vending including norms to be observed for up keeping public health and hygiene.

(8.2.1) The Vendor shall conspicuously display copy of his COV at the place of vending and also possess the biometric smart identity card at all times.

(8.2.2) The Vendor shall keep the street and premises around his place of vending clean. He shall keep and deploy waste bin next to his place of vending for the purpose of collection of waste by his customers/ other public. He shall, from time to time clear the bin at designated place specified by the Local body.

(8.2.3) The Vendor shall pay due attention to public health and hygiene in the vending zone/vendors' market and the adjoining area. She/he shall contribute to promote the collective disposal of waste in the vending zone/area. Vendor shall not dump any waste in drain, roadside, open areas or any other unauthorized place.

(8.2.4) He/she shall keep all his wares confined to this space. No projections, extensions shall be protruding from the space of vending

(8.2.5) No Vendor shall install any fixed structure (temporary or permanent) at his place of vending. He/she may only put movable items (such as umbrella, tirpal, cartons etc) which can be removed immediately.

(8.2.6) The street vendor shall not encroach upon the public land and exceed beyond the permissible limits.

(8.2.7) The Vendor shall not hamper the free movement of pedestrian and traffic in any way. Vendor shall operate from the edge of the road/street (if vending from a street) and shall not cause any obstruction to smooth movement of traffic or pedestrians or non-motorized vehicles. He shall ensure that his/her customers shall not do unauthorized parking next to his vending site.

(8.2.8) The vendor may not sell obnoxious, hazardous and polluting items.

(8.2.9) The street vendor may not carry out any unauthorized/ illegal activity and shall not vend any article through any unauthorized vendor at the vending site. He/ she may not sub-let the vending site.

(8.2.10) The street vendor may not cause any damage to the public property. The street vendor shall repair immediately, at his/her cost, the damages that may have been (if any) caused to the public property as a result of negligence during the vending.

(8.2.11) The vendor shall not occupy or stop at any place that is prohibited for street vending. Mobile vendor shall not stop for a period of more than 30 minutes at any place within his hawking zone/vending zone. The vendor shall not stop or vend in the non-vending zone.

(8.2.12) The vendor shall abide by the timing prescribed by the local authority.

(8.2.13) Street vendor selling food articles shall obtain health trade licence from the concerned office of the Health Officer of Local Body.

(8.2.14) Street vendor shall not dump any waste in drain, roadside, open areas or any other unauthorized place.

(8.2.15) That the Vendor shall follow the provisions of the local laws and Court directions.

8.3 The manner of carrying out vending activities on time-sharing basis :

(8.3.1) The TVC shall recommend the vending zones that may be notified for time-sharing basis vending depending on the high demand for a particular zone.

(8.3.2) The weekly bazaars/week-end markets shall be run on a first-come-first- serve basis depending on the number of vending sites that can be accommodated in the designated area and the number of vendors seeking vending places.

(8.3.3) In places like verandas or parking lots in areas such as central business districts, vendors' markets can be organized after the closing of the regular markets. Such markets can be run from time so fixed by the concerned TVC on a roster basis or a first-cum first-serve basis, with suitable restrictions determined by the Government and Local Body.

8.4 The principles for determination of vending zones as restriction-free-vending zones, restricted – vending zones and no-vending zones:

(8.4.1) Places that are natural markets shall be first considered and allowed as vending zones, subject to conditions and restrictions that may be imposed by the local bodies, with ratification of TVC and the traffic police/local police on owing to issues of traffic congestion/issues and law and order problems.

(8.4.2) Venues that have been traditional Weekly Bazaars shall also be considered and allowed for street vending on particular weekday(s) and timings, and subject to conditions and restrictions that may be imposed by the local bodies, with ratification of TVC.

(8.4.3) Procedure for declaration of Restriction Free/Restricted/ No Vending/Time Sharing Basis Vending Zones: -

(a) Any Registered Association of street vendor may submit a proposal for declaration of any street/ land as vending zone or a weekly market. Local body may, on its own initiative, prepare such proposal as well. The proposal should consist of sitemap of the area with proper dimensions, clearly demarcating the area for vending; plan for squatting in the area; number of vendors it may accommodate; suggested restrictions (if any); and proposed time-sharing arrangements to maximize the number of beneficiaries.

(b) The Proposal shall be submitted to the TVC.

(c) The TVC shall cause to conduct survey of the area and GPS demarcation of the area proposed for vending. The TVC shall also examine prima-facie feasibility of the proposal in consultation with the VPC.

(d) The TVC shall thereafter notify the proposal for claims and objections by any stakeholders. Simultaneously, the proposal shall be forwarded to Delhi Traffic police and the Land Owning Agency for their comments and observations.

(e) Delhi Traffic Police/Land Owning Agency shall have thirty days time to furnish their comments/observations, failing which, it shall be presumed that they have no comments to offer and appropriate decision may be taken by the local authority.

(f) After considering the claims and objections received, the TVC shall prepare a report/proposal.

(g) Regarding vending on footpath, respective TVC shall decide as per law.

(h) The Local Body shall notify the area/street as vending zone after ratification of the proposal by the TVC.

8.5. The principles for determining holding capacity of vending zones and the manner of undertaking comprehensive census and survey.

(8.5.1) The area under the jurisdiction of the local body shall be clearly demarcated and surveyed and digitally mapped.

(8.5.2) Regarding decision on pedestrian movement, respective TVC shall decide as per law.

(8.5.3) Adequate space would be allowed for public utility operations.

(8.5.4) If the vending zone is on the public street, it shall be on the edge of the ROW with sufficient pedestrian/vehicular movement.

(8.5.5) Regarding stacking and squatting in Public Street, respective TVC shall decide as per law.

(8.5.6) Space of 6(feet) x 4(feet)(depth) will be considered for one static/mobile vendor/temporary and night bazaar vendor; and 4'x4' for a peripatetic vendor.

(8.5.7) Based on above and subject to norm conforming to two and half percent (2.5 %) of the population of Delhi and in accordance with the plan for street vending, the number of street vendors the vending zone can accommodate, shall be calculated. No. of shifts allowed may be determined by the time-sharing arrangement, and accordingly, holding capacity shall be determined.

8.6 Principles of relocation.

(8.6.1) Relocation should be avoided as far as possible, unless there is clear and urgent need for the land in question or some genuine safety and security issues are involved.

(8.6.2) Affected vendors or their representatives shall be involved in planning and implementation of the rehabilitation project.

(8.6.3) Affected vendors shall be relocated so as to improve their livelihoods and standards of living or at least to restore them, in real terms to pre-evicted levels.

(8.6.4) Livelihood opportunities created by new infrastructure development projects shall accommodate the displaced vendors so that they can make use of the livelihood opportunities created by the new infrastructure.

(8.6.5) Loss of assets shall be avoided and in case of any lose, it shall be compensated.

(8.6.6) Any transfer of title or other interest in land shall not affect the rights of street vendors on such land, and any relocation consequent upon such a transfer shall be done in accordance with the provisions of the Act.

(8.6.7) State machinery shall take comprehensive measures to check and control the practice of forced evictions.

CHAPTER 9

9.1 The designation of State TVC for co-ordination of all matters relating to street vending at the State Level. Pr. Secretary/Secretary (Urban Development) Government of NCT of Delhi will be the State TVC for coordination of all matters relating to street vending at the State Level.

9.2 Any other matter which may be included in the scheme for carrying out the purposes of this Act. Policy for existing street vendors allotted sites/spaces under old scheme(s): -

(9.2.1) A person, whether or not included under the survey, who has been issued a certificate of vending by Local Body before the commencement of Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014, whether known as licensee or have any other form of permission (whether as a stationary vendor or a mobile vendor or under any other category) shall be deemed to be a street vendor for that category for the period for which he/she has been issued such certificate of vending. Further validity period of COV shall commence from the date of this scheme is notified and vending fee will be charged accordingly.

(9.2.2) All such persons who have been allotted permission of vending under any old scheme/Thareja verified shall be treated as per the provision of this scheme. Any person who is ineligible as per this scheme, shall have to be evicted from the site/space immediately.

(9.2.3) Any previous allottee of a site/location on Public Street/public space who has constructed/affixed any fixed structure/stand shall be removed/dismantled by the vendor and the site cleared completely, free of any obstructions and he/she shall vend in conformity with the provision of scheme.

(9.2.4) Sites vacated/cleared due to ineligibility of occupiers may be considered by the local authority for allocation to other eligible wait listed registered persons or declaration of vending zone on timesharing basis without any exclusive right of any particular vendor on the site, so that all street vendors may get equality of opportunity.

10. Fines that may be imposed on street vendors: -

(10.1) If a street vendor is found violating terms of vending, the authority that may be notified by the Local Body will impose prescribed fine, In case of repeat violations, the Authority may proceed for cancellation of allotment proceedings.

(10.2) The authority imposing fine shall conduct summary inquiry of violation of the terms and provide the vendor, an opportunity of being heard.

(10.3) As per section 37(C) of the Street Vendors (Protection of Livelihood And Regulation of Street Vending) Act, 2014, the local authorities shall frame the Bye-Laws for determination of penalties under Sub-section 5 of section 18 and section 28 of the said Act. The Local Authority shall have the powers to revise the fine structure from time to time.

11 Infrastructure improvement, training and skill development and financial assistance: -

(11.1) Local Body to provide support for improvement of basic services in the existing markets such as toilets, waste disposal facility, lighting, common storage, specialized carts for specific types of trades, temporary sheds and parking facilities in consultation with street vendors and other stakeholders.

(11.2) The Local Body shall undertake training programmes for all street vendors with the objective to orient the street vendors on aspect such as their rights and responsibilities, policies, laws and schemes related to street vendors, food safety, maintenance of hygiene, waste disposal.

(11.3) Delivering of training may be outsourced to a training institute/specialized agencies/reputed NGOs.

(11.4) Street vendors to undergo a training programme/workshop will be paid a daily allowance as his stipend for number of days attended which is calculated based upon opportunity cost of livelihood.

By Order and in the Name of Government of

National Capital Territory of Delhi,

ALOK SHARMAM, Dy. Secy. (UD)

SAMPLE APPLICATION FORM

Annexure 'A'

(See1.1.4)

Unique ID (Preprinted/Auto Generated

Barcode (Preprinted/Auto Generated)

CONCERNED LOCAL BODY

Photograph

At the time of **Survey**

APPLICATION FORM FOR SURVEY FOR REGISTRATION OF STREET VENDORS

1. **Name of the Street Vendor/Hawker**

2. Sex: Male **Female**

3. Age.

Photograph at the time of Survey

Date of Birth		**Age**	**Place of Birth**

4.	**Name of Father/Husband/Mother**		
5.	**Spouse Name**		
6.	**Residential Address**		
	Present Address		**Permanent Address**
7.	**Education Status**		

8. Contact Number

Mobile No.	**Landline No.**

9. Site of Vending/Hawking/Squatting

10. Type/Nature of vending/Hawking/Squatting activity

11. Time/Duration since vending/Hawking/squatting

12.Other documents in support of vending such as challans/court cases etc.

13. Document (s) for Residential Proofs

1.	**2.**

14. Aadhaar Card details

15.Other Identity Proof if any such as Driving Licence, Voter-ID-Card, Bank Passbook etc.

16. Annual Income

17. Is applicant an existing street vendor

	Yes/No	
	If Yes, Type of Vendor Location/ Site of vending Nature Area size of site Items/ware sold Date since when operating Document of Allotment of tehbazari (if any)	Type of vending – Static / Peripatetic/ Mobile/Temporary Open to sky/vehicle/kuchcha structure/pucca structure

18. Property owned by family if any

Plot / House	Size/ Area	Kuchcha/ Pucca	Rental income, if any

19. Category

GEN	SC	ST	OBC	PERSONAL WITH DISABILITIES	WOMEN	Widow	MINIORITY	OTHERS

20. **Bank Account No./Name of Bank/Branch Address**

A/C No.	Name of Branch/Bank

21. Details of the family members and their occupation

S. No.	Name	Relationship	Age	Present Occupation	Aadhar No (if not available than Election ID Card No.)

22. Choice of vending area indicated

Choice of Vending Area	Market/Location
1st Choice	
2nd Choice	
3rd Choice	

23. Whether any other family member vending or applied for registration If yes details of the family member:

Names	Father/ Husband / Mother Name	Address	Aadhar Card No.	Age	Contact No.	Existing Place of Vending	Type of vending	Acknowledgment receipt No. if available

24. Whether convicted earlier in any case or any criminal case pending

S. No.	Date	Case/FIR No.	Name of Police Station	Status of Case

Undertaking by the Applicant

I,_____s/o_____R/o_____do hereby undertake to affirm

that all the above information given is true and correct to best of my knowledge. Further I certified that I have no other means of livelihood.

I also hereby affirm that I shall abide by all rules/regulations and all terms & conditions of tehbazari as may be formulated by the Town Vending Committee or Local Body/Government. If any of the information is found false at a later date, the Authority is at liberty to cancel the said registration. I also undertake that I and my family have filled only one application for registration.

Date:

Place:

Signature/Thumb Impression

Name_____

VERIFICATION BY FACILITATOR	
Survey/Application No.	
Vending site GPS coordinates	
Date and Time of Survey	
Vending site location	
Documents collected on the spot	**Sr.No. 1** **Sr.No. 2** **Sr.No. 3** **Sr.No. 4** **Sr.No. 5**
Deficiencies if any noted regarding documents	
Still Photograph of the vendor	
Still Photograph of the site taken	

SIGNATURE OF THE FACILITATOR _____

NAME OF THE FACILITATOR _____

DESIGNATION OF THE FACILITATOR _____

DATED_____

****

(TO BE TORN OFF AND GIVEN TO THE APPLICANT).....

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT FOR REGISTRATION

The Survey application bearing No._____ dated _____ in r/o Sh. _____S/o, W/o, _____has been filled during the survey of the street vendors conduct on_____at the site_____by the team of/on behalf of New Delhi Municipal Council.

The acknowledgment issued is only a token of having participated in the survey process and having a registration with NDMC. The acknowledgment does not entitle any person for any claim for issue of certificate of vending (COV) or right to vending at any place in NDMC area.

Signature of NDMC Official/Designated Officer/Team Member

(Name of the Officer)

Office Seal

Date of Issue

Unique ID (Preprinted /Auto Generated) as on the survey /application form

Barcode (Preprinted /Auto Generated)as on the survey /application form

ANNEXURE 'B'

(See 3.1.1)

CONCERNED LOCAL BODY

Vendor ID/Barcode.

Affix Recent

Photograph

CERTIFICATE OF VENDING (COV)

Name of Street Vendor	
Sex/ Age	
Name of Husband/Father/Mother	
Address of residence	
Adhaar Card Number if any	
Mobile Number	
Type of Vendor	
Area where he is permitted to vend	
Validity of Registration	**Valid for five year from the date of initial issue and renewal after every three year subject to fulfillment of terms and condition of Tehbazari/Vending. The certificate of vending (COV) shall not be renewed in any case after total period of twenty years. The COV issued is non-transferable.**
Licence fee per month (subject to enhancement from time to time)	
Date of issue of COV	
Signature of Authority	
Seal	

The street vendor shall posses the certificate of vending (COV) and the identity card issued to the vendor in original while vending. The COV details shall be available on the smart card issued to the biometric smart card COV holders.

ANNEXURE C

(See 3.2.1)

IDENTITY CARD TO THE STREET VENDOR

CONCERNED LOCAL BODY

Photograph
Microchip and
hologram

S.No./Unique ID No.____________

Date of Registration________________

Name of Street Vendor______________

Father's/Husband's /Mother's Name______________________

Residential Address ________________

Contact Number____________________

Site of Vending_____________________

Items Sold____________________________

Size of Tehbazari____________________________

Details of family members:-

(A) Name of the spouse

(B) Details of the dependent Children

S.No.	Name	Age	Relation	Occupation
1				
2				
3				
4				
5				

Whether COV issued — if issued validity of COV --________________

____

Signature/ Thumb Impression of the vendor

Signature of Director /Nodal Officer

Concerned Local Body

ANNEXURE 'D'

(See 6.7.2)

CONCERNED LOCAL BODY

MEMO No..... Dated.....

Seizure Memo of the goods seized from unauthorized vendors/vending sites

Following goods/articles were seized from the unauthorized vendor name Sh.....S/o/W/o.....R/o.....having contact no..... from the site .....on dated.....at time.....on account of found vending unauthorizedly/vending in violation of terms and conditions of the Certificate of Vending (COV).

(a) Description of goods and quantity

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

(iv).....

(v).....

(vi).....

(b) The vendor is informed that he/she may claim the goods/articles seized after the payment of penalty on account of removal charges and payment of storage charges from the NDMC Store/Godown site located at..... between the hours of .....on working day by making an application within 24 hours for perishable goods and 3 days for non-perishable goods after which the NDMC can dispose/auction the goods seized without any compensation or notice to the vendor.

(c) The goods can be reclaimed within one day after filing of application in case of perishable goods and within 15 days of application for non-perishable goods beyond which NDMC shall be within its right to dispose of the goods in the manner deemed fit without entertaining any claim whatsoever.

Signature of the Inspector.....

Name of the Inspector.....

Signature of the Vendor.....

Name of the Vendor.....

Name of the witness-.....

Signature of the witness....

Designation of the witness.....

Place.....

Date.....

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.